[2022] 12 एस. सी. आर. 1035

अशोक कुमार सिंह चंदेल

वी.

यू. पी. राज्य

(आपराधिक अपील सं। 946-947 2019 का)

04 नवंबर, 2022

[उदय उमेश ललित, सीजेआई, एस. रवींद्र भाट और पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860-एस। 302 आर/डब्ल्यू एस। 149 , s.307 r/ws। 149 और

एस. 148 – शस्त्र अधिनियम, 1959-ss. 25 और 30-दंड संहिता प्रक्रिया, 1973 - s.293-पाँच लोगों की हत्या

सा

तों आरोपी

- मृतक एक ही परिवार के थे या उनसे जुड़े थे; उनमें से दो भाई थे, तीसरा उनका नाबालिग बेटा था और

अन्य दो उनके करीबी पारिवारिक मित्र थे-निचली अदालत ने सभी को बरी कर दिया

अभियुक्त-बरी किए जाने के विरुद्ध अपील-उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया

निचली अदालत के निष्कर्षों और एस. एस. के तहत सभी अभियुक्तों को दोषी ठहराया। 148 , 302 आई. पी. सी. की धारा 149 के साथ पढ़ा गया, 307 को पढ़ा गया और सजा सुनाई गई।

उन्हें आजीवन कारावास-आयोजित करने का स्वामित्वः उच्च न्यायालय को बरी करने के आदेश को उलटने में अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में उचित ठहराया गया था क्योंकि कुछ स्पष्ट गलतियाँ थीं, और विकृत थीं।

विचारण न्यायालय के निर्णय में निष्कर्ष-उच्च न्यायालय था

कर्तव्य-निर्णय को उलटने के लिए बाध्य क्योंकि ऐसा करने के लिए बहुत ठोस और मजबूर करने वाले कारण मौजूद थे, जो ऐसा करने में विफल रहने के कारण होते न्याय की गंभीर विफलता-अभियोजन ने घटना स्थल पर पीडब्लू-1 की उपस्थिति और उसके घायल होने को साबित किया।

घटना के चश्मदीद गवाह-एफ. आई. आर. में बताए गए तथ्य पूरी तरह से थे

अधिकांश दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा पुष्टि की गई और पूरी तरह से थे

अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही के अनुरूप

उच्च न्यायालय ने इस दलील को अस्वीकार करने में सही कहा कि

अभियोजन पक्ष एक सामान्य उद्देश्य और गैरकानूनी सभा साबित करने में विफल रहा

ए 6, ए 10, ए 7 और ए 8 की गिरफ्तारी समवर्ती थी और

सभी गवाहों, पीडब्लू-10, पीडब्लू-11 और पीडब्लू-12 द्वारा लगातार कहा गया

- निचली अदालत द्वारा निकाला गया निष्कर्ष कि गिरफ्तारी और वसूली थी

रिपोर्ट निचली अदालत की एक और गंभीर गलती थी-निष्कर्ष विचारण न्यायालय की बैलेस्टिक रिपोर्ट अस्वीकार्य थी क्योंकि इसमें नहीं है

एस की आवश्यकता के साथ सामंजस्य। 293 Cr.P.C. पूरी तरह से गलत था

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बैलिस्टिक रिपोर्ट वैधानिक प्रावधान के पूर्ण अनुपालन में थी-उच्च न्यायालय को कब्र को रोकने के लिए आवश्यक रूप से कदम उठाना पड़ा।

न्याय की विफलता। अपील-निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ अपील-उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र-चर्चा की गई।

आपराधिक कानून-उद्देश्य-उद्देश्य की पर्याप्तता या अपर्याप्तता का वास्तविक साक्ष्य पर सीधा असर नहीं पड़ता है।

अभियुक्त, विशेष रूप से जब अभियोजन पक्ष प्रत्यक्ष साक्ष्य पर निर्भर करता है

घायल चश्मदीद गवाह। आपराधिक कानून-जांच-जांच अधिकारियों द्वारा दोषपूर्ण जांच अपने आप में मामले को दूषित करती है

अभियोजन तब चलाया जाता है जब विश्वसनीय चश्मदीद गवाहों की गवाही के साथ-साथ अन्य सम्मोहक सबूत भी होते हैं।

साक्ष्य गवाह-घायल आंख की गवाही-गवाह प्रशंसा-आयोजितः जब विश्वसनीय नेत्र गवाह होते हैं जिनके बयानों की पुष्टि अन्य समकालीन साक्ष्यों द्वारा की जाती है, तो कुछ मामूली बदलाव, जैसे कि खून से सने कपड़ों की बरामदगी, कुछ अन्य हथियार आदि अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं होंगे।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973। 293 - वैधानिक

अनुपालन-एफएसएल (बैलिस्टिक) रिपोर्ट के तहत आवश्यकता-तथ्यों पर, रिपोर्ट एक फोरेंसिक के सहायक निदेशक के कार्यालय से आई थी उसकी मुहर वाली प्रयोगशाला-परीक्षण न्यायालय का निष्कर्ष कि बैलिस्टिक रिपोर्ट अस्वीकार्य थी क्योंकि यह उसके अनुरूप नहीं थी

धारा 293 Cr.P.C की आवश्यकता पूरी तरह से गलत है-बैलेस्टिक रिपोर्ट वैधानिक प्रावधान के पूर्ण अनुपालन में थी-ट्रायल कोर्ट ने बैलेस्टिक रिपोर्ट को खारिज करने में गलती की।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1. तत्काल मामले में, उच्च न्यायालय के आदेश को उलटने में अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना उचित था बरी कर दिया गया क्योंकि निचली अदालत के फैसले में कुछ स्पष्ट गलतियाँ और विकृत निष्कर्ष थे। उच्च न्यायालय निर्णय को उलटने के लिए कर्तव्यबद्ध था क्योंकि ऐसा करने के लिए बहुत ठोस और बाध्यकारी कारण मौजूद थे, ऐसा न करने पर यह न्याय की गंभीर विफलता का कारण बनता।

[पैरा 174] [1109-सी] अशोक कुमार सिंह चंदेल बनाम। यू. पी. राज्य

2. भले ही अभियोजन पक्ष ने आरोपी पक्ष की ओर से एक उद्देश्य के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए सामग्री रखी

अपराध में शामिल होने और अपराध करने का तरीका। [पैरा 174] [1109-ई-एफ] 4. (ए) अस्पताल में लाए गए शवों की संख्या में विसंगतियां (बी) तहरीक तैयार करने में लगने वाले समय की असंभवता (सी) प्राथमिकी में कथित चूक (डी) और छुट्टी के समय से संबंधित दलीलों की जांच करने के बाद।

बेड हेड टिकट में उल्लिखित, प्राथमिकी दर्ज करने के समय पर संदेह करते हुए, यह पाया गया है कि अभियोजन पक्ष ने सभी विसंगतियों को एक उचित संदेह से परे समझाया है। निष्कर्ष

घटना, (ए) जोंगा पर गोलियों के निशान पर विसंगति, (बी) मृतक और चश्मदीद गवाहों पर गोलियों की चोटें पीडब्लू-1 विवरण का आधार, (सी) एक्स-रे और बेड हेड टिकट का समय, और (डी) बिजली की विफलता से संबंधित साक्ष्य

घटना के समय, यह पाया जाता है कि ये प्रस्तुतियाँ अभिलेख पर साक्ष्य के विपरीत हैं। अभियोजन पक्ष ने घटना स्थल पर पीडब्लू-1 की उपस्थिति और घटना के घायल चश्मदीद होने को साबित किया है। द्वारा निकाले गए निष्कर्ष

विचारण न्यायालय साक्ष्य के गलत अध्ययन पर आधारित था, और इसलिए, उच्च न्यायालय न्याय की गंभीर विफलता को रोकने के लिए निष्कर्ष को उलटने के लिए बाध्य था। [पैरा 174] [1110-बी-सी] 6. फैक्स के आधार पर बचाव पक्ष की वैकल्पिक कहानी की जांच करने के बाद, कहा जाता है कि एसपी [2022] 12 एस. सी. आर. के कार्यालय से भेजा गया था।

और बचाव पक्ष के गवाह डी. डब्ल्यू.-3 के माध्यम से पेश किया गया, यह स्पष्ट है कि फैक्स में उल्लिखित तथ्य किसी भी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं हैं।

इसके विपरीत, एफ. आई. आर. में वर्णित तथ्य पूरी तरह से हैं।

अधिकांश दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा पुष्टि की गई है और अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही के साथ पूरी तरह से अनुरूप हैं। चूंकि फैक्स में उल्लिखित घटनाओं की पुष्टि करने के लिए कोई सबूत नहीं है और डी. डब्ल्यू.-3 का सबूत विश्वास को प्रेरित नहीं करता है, कम से कम कहने के लिए। विचारण न्यायालय का निष्कर्ष कि

अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि मामला पूरी तरह से गलत है। इस तरह का निष्कर्ष एक स्पष्ट गलती है जैसा कि इस न्यायालय ने चंद्रप्पा मामले में कहा था और ओआरएस। वी. कर्नाटक राज्य उच्च न्यायालय को बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य करता है। [पैरा 174] [1110-डी-एफ]

7. उच्च न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया कि अभियोजन पक्ष एक सामान्य उद्देश्य साबित करने में विफल रहा और

गैरकानूनी सभा। इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय का निर्णय तथ्य और कानून के मामले में असाधारण है। [पैरा 174] [1111-ए-बी] 8. हथियार की बरामदगी के बारे में ट्रायल कोर्ट का निष्कर्ष एक गलत निष्कर्ष पर आधारित है क्योंकि इसे गलत समझा गया है

8x60 बोर की राइफल एक 0.315 बोर राइफल से अलग होगी। तकनीकी सामग्री संदेह से परे साबित करती है कि कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल माप प्रणाली में है, एक ब्रिटिश है और दूसरा महाद्वीपीय प्रणाली है। इस तरह के विकृत निष्कर्ष को देखते हुए, उच्च न्यायालय के पास निचली अदालत के निष्कर्षों को उलटने के लिए बहुत ठोस और ठोस कारण थे। [पैरा 174] [1111-बी-डी]

9. नसीम (ए 6), भान सिंह (ए 10), श्याम सिंह (ए 7) और साहब सिंह (ए 8) की गिरफ्तारी समवर्ती थी और

सभी गवाहों, पीडब्लू-10, पीडब्लू-11 और पीडब्लू द्वारा लगातार कहा गया

12. निचली अदालत द्वारा निकाला गया निष्कर्ष कि गिरफ्तारी और बरामदगी संदिग्ध थी, स्पष्ट गलतियाँ थीं। इसलिए, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को उलट कर पूरी तरह से उचित ठहराया। [पैरा 174] [1111-डी-ई] 10. एफ. एस. एल. (बैलिस्टिक) रिपोर्ट की अस्वीकृति निचली अदालत की एक और गंभीर गलती है। ट्रायल कोर्ट का निष्कर्ष कि बैलिस्टिक रिपोर्ट अस्वीकार्य है क्योंकि यह अशोक कुमार सिंह चंदेल बनाम के अनुरूप नहीं है।

यू. पी. राज्य

धारा 293 Cr.P.C की आवश्यकता पूरी तरह से स्पष्ट है।

बैलिस्टिक रिपोर्ट क़ानून के पूर्ण अनुपालन में है। उच्च न्यायालय को अनिवार्य रूप से पहले कदम उठाना पड़ा

न्याय की विफलता। [पैरा 174] [1111-एफ-जी]

M.G.Agarwal v. महाराष्ट्र राज्य [1963] 2 एससीआर

405 पीछा किया।

चंद्रप्पा और ओआरएस वी। कर्नाटक राज्य (2007) 4 एससीसी 415: [2007] 2 एस. सी. आर. 630; घुरेलाल बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2008) 10 एस. सी. सी. 450 [2008] 11 एस. सी. आर. 499; अमजद अली उर्फ अमजद खा और अन्य बनाम। असम राज्य (2003) 6 एस. सी. सी. 270; भार्गव और अन्य बनाम। केरल राज्य (2004) 12 एससीसी 414: [2003] 5 पूरक। एस. सी. आर. 535; भूपेंद्र सिंह और अन्य बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2009) 12 एस. सी. सी. 447: [2009] 6 एस. सी. आर. 262 और हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम मस्त राम (2004) 8 एससीसी 660: [2004] 4 पूरक। एससीआर 269

पर भरोसा किया।

यू. पी. राज्य बनाम गोकरण और अन्य (1984) पूरक एस. सी. सी. 482; मसाला बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य [1964] 8 एस. सी. आर. 133; प्रवीण कुमार बनाम। कर्नाटक राज्य (2003) 12 एससीसी 199; मेनोका मलिक और ओआरएस वी। पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य

(2019) 18 एससीसी 721: [2018] 10 एससीआर 707; एन.

विजयकुमार बनाम. तमिलनाडु राज्य (2021) 3 एस. सी. सी. 687; नवाब अली बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1974) 4 एस. सी. सी. 600: [1974] 3 एस. सी. आर. 734; राजस्थान राज्य बनाम शिव चरण और ओआरएस। (2013) 12 एससीसी 76: [2013] 8 एस. सी. आर. 336; शिवाजी जेनु मोहिते बनाम। महाराष्ट्र राज्य (1973) 3 एस. सी. सी. 219; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम। किशनपाल और अन्य (2008) 16 एस. सी. सी. 73: [2008] 11 एससीआर 1048; शिव शंकर सिंह बनाम। झारखंड और अन्न राज्य। (2011) 3 एससीसी 654 : [2011] 4 एस. सी. आर. 312; दरबारा सिंह बनाम। पंजाब राज्य (2012) 10 एससीसी 476: [2012] 7 एससीआर 541; रम्मी आलिया रामेश्वर बनाम। एम. पी. राज्य (1999) 8 एस. सी. सी. 649: [1999] 3 पूरक। एस. सी. आर. 1; अब्दुल सईद बनाम। की स्थिति

मध्य प्रदेश (2010) 10 एससीसी 259: [2010]

13 एस. सी. आर. 311; राजेंद्र आलिया राजप्पा और अन्य बनाम। कर्नाटक राज्य (2021) 6 एस. सी. सी. 178; राणा प्रताप और अन्य। वी. हरियाणा राज्य (1983) 3 एस. सी. सी. 327; करनेल सिंह बनाम।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एम. पी. राज्य (1995) 5 एस. सी. सी. 518 [1995] 2 पूरक। एस. सी. आर. 629; सी. मुनियप्पन और अन्य बनाम तमिल राज्य

नाडु (2010) 9 एससीसी 567 [2010] 10 एससीआर 262; सादिक

उर्फ लालो गुलाम हुसैन शेख और ओआरएस वी। की स्थिति

गुजरात (2016) 10 एस. सी. सी. 663: [2016] 5 एससीआर 421;

लक्ष्मण सिंह बनाम। बिहार राज्य (2021) 9 एससीसी 191

और एम नागेश्वर रेड्डी बनाम। एपी राज्य 2022 एससीसी

ऑन लाइन एस. सी. 268 का उल्लेख किया गया है।

स्टैकपोल कंपनी, पेंसिल्वेनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका, चौथा संस्करण, 1954, पृष्ठ संख्या। 156,157) - संदर्भित

को।

मामला कानून संदर्भ

(1984) पूरक एस. सी. सी. 482

संदर्भित किया गया है

पैरा 44

[1964] 8 एससीआर 133

संदर्भित किया गया है

पैरा 52

(2003) 12 एससीसी 199

संदर्भित किया गया है

पैरा 52

[2018] 10 एससीआर 707

संदर्भित किया गया है

पैरा 52

(2021) 3 एस. सी. सी. 687

संदर्भित किया गया है

पैरा 56

[1974] 3 एससीआर 734

संदर्भित किया गया है

पैरा 60

[2013] 8 एससीआर 336

पैरा 60

संदर्भित किया गया है

[2007] 2 एससीआर 630

उस पर भरोसा करें

पैरा 74

[1963] 2 एससीआर 405

पीछा किया।

पैरा 75

[2008] 11 एससीआर 499

उस पर भरोसा करें

पैरा 76

(1973) 3 एस. सी. सी. 219

संदर्भित किया गया है

पैरा 82

[2008] 11 एससीआर 1048

संदर्भित किया गया है

पैरा 83

[2011] 4 एससीआर 312

संदर्भित किया गया है

पैरा 84

[2012] 7 एससीआर 541

संदर्भित किया गया है

पैरा 84

[1999] 3 पूरक। एससीआर 173

संदर्भित किया गया है

पैरा 10

[2010] 13 एससीआर 311

संदर्भित किया गया है

पैरा 11

(2021) 6 एससीसी 178

संदर्भित किया गया है

पैरा 11

(1983) 3 एस. सी. सी. 327

संदर्भित किया गया है

पैरा 13 अशोक कुमार सिंह चंदेल बनाम। यू. पी. राज्य

[1995] 2 पूरक। एससीआर 629

संदर्भित किया गया है

पैरा 140

[2010] 10 एससीआर 262

संदर्भित किया गया है

पैरा 141

(2003) 6 एससीसी 270

उस पर भरोसा करें

पैरा 143

[2003] 5 पूरक। एससीआर 535

उस पर भरोसा करें

पैरा 144

[2009] 6 एससीआर 262

उस पर भरोसा करें

पैरा 145

[2016] 5 एससीआर 421

संदर्भित किया गया है

पैरा 146

(2021) 9 एससीसी 191

संदर्भित किया गया है

पैरा 164

[2004] 4 पूरक। एससीआर 269

उस पर भरोसा करें

पैरा 170

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

नं. 946-947 2019 से।

उच्च न्यायालय के 19.04.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2002 की सरकारी अपील No.5123 और 2002 की आपराधिक संशोधन संख्या 1548 में इलाहाबाद में न्यायिक कार्य।

के साथ

आपराधिक अपील सं। 1030-1031 , 1046-1047 , 1269-1270 , 1804

1805 , 1980-1981 , 1279-1280 2019 का एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) नं. 10742 2019 का डब्ल्यू. पी. (सी. आर. एल.) नं. 57 2022 तक।

हरिन पी. रावल, सिद्धार्थ दवे, सुश्री सोनिया माथुर, सुश्री.

ऐश्वर्या भाटी, विश्वजीत सिंह, जयंत मुथुराज, रत्नाकर दास, वरिष्ठ अधिवक्ता। , शिव कुमार पांडे, अभय राज सिंह चंदेल, चंद्रशेखर ए. चकलब्बी, अवनीश कुमार, अभिनव गर्ग, डी. गिरीश कुमार, कुमार विनायकम गुप्ता, कार्तिकेय कनौजिया, मेसर्स। धर्मपाल लॉ एसोसिएट्स, संदीप झा, अर्जुन डी. सिंह, आशीष सिंह, धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, उदय प्रकाश यादव, सिमरजीत सिंह सलूजा, सुश्री प्रेरणा ढल्ल, नूर रामपाल, सुश्री आस्था मेहता, सुश्री इशिता सिन्हा, रोहित पांडे, मुरारी तिवारी, रामजी पांडे, सुश्री मनीषा चावा, रुस्तम सिंह।

चौहान, सुश्री बी. एल. एन. शिवानी, राजीव कुमार दुबे, सुश्री हर्षिता रघुवंशी, सुश्री श्रेयस अग्रवाल, आशिवन मिश्रा, कमलेंद्र मिश्रा, शशांक सिंह, अनुपम चौधरी, मनोज कुमार द्विवेदी, मृणाल कुमार शर्मा, सुश्री बांसुरी स्वराज, सुश्री एना उपाध्याय, आकाश सिंह, सुश्री मान्या हसीजा, प्रेम सुंदर झा, पंकज बिस्ट, कृष्णानंद पांडे, मनीष कुमार, अंशुमन श्रीवास्तव, नरेश कुमार, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

2] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.

1. ये आपराधिक अपीलें सात अभियुक्तों द्वारा की जाती हैं जिन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

अभियुक्त सं. के स्थानांतरण की मांग करने वाली याचिका। 5 राज्य में अपने प्रभाव के बदले में सजा काटने के लिए उत्तर प्रदेश के बाहर एक जेल में। 2.1 उच्च न्यायालय का निर्णय निचली अदालत द्वारा सभी अभियुक्तों को बरी किए जाने के खिलाफ एक अपील में दिया गया था। उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय 2 द्वारा विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को उलट दिया और सभी अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता, 1860 3 की धारा 148,302,149,307,149 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषसिद्धि और सजा का विवरण नीचे दिया गया है।

2.2 इन सभी अभियुक्तों को आई. पी. सी. की धारा 149 के साथ धारा 302 के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और भुगतान करने की सजा सुनाई गई थी।

रुपये का जुर्माना। 20,000 / - प्रत्येक, चूक में छह महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास से गुजरना होगा। अभियुक्तों को आई. पी. सी. की धारा 148 के तहत अपराध के लिए तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और रुपये का जुर्माना देना। 5000 / - प्रत्येक और चूक में छह महीने के साधारण कारावास से गुजरना होगा। सभी अभियुक्तों को धारा 307 के तहत अपराध के लिए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।

आई. पी. सी. की धारा 149 के साथ और रुपये का जुर्माना देना। 10,000 / - प्रत्येक, चूक में छह महीने के साधारण कारावास से गुजरना होगा।

2.3 निचली अदालत ने अशोक कुमार सिंह चंदेल (ए 5) को आई. पी. सी. की धारा 379 और 404 के तहत बरी करने के फैसले को बरकरार रखा। इसके अलावा,

1 उच्च सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, हमीरपुर; एसटी सं. 145/2000,146/2000 और 147/2000 दिनांकित 15.07.2002।

2 सरकारी अपील सं. 5123/2002 और आपराधिक संशोधन सं. 1548/2002 दिनांक 19.04.2019 में। 3 इसके बाद 'आई. पी. सी.' के रूप में संदर्भित किया जाता है।

अशोक कुमार सिंह चंदेल बनाम। यू. पी. राज्य [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।]

अभियुक्त साहब सिंह (ए 8) को शस्त्र अधिनियम, 19594 की धारा 25 के तहत अपराध के लिए बरी करने और अभियुक्त अशोक सिंह चंदेल (ए 5) को शस्त्र अधिनियम की धारा 30 के तहत अपराध के लिए बरी करने की पुष्टि भी उच्च न्यायालय द्वारा बिना किसी बदलाव के की गई। इन निष्कर्षों के साथ, राज्य की आपराधिक अपील और राज्य का आपराधिक संशोधन

सूचना देने वाले (पीडब्लू-1) को काफी हद तक अनुमति दी गई थी। 3. उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए, वर्तमान आपराधिक अपीलें आरोपी रघुवीर सिंह (ए 1) द्वारा सी. आर. एल. में दायर की जाती हैं। ए नोस।

1046- 1047/2019 , सी. आर. एल. में आशुतोष सिंह @डब्बू (ए 2)। ए. नं. 1030 1031/2019 , सीआरएल में उत्तम सिंह (ए 3) और प्रदीप सिंह (ए 4)। ए नोस। 1269-1270 / 2019 , अशोक कुमार सिंह चंदेल (ए 5) सी. आर. एल. में। ए नोस। 946 947/2019 , सी. आर. एल. में नसीम (ए 6)। ए नोस। 1279-1280 / 2019 , सी. आर. एल. में साहब सिंह (ए 8)। ए. नं. 1980-1981/2019, और सी. आर. एल. में भान सिंह (ए 10)। ए नोस। 1804-1805 / 2019 .

घटनाः

4. प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियोजन पक्ष का मामला सामने आता है कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में दो समूहों के बीच लंबे समय से गुटबाजी चल रही है। (ए 5) और शुक्ला परिवार द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए समूह को लंबे समय तक एक-दूसरे के खिलाफ शत्रुतापूर्ण तरीके से निपटाया गया था। एफ़. आई. आर. उस घटना के बारे में है जो मोहल्ला सुभाष बाज़ार, कस्बा, हमीरपुर में एफ़. आई. डी. 1. पी. एम. पर एफ़. आई. डी. 2. पर एक के बाद एक होने वाली दो घटनाओं के रूप में हुई है। पहली घटना आरोपी नं. 6 , 'नसीम की बंदूक की दुकान' के रूप में संदर्भित और दूसरी घटना परमा पंडित के आवास के पास है जो नसीम की बंदूक की दुकान से लगभग 50-75 मीटर की दूरी पर है। ये दोनों घटनाएँ इस प्रकार हैं।

5.1 घटना का पहला भागः आई. डी. 1 पर राजीव शुक्ला (पीडब्लू 1) अपने नौकर लल्लन के साथ मोहल्ला सुभाष बाजार गए।

बाजार, कस्बा, हमीरपुर में आई. डी. 2 की शाम लगभग आई. डी. 1 बजे कुछ सामान खरीदने के लिए। जैसे ही वे बाजार से लौट रहे थे, उन्होंने पी. डब्ल्यू.-1 के बड़े भाई, राकेश कुमार शुक्ला, उनके दो बेटे, गुड्डा और चंदन, श्री कांत पांडे, विपुल (पी. डब्ल्यू.-1 का बेटा) और वेद प्रकाश को एक वाहन में घर लौटते देखा, जिसे 'जोंगा' कहा जाता है।

5.2 जोंगा को देखकर पीडब्लू-1 और लल्लन राकेश कुमार शुक्ला और अन्य लोगों से बात करने के लिए रुक गए। जैसे ही जोंगा खड़ा था

4 इसके बाद 'शस्त्र अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया जाता है। 5 इसके बाद 'एफ. आई. आर.' के रूप में संदर्भित किया जाता है।

2] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बीच सड़क पर नसीम (ए 6) की बंदूक की दुकान के सामने पूर्व की ओर मुंह करके छह आरोपी अशोक कुमार चंदेल (ए 5), नसीम (ए 6), श्याम सिंह (ए 7), साहब सिंह (ए 8), झंडू (ए 9) और रक्कू (ए 5 का चालक) नसीम की बंदूक की दुकान से बाहर आए, सभी राइफलों और हथियारों से लैस थे।

बंदूकें और अचानक जोंगा पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी।

5.3 एफ़. आई. आर. में कहा गया है कि बाज़ार की तरफ से आग की आवाज़ सुनने के तुरंत बाद, शराब ठेकेदार रघुवीर सिंह

(ए 1), उनके बेटे आशुतोष उर्फ डब्बू सिंह (ए 2), प्रदीप सिंह (ए 4),

उत्तम सिंह (ए 3) और भान सिंह (ए 10) एक अन्य वाहन में मौके पर पहुंचे और जोंगा पर गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी के कारण, श्री कांत (मृतक के रूप में) और वेद प्रकाश (मृत के रूप में), जो जोंगा के पीछे बैठे थे, को गोली लगी। राकेश कुमार शुक्ला (मृतक होने के बाद), गुड्डा (मृतक होने के बाद), चंदन और विपुल को भी गोली लगी। गोलीबारी के कारण दहशत फैल गई और बाजार बंद हो गया।

6.1 घटना का दूसरा भागः मिलने के तुरंत बाद

घटना की जानकारी मिलने पर पीडब्लू-1 के बड़े भाई राजेश कुमार शुक्ला, रविकांत पांडे (पीडब्लू-2), भगवती शरण नायक, श्री प्रकाश नायक, अनिल और कई अन्य लोग घटना स्थल पर पहुंचे। जैसे ही बच्चों चंदन और विपुल को मामूली चोटें आईं, उन्हें तुरंत जोंगा से बाहर निकाला गया और इलाके के कुछ लोगों की मदद से घर भेज दिया गया।

सुभाष बाजार रोड के किनारे। हालाँकि, जैसे ही वे पर्मा पंडित के घर पहुंचे, जो नसीम की बंदूक की दुकान से सिर्फ 50-75 मीटर की दूरी पर है, आरोपी पहले ही मौके पर पहुँच चुके थे। उस समय अशोक चंदेल (ए 5) ने कहा था कि "शुक्ला परिवार में से किसी को भी बचने की जरूरत नहीं है। जीवित ", और यह सुनकर, सभी अभियुक्तों ने फिर से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इस समय, राजेश शुक्ला अपनी राइफल के साथ आरोपी व्यक्तियों पर निशाना साधने और जवाबी गोलीबारी करने के लिए जोंगा से बाहर निकले। हालांकि, इस दौरान

क्रॉस फायर में राजेश शुक्ला गंभीर रूप से घायल हो गए और नीचे गिर गए।

स्थान को। पी. डब्ल्यू.-1, जो जोंगा के चालक की तरफ (दाहिनी तरफ) खड़ा था, उसके पैर में भी गोली लगी। पीडब्लू-2 की स्थिति भी ऐसी ही है, जिसके पैर में भी गोली लगी थी। जैसे ही पीडब्लू-1 और उसके साथी खुद को छिपाने के लिए छिप गए, पीडब्लू-1 ने देखा कि हमलावरों ने राजेश कुमार शुक्ला (मृतक के रूप में) से राइफल छीन ली, जो गोलियों की चोटों के कारण गिर गया था और अपराध स्थल से भाग गया था, अपने वाहनों में 'चौराहा' की ओर।

6.3 श्रीकांत पांडे और वेद प्रकाश को बचाने की उम्मीद में राजेश कुमार शुक्ला को भी गुड्डा और राकेश कुमार शुक्ला की तरह गोली लगने से मरते हुए देखने के बाद पीडब्लू-1 ने उन्हें जोंगा में डाल दिया और अस्पताल ले गया।

अस्पताल में:

7.1 पीडब्लू-1 लगभग 07.50 पी. एम. पर अस्पताल पहुँचा, और तुरंत डॉ. एन. के. गुप्ता, पीडब्लू-8 ने उसकी जाँच की, जिसने चोट दी। रिपोर्ट-एक्सबी। का-13 जो आग्नेयास्त्रों के कारण उसकी बाईं जांघ (पीछे के हिस्से) पर चोटों को दर्ज करता है। डॉ. एस. आर. गुप्ता, पीडब्लू-7, जो उस दिन ड्यूटी पर रेडियोलॉजिस्ट थे, को उनका एक्स-रे-एक्सब्स मिला। का-44-46 हो गया।

7.2 जब पीडब्लू-1 का इलाज चल रहा था, डॉ. पी. एन. पाया, पीडब्लू-5 ने मृतक राकेश कुमार शुक्ला और राजेश कुमार शुक्ला के शवों की जांच की। और श्रीकांत पांडे ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉ. आर. एस. गुप्ता, पीडब्लू-6 ने गुड्डु और वेद प्रकाश की जांच की और उन्हें मृत घोषित कर दिया। गोलीबारी में श्री हरदयाळ नामक एक व्यक्ति भी घायल हो गया था जिसकी जांच पीडब्लू-8 डॉ. एन. के. गुप्ता ने की थी। उनकी चोट की रिपोर्ट, एक्सबी। का-14 को रात 8.45 बजे तैयार किया गया था। पीडब्लू-8 ने भी रात 10 बजे पीडब्लू-2 की जांच की और चोट की रिपोर्ट दी, जिसे चिह्नित किया गया था

exb. का-15। दोपहर में विपुल और चंदन की भी जांच की गई और उनकी चोट की रिपोर्ट को चिह्नित किया गया और एक्सब्स के रूप में प्रदर्शित किया गया। का-16 और का 17, क्रमशः।

एफ. आई. आर. दर्ज करना:

8.1 तत्काल चिकित्सकीय सहायता प्राप्त करने के बाद, पीडब्लू-1 का बयान ('तहरीर') अस्पताल में सरस्वती शरण द्वारा दर्ज किया गया था, जिसकी जांच पीडब्लू-3 के रूप में की गई थी। तहिरीर पूरा होने पर, लगभग 09.10 शाम को, पीडब्लू-1 घटना की रिपोर्ट करने और प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल महेश सिंह ने पीडब्लू-9 के रूप में पूछताछ की और एफ़. आई. आर., एक्स. बी. तैयार की। केए-20, अपनी खुद की लिखावट में, आईपीसी की धारा 147,148,149,307,302,34 और 395 के तहत तहरीक से सामग्री की प्रतिलिपि बनाकर।

दस अभियुक्तों और दो अज्ञात व्यक्तियों को नामजद किया गया है। हमले के पीछे का मकसद अशोक कुमार चंदेल और शुक्ला परिवार के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता बताया गया था। इस संदर्भ में, मुखबिर ने श्याम सिंह (ए 7) से जुड़े एक आपराधिक मामले का उल्लेख किया। उस मामले में, राकेश कुमार 6 एफ. आई. आर. नं. 33/1997 .

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शुक्ला और रमाकांत पांडे (श्रीकांत पांडे के भाई) ने श्याम सिंह (ए 7) के खिलाफ अभियोजन पक्ष की सहायता की। उन्होंने यह भी कहा कि

विधानसभा चुनाव, जहाँ शुक्ला परिवार ने श्याम सिंह (ए 7) और अशोक कुमार चंदेल (ए 5) का विरोध किया, जिससे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता पैदा हो गई। 8.3 इसके बाद जाँच अधिकारी, लालमन वर्मा, पीडब्लू-12 द्वारा एफ. आई. आर. की प्रतिलिपि सामान्य डायरी में डाली गई। एफ. आई. आर. की नकल करने के बाद, पीडब्लू-12 जाँच को आगे बढ़ाने के लिए घटना स्थल की ओर बढ़ा।

9. इस स्तर पर यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि अगले दिन यानी आई. डी. 1 पर शाम 7.5 बजे उनके खिलाफ दो और एफ. आई. आर. दर्ज की गईं। साहब सिंह और अशोक कुमार चंदेल क्रमशः शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 और 30 के तहत।

जाँचः

10. एफ. आई. आर. दर्ज करने के बाद, पीडब्लू-1 अस्पताल लौट आया जहाँ मृतक का पंचायतनामा किया जा रहा था। इसके बाद, पीडब्लू-1 लल्लन द्वारा चलाए जा रहे जोंगा में घटना स्थल पर गया, जहाँ वह जांच अधिकारी, पीडब्लू-12 से मिला। जाँच अधिकारी ने पीडब्लू-1 का बयान दर्ज किया

स्वतंत्र गवाह और एक स्थल मानचित्र भी तैयार किया-एक्सबी। का-25। नसीम की बंदूक की दुकान के पास सड़क पर खून का एक पूल देखने के बाद, पीडब्लू-12 ने खून से सना हुआ मिट्टी और घास-एक्सबी के नमूने एकत्र किए। का-26। जाँच अधिकारी ने 12 खाली कारतुस (6 बोर और 6 बोर) भी एकत्र किए।

पीतल)-एक्सबी। का-27 परमा पंडित के घर के सामने। भारतीय रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा जारी एक समाप्त हो चुका मानार्थ कार्ड (रेलवे यात्रा कार्ड)। केए-28 को उसने नसीम की बंदूक की दुकान के सामने भी बरामद किया था, उस कार्ड पर अशोक कुमार चंदेल का नाम था। जिस जोंगा से पीडब्लू-1 घटना स्थल पर गया था, उसके साथ फुटरेस्ट का एक टुकड़ा भी जब्त किया गया था, जिस पर खून था, जोंगा के सामने के कांच के टूटे हुए टुकड़े का एक नमूना और मौके पर पड़े कांच के कुछ टुकड़े, उन सभी को बाद में-एक्सबी के रूप में चिह्नित किया गया था। का-29।

7 एफ. आई. आर. नं. 34/1997 और एफ. आई. आर. नं. 35/1997 . 8 पंचनामा को उच्च न्यायालय के साथ-साथ निचली अदालत के फैसले में 'पंचायतनामा' के रूप में संदर्भित किया गया है। वर्तमान अपीलों के प्रयोजनों के लिए, हम 'पंचनामा' शब्द का उपयोग करेंगे।

अशोक कुमार सिंह चंदेल बनाम। यू. पी. राज्य [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।]

हरिश्चंद्र सिंह उपस्थित थे और शवों के पंचनामे तैयार कर रहे थे। सभी शवों को अलग-अलग सील कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। राकेश शुक्ला, राजेश शुक्ला और श्रीकांत पांडे के शवों का पोस्टमार्टम अगले दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच पीडब्लू द्वारा किया गया। इसी तरह गुड्डु और वेद प्रकाश का पोस्टमॉर्टम भी 2 बजे के बीच किया गया था।

पी. एम. और पी. डब्ल्यू. द्वारा 2:30 पी. एम.-611।

गिरफ्तारियांः

12. अगले दिन, यानी आई. डी. 1 पर, जांच अधिकारी को पता चला कि कुछ आरोपी लक्ष्मीबाई तिराहा के पास गए।

वे नसीम के घर पर थे। मौके पर पहुंचने पर पुलिस दल ने

नसीम (ए 6), श्याम सिंह (ए 7), साहब सिंह (ए 8) और भान सिंह (ए 10) को नसीम के घर के पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश करते हुए पाया।

बेतवा नदी की ओर जाता है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और साहब सिंह (ए 8) के कब्जे से ग्रीन बेल्ट में बंधी 10 पीतल की गोलियों के साथ एक राइफल बरामद की गई। राइफल के बारे में पूछे जाने पर साहब सिंह ने कहा कि राइफल अशोक कुमार चंदेल की थी। जब्त की गई राइफल और

गोलियों को एक्सबी के रूप में चिह्नित किया गया था। केए-24 और उन्हें एफएसएल रिपोर्ट के लिए भेजा गया। जब्ती ज्ञापन की एक प्रति साहब सिंह को प्रदान की गई थी। जब्ती ज्ञापन के आधार पर आरोपी साहब सिंह (ए 8) और अशोक कुमार चंदेल (ए 5) के खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और 30 के तहत मामले दर्ज किए गए।

28.01.1997 पर अदालत में प्रस्तुत किया गया। उसी दिन राजेश कुमार शुक्ला की लूटी गई राइफल के बारे में जानकारी मिलने पर मोहल्ला विवेक नगर में अशोक कुमार चंदेल के घर पर छापा मारा गया और एक देसी पिस्तौल और एक लाइसेंस प्राप्त डबल बैरल ब्रीच लोडिंग (डी. बी. बी. एल.) बंदूक बरामद की गई।

14. श्री आनंद पुरवार के आवास पर लूटी गई राइफलों के बारे में एक और सुराग मिला था। लेकिन इस संबंध में कुछ भी नहीं

9 राकेश शुक्ला (Exb. का-30); राजेश शुक्ला (Exb. का-37); श्री कांत पांडे (Exb. का 43); गुड्डू (Exb. का-48); वेद प्रकाश (एक्सबी का-53)।

10 राकेश शुक्ला (Exb. का-3); राजेश शुक्ला (Exb. का-4); श्री कांत पांडे (Exb. का-5)। 1 1 गुड्डु (Exb. का-6); वेद प्रकाश (Exb. का-7)।

12 इसके बाद 'Cr.P.C' [2022] 12 एस. सी. आर. के रूप में संदर्भित किया गया है।

छापे में 12 बोर की एक लाइसेंस प्राप्त डी. बी. बी. एल. बंदूक, चार कारतुस और 8 कारतुसियों के साथ एक लाइसेंस प्राप्त मौसर बंदूक को छोड़कर हत्याएं बरामद की गईं। इन्हें स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में जब्त कर लिया गया और इसकी एक प्रति आनंद पुरवार को प्रदान की गई। इन हथियारों को फोरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा गया था।

15. 29.01.1997 पर, पंचनामे के गवाहों के बयान दर्ज किए गए। घटना के दिन मौजूद भगवती सरन नायक का धारा 161, Cr.P.C बयान दर्ज किया गया था, हालांकि पीड़ित विपुल और चंदन का बयान दर्ज नहीं किया जा सका क्योंकि वे बहुत छोटे थे। जाँच अधिकारी (पीडब्लू-12) ने भी 16.02.1997 पर हरदयाळ का बयान दर्ज किया।

16. अभियुक्त की उपस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर

रघुवीर सिंह (ए 1), डब्बू (ए 2), प्रदीप (ए 4) और उत्तम (ए 3), शहर के जंगल के पास एक मारुति कार में, उन्हें देखा गया और 01.02.1997 पर गिरफ्तार किया गया।

17. अशोक कुमार चंदेल के कानपुर स्थित आवास पर एक और छापेमारी की गई, हालांकि कोई हथियार बरामद नहीं हुआ। रघुवीर (ए 1) और डब्बू (ए 2) द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों के बारे में जानकारी मिलने पर उनके मुरादाबाद स्थित आवास पर छापा मारा गया लेकिन कुछ भी बरामद नहीं हो सका। बाद में, अदालत के एक गवाह को भी हथियारों की बरामदगी के लिए फिर से मुरादाबाद भेजा गया, लेकिन कुछ भी बरामद नहीं हुआ।

18. 21.02.1997 पर, आरोपी झंडू (A9) को गिरफ्तार कर लिया गया और उसका धारा 313 Cr.P.C बयान दर्ज किया गया। जैसा कि आरोपी रक्कू था

फरार, उसके मुकदमे को वर्तमान मामले से अलग कर दिया गया था। अंततः, उन्हें निचली अदालत द्वारा 12.04.2007 पर दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उनकी दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.05.2019 के फैसले द्वारा की गई थी। उन्होंने हमारे सामने विशेष अनुमति याचिका दायर नहीं की है।

19. जाँच पूरा होने पर, एक आरोप पत्र, एक्स. बी. केए 58,10 अभियुक्तों के खिलाफ 22.02.1997 पर दर्ज किया गया था और मामला निर्धारित किया गया था

मुकदमा।

मुकदमाः

20. निचली अदालत ने अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय किए

धारा 147,148 और धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के तहत 25.01.2002 पर,

सभी 10 अभियुक्तों के खिलाफ आई. पी. सी. और क्रमशः साहब सिंह और अशोक कुमार चंदेल के खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और 30 के तहत। निचली अदालत ने अशोक कुमार चंदेल के खिलाफ आईपीसी की धारा 379 और 404 के तहत भी आरोप तय किए। अभियोजन पक्ष ने जहां पी. डब्ल्यू.-1 से पी. डब्ल्यू.-14 तक के चौदह गवाहों की जांच की, वहीं बचाव पक्ष ने डी. डब्ल्यू.-1 से डी. डब्ल्यू.-3 तक के तीन गवाहों की जांच की। अदालत का एक गवाह सी. डब्ल्यू.-1 भी था।

21. निम्नलिखित अभियोजन पक्ष के गवाह हैं जिनसे उस उद्देश्य के बारे में संकेत मिलता है जिसके लिए उनसे पूछताछ की गई थी।

पीडब्लू-1

राजीव शुक्ला, मुखबिर और घायल चश्मदीद गवाह

रविकांत पांडे, घायल चश्मदीद-गवाह

पीडब्लू-2

सरस्वती शरण, लेखिका

पीडब्लू-3

मलखान सिंह, एस. आई., एम. टी. 33 वीं बटालियन पी. ए. सी., झांसी

पीडब्लू-4 पीडब्लू-5

डॉ. पी. एन. पाया, सर्जन जिला अस्पताल, हमीरपुर

पीडब्लू-6

डॉ. आर. एस. गुप्ता, बाल रोग विशेषज्ञ, जिला अस्पताल, हमीरपुर

डॉ. एस. आर. गुप्ता, रेडियोलॉजिस्ट, जिला अस्पताल, हमीरपुर

पीडब्लू-7

डॉ. एन. के. गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल, हमीरपुर

पीडब्लू-8

सिपाही, महेश सिंह, सिपाही, पी. एस. कोठवाली,

पीडब्लू-9

हमीरपुर

मुन्नालाल मिश्रा, प्रमुख मोहरिर, पी. एस. कोठवाली, हमीरपुर

पीडब्लू-10

आफताब अली, आफताब अली, सिपाही। कोठवाली, हमीरपुर

पीडब्लू-11

लालमन वर्मा, प्रभारी निरीक्षक, जांच अधिकारी,

पीडब्लू-12

पी. एस. कोटवाली हमीरपुर

पीडब्लू-13

के. डी. पाल, उप-निरीक्षक, पी. एस. कोटवाली हमीरपुर

पीडब्लू-14 सुखराम सोनकर, पुलिस उपाधीक्षक, सीडीसीआईडी

कोर्ट एस. आई. रामसुरत मिश्रा, द्वितीय अधिकारी, (एस. आई.), पी. एस. कोटवाली

22. बचाव पक्ष के गवाह निम्नलिखित हैं।

डी. डब्ल्यू.-1 लालराम कुशवाह-कार्यकारी अभियंता, विद्युत वितरण

डिवीजन, हमीरपुर

डी. डब्ल्यू.-2 प्रेमदास सलोनीया, जेलर, जेल, हमीरपुर

डी. डब्ल्यू.-3 अखिलेश कुमार, कांस्टेबल क्लर्क, सतर्कता कार्यालय, पुलिस का कार्यालय

पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर

23.1 सभी गवाहों में से, अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के साक्ष्य पर दृढ़ता से भरोसा किया, जिनसे घायल चश्मदीद गवाहों के रूप में पूछताछ की जाती है।

2] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

23.2 पीडब्लू-1 ने अपनी गवाही में घटनाओं का विस्तृत विवरण दिया।

घटना स्थल पर। उन्होंने पहली और दूसरी घटना के बारे में गवाही दी, जिसमें घटना के समय मृतक के साथ-साथ चश्मदीद गवाह भी शामिल थे। उन्होंने आरोपी व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों, मृतक व्यक्तियों को लगी चोटों और जोंगा पर गोलियों के निशान के बारे में भी गवाही दी। पीडब्लू-1 ने घटना के बाद की घटनाओं का भी वर्णन किया, जिसमें प्राथमिकी दर्ज करना, अस्पताल में चिकित्सा उपचार और घटना स्थल पर आईओ द्वारा उनका बयान दर्ज करना शामिल है।

23.3 अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अन्य नेत्र गवाह है

रविकांत पांडे, पीडब्लू-2. उन्होंने दूसरी घटना के दौरान अपनी उपस्थिति और बच्चों को जोंगा से बचाने में अपनी भागीदारी के बारे में गवाही दी। उन्होंने घटना के दौरान अपनी स्थिति और उन्हें लगी चोट के बारे में विस्तृत विवरण दिया। उन्होंने मृतक के बारे में भी विस्तार से बताया

लोग

जंगा में, अपने भाई श्रीकांत पांडे सहित सभी अभियुक्तों और गोलीबारी का नाम लेते हुए। उन्होंने आगे अस्पताल में अपने इलाज के बारे में और उन बच्चों के बारे में भी उल्लेख किया जो उनके साथ थे।

24. अन्य गवाह पुलिस अधिकारी और डॉक्टर हैं जो

मृतक व्यक्तियों के साथ-साथ घायल गवाहों के साथ भी व्यवहार किया ऊपर दी गई तालिका में इसका उल्लेख किया गया है। बचाव पक्ष के गवाहों से केवल पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के बयानों का खंडन करने के लिए पूछताछ की गई थी।

विचारण न्यायालय का निर्णयः

25. अपने दिनांक 15.07.2002 के फैसले से, ट्रायल कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया

अभियुक्त। चूँकि यह बरी किए जाने के विरुद्ध अपील में पलटाव का मामला है, विचारण न्यायालय के तर्क और निष्कर्षों की सूक्ष्म विस्तार से जांच करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि बरी किए जाने के खिलाफ अपील में, अपीलीय न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग केवल बहुत महत्वपूर्ण और सम्मोहक कारणों के लिए करना चाहिए। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या उच्च न्यायालय के लिए बरी किए जाने के निष्कर्ष को उलटने के लिए पर्याप्त, बाध्यकारी और पर्याप्त कारण मौजूद हैं, हम पहले निचली अदालत के फैसले की विस्तार से जांच करेंगे। विचारण न्यायालय का निर्णय (क) उद्देश्य, (ख) घटित होने का स्थान, (ग) पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के कथन में विरोधाभास, (घ) हथियारों की बरामदगी (ङ) और

एफ. एस. एल. रिपोर्ट के संबंध में अवैधता।

26.1 मकसदः ट्रायल कोर्ट ने पाया कि अभियोजन विफल रहा

अभियुक्त द्वारा अपराध करने के लिए कोई भी उद्देश्य स्थापित करें। निष्कर्ष तीन आधारों पर आधारित थेः

अशोक कुमार सिंह चंदेल बनाम। यू. पी. राज्य [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।]

26.2 सर्वप्रथम, विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उद्देश्य के आधार पर

पिछली हत्या के एक मामले में श्याम सिंह (ए 7) की कथित संलिप्तता, जिसमें मृतक और उसके सहयोगियों ने अभियोजन पक्ष की सहायता की थी, 'अपर्याप्त' और 'दूरगामी' है।

26.3 दूसरा, ट्रायल कोर्ट ने कथित विरोध को खारिज कर दिया

1996 के विधानसभा चुनावों में अशोक कुमार चंदेल के चुनाव के लिए मृत पार्टी पर्याप्त आश्वस्त नहीं थी। ट्रायल कोर्ट ने यह भी माना कि पीडब्लू-1 राजनीतिक शत्रुता को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर सकता है।

26.4 तीसरा, चंदेल समूह के बीच कथित दुश्मनी

और नसीम-इस्लामिया इंटर कॉलेज, हमीरपुर द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों और शुक्ला समूह-विद्या मंदिर द्वारा समर्थित संस्थानों के प्रतिस्पर्धी हितों पर आधारित शुक्ला समूह किसी भी साक्ष्य पर आधारित नहीं है।

27. घटना का स्थानः निचली अदालत ने दर्ज किया कि घटना

यह दो भागों में हुआ। जहाँ तक पहले भाग का संबंध है, इसने एक निष्कर्ष वापस किया कि "इस घटना के स्थान को चुनौती नहीं दी गई है

बचाव पक्ष और स्वयं नसीम द्वारा गवाह की जिरह के दौरान पूछे गए प्रश्नों से यह स्पष्ट है कि घटना हुई थी। दूसरी घटना के संबंध में, निचली अदालत ने फिर से एक निष्कर्ष निकाला कि "घटना स्थल के निरीक्षण के दौरान जांच अधिकारी को खून मिला लेकिन उसने नहीं पाया।

यहाँ से खून से सना मिट्टी इकट्ठा करें। यह उनकी गलती है लेकिन इससे अभियोजन पक्ष के मामले में कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकलता है।

} }

28. अभियोजन पक्ष का तर्क है कि पूरी घटना पहले की थी

योजना ट्रायल कोर्ट को प्रभावित नहीं कर सकी क्योंकि तीन अलग-अलग मार्ग थे जिनसे मृतक पक्ष अपनी बहन के घर से अपने आवास तक पहुंच सकता था। इसे ध्यान में रखते हुए, निचली अदालत ने कहा कि एक ओर पी. डब्ल्यू.-1 और लल्लन के बारे में और दूसरी ओर नसीम की बंदूक की दुकान के सामने, यानी घटना स्थल पर हुई जोंगा बैठक में राकेश शुक्ला और अन्य के बारे में कोई निश्चितता नहीं थी। निचली अदालत ने कहा कि यह

अभियुक्त पक्ष द्वारा घात लगाने के लिए बैठक की उम्मीद नहीं की जा सकती थी।

29. तहरीर से नक़ल की गई एफ़. आई. आर. की सामग्री में अंतरः

ट्रायल कोर्ट ने तहरीक की जाँच की और इसकी तुलना एफ़. आई. आर. से की। विसंगतियों को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उजागर किया गया था कि

10-15 मिनटों के भीतर तहिरीर लिखने की असंभवता और

इस निष्कर्ष पर पहुँचना कि एफ़. आई. आर. पूर्व-दिनांकित और खंडित है।

आई.

ट्रायल कोर्ट ने इस कारण से एफ़. आई. आर. पर संदेह किया कि

तहरीर में शब्द और वाक्यांश नहीं थे। चूंकि तहरीर में 'टाटा' जैसे शब्दों को 'और' से बदल दिया गया था और प्राथमिकी में 'टाटा मेरे पर मी गोलिया लगी' वाक्य को हटा दिया गया था, इसलिए निचली अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि प्राथमिकी पूर्व-दिनांकित और खंडित थी। यह भी नोट किया गया कि जबकि तहरीर प्रार्थना के साथ समाप्त होता है
पुलिस सुरक्षा के लिए, एफ़. आई. आर. उसी पर चुप है।

ii.

उस समय को ध्यान में रखते हुए जब पीडब्लू-1 चिकित्सकीय रूप से था

जाँच के बाद (रात 8:30 बजे), तहिरीर को लिखने के लिए पीडब्लू-3 को घटना के बारे में उसके कथन के बाद, ट्रायल कोर्ट ने माना कि तहिरीर को 10-15 मिनटों के भीतर तैयार नहीं किया जा सकता था। यह निष्कर्ष निचली अदालत द्वारा पीडब्लू-1 के बयान पर उनकी चिकित्सा जांच और प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में की गई गणना पर आधारित था। इसके अलावा, ट्रायल कोर्ट ने माना कि तहिरीर को बिना किसी गलती के सावधानीपूर्वक लिखा गया है, जिसे 30 मिनट से कम समय में किया जाना संभव नहीं है। इस कारण से, निचली अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि तहरीक खुद संदिग्ध है

और इसलिए, एफ़. आई. आर. भी संदिग्ध है।

30. एफ. आई. आर. दर्ज करने के समय में विरोधाभासः द ट्रायल

टी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इसमें विसंगतियां हैं

पी. डब्ल्यू.-1 ने एफ. आई. आर. दर्ज करने के बारे में जानकारी दी। इस खोज से पता चला कि

उपयोग कि अभियोजन पक्ष ने तथ्य को एक से परे साबित नहीं किया है संदेह पैदा करना। यह निष्कर्ष निम्नलिखित आधारों पर आधारित थाः

आई.

जबकि एफ़. आई. आर. में कहा गया है कि घटना 7 बजे हुईः 30

प्रधानमंत्री, पुलिस अधीक्षक द्वारा भेजे गए फैक्स में घटना का उल्लेख शाम 7:45 बजे किया गया है। इस अंतर्विरोध ने अभियोजन पक्ष की कहानी, विशेष रूप से अभियोजन पक्ष की सच्चाई पर संदेह पैदा कर दिया।

पीडब्लू-1 का विवरण।

ii.

पीडब्लू-1 के बयान के आधार पर कि उन्होंने जगह छोड़ दी

घटना के 10-15 मिनट बाद और 3-4 मिनट के भीतर अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद पीडब्लू-8 द्वारा रात 8:30 बजे उनकी जांच की गई, ट्रायल कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि घटना रात 7:30 बजे नहीं बल्कि रात 8 बजे ही हो सकती थी। निचली अदालत के अविश्वास करने का एक और कारण

पीडब्लू-1 का कथन।

अशोक कुमार सिंह चंदेल बनाम। यू. पी. राज्य [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।]

31. हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक द्वारा भेजा गया फैक्सः द ट्रायल

अदालत ने हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से उच्च अधिकारियों को घटना की सूचना देने वाले फैक्स संदेश पर बहुत भरोसा किया। यह फ़ैक्स संदेश, हालांकि नहीं

जाँच का हिस्सा बचाव पक्ष द्वारा डी. डब्ल्यू.-3 के माध्यम से पेश किया गया था। एफ. आई. आर. में घटनाओं का विवरण फैक्स में वर्णित घटनाओं के बिल्कुल विपरीत है। फैक्स पर भरोसा करते हुए और डी. डब्ल्यू.-3 के साक्ष्य को स्वीकार करते हुए, निचली अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे, एफ. आई. आर. में उल्लिखित समय पर घटना की घटना, उद्देश्य, उपस्थिति को साबित करने में विफल रहा।

अभियुक्त व्यक्ति आदि। चूंकि फैक्स पीडब्लू-1 के बयान का खंडन करता है, इसलिए उसके पूरे साक्ष्य को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

32. घायल नेत्र-गवाह पीडब्लू-1 की गवाही पर विचारण न्यायालयः पी. डब्ल्यू.-1 के साक्ष्य को अस्वीकार करने का विचारण न्यायालय का कारण

प्रत्यक्षदर्शी अपने बयान में निम्नलिखित विसंगतियों के बारे में अपने निष्कर्षों पर आधारित हैः

गोली के आधार पर पीडब्लू-1 के बयान की सच्चाई

आई.

जोंगा पर निशानः जोंगा पर गोलियों के निशान को ध्यान में रखते हुए, निचली अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि पीडब्लू-1 का यह कथन कि अंधाधुंध गोलीबारी हुई थी, अविश्वसनीय है। ट्रायल कोर्ट ने माना कि जोंगा के पीछे की ओर केवल एक गोली का छेद था, जबकि ड्राइवर की तरफ आंशिक रूप से टूटे हुए दर्पण को छोड़कर, जोंगा के अन्य हिस्से बरकरार थे। इस आधार पर, निचली अदालत ने विश्वास नहीं किया कि उस पर अंधाधुंध गोलीबारी हुई थी अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा जोंगा।

पीडब्लू-1 के कथन की सच्चाई क्योंकि यह विरोधाभासी है

ii.

उसे लगी चोटेंः पीडब्लू 1 के इस कथन के आधार पर कि वह जोंगा के गैर-चालक पक्ष में था, ट्रायल कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस संस्करण को नहीं कहा जा सकता है। उनका मानना था कि उनके द्वारा की गई चोटें उनके स्वयं के विवरण से मेल नहीं खाती हैं जैसे कि यह सच था, वह गोलीबारी की सीधी रेखा में होता और न्याय के साथ बच नहीं सकता था।

पैर में एक गोली लगी है।

चोटों के आधार पर पीडब्लू-1 के बयान की सच्चाई

iii.

मृतक व्यक्तियों द्वारा अनुरक्षितः निचली अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि राकेश कुमार शुक्ला के शरीर पर बंदूक की गोली के घाव पीडब्लू [2022] 12 एस. सी. आर. के विवरण से मेल नहीं खाते हैं।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

1. इसी तरह, श्री कांत, वेद प्रकाश और गुड्डा द्वारा प्राप्त गोली के घावों के वर्णन के विपरीत थे

पीडब्लू-1 द्वारा उनके संस्करण पर अविश्वास करने के लिए घटनाएँ। इसके अलावा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि घटना की पुष्टि करने के लिए कोई स्वतंत्र गवाह नहीं थे, निचली अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष पीडब्लू-1 की उपस्थिति और बदले में घटना को स्थापित करने में विफल रहा।

के आधार पर पीडब्लू-1 के कथन की सत्यता

अस्पताल में उपचार से संबंधित दस्तावेजी प्रमाणः ट्रायल कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि मेडिकल रजिस्टर में की गई प्रविष्टियां पिछली तारीख की थीं क्योंकि उपचार को आगे बढ़ाने के लिए किए गए किसी भी भुगतान के संबंध में कोई रिकॉर्ड नहीं था। पीडब्लू-8 द्वारा तैयार चोट रिपोर्ट ने संकेत दिया कि पीडब्लू-1 पर चोटें बाएं घुटने पर थीं, जबकि जी. डी. प्रविष्टि में उल्लेख किया गया था कि पट्टी उनके बाएं पिंडली पर थी। इसके कारण निचली अदालत को पीडब्लू-1 पर लगी चोट पर विश्वास नहीं करना पड़ा। इसके अलावा, पीडब्लू-1 की चिकित्सा जांच के संबंध में, यह देखा गया कि बेड हेड टिकट के साथ-साथ चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट में समय, तिथि, माता-पिता के नाम के साथ-साथ चोट के स्थान के संबंध में कुछ विसंगतियां थीं, जिसमें अधिक लेखन और कटिंग थी। इन कारकों के कारण, पीडब्लू-1 की चोटों के साथ-साथ चिकित्सा

सबूतों पर विश्वास नहीं किया गया।

दूसरी घटना के दौरान पीडब्लू-1 द्वारा अप्राकृतिक व्यवहारः दूसरी घटना में पीडब्लू-1 की उपस्थिति पर भी निचली अदालत ने इस आधार पर अविश्वास किया कि उसका व्यवहार अप्राकृतिक है। इस तरह के निष्कर्ष का कारण यह है। निचली अदालत ने महसूस किया कि पीडब्लू-1 को स्वाभाविक रूप से राजेश शुक्ला और रविकांत पांडे को घटना के बारे में बताना चाहिए था क्योंकि वे घटना स्थल पर पहुंचे थे। इसके अलावा, निचली अदालत ने कहा कि अगर गोलीबारी अंधाधुंध थी, तो वह मामूली विवरण के साथ घटना का वर्णन नहीं कर सकता था कि किस बंदूक का इस्तेमाल किया गया था। इस संदर्भ में, निचली अदालत ने यह भी नोट किया कि पीडब्लू-1 को उन व्यक्तियों को याद नहीं है जो घटना के समय बच्चों विपुल और चंदन को घर ले गए थे।

घटना के समय बिजली कनेक्शन के संबंध में पीडब्लू-1 के बयान की सच्चाईः द. ट्रायल कोर्ट ने डी. डब्ल्यू.-1, एग्जीक्यूटिव अशोक कुमार सिंह चंदेल बनाम के साक्ष्य पर विश्वास किया।

यू. पी. राज्य [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।]

बिजली वितरण प्रभाग, हमीरपुर के इंजीनियर ने कहा कि शाम 7.5 बजे से रात 8.45 बजे के बीच बिजली नहीं थी। इसे देखते हुए, निचली अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि पीडब्लू-1 घटना का चश्मदीद गवाह नहीं हो सकता क्योंकि वह न तो आरोपी की पहचान कर सकता था और न ही घटना को स्पष्ट रूप से देख सकता था।

33. गवाही के चश्मदीद गवाह पर ट्रायल कोर्ट, पीडब्लू-2: निचली अदालत ने घटना के दूसरे स्थान पर पीडब्लू-2 की उपस्थिति को इस निष्कर्ष के आधार पर अस्वीकार कर दिया कि उसके शरीर पर चोट किसी की नहीं थी।

बन्दूक। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि इस गवाह पर विश्वास नहीं किया जा सकता है

उनके बयान में एक विरोधाभास है कि वास्तव में किसने लिया था बच्चे, विपुल और चंदन घर। इसके अलावा, निचली अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि पीडब्लू-2 का आचरण और व्यवहार अप्राकृतिक है क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया था

गोली लगने के तुरंत बाद अस्पताल जाएं और ऐसा भी किया घटना के दौरान मारे गए अपने भाई के साथ नहीं।

34. हथियारों की बरामतः

निचली अदालत ने अभियोजन पक्ष की कहानी पर विश्वास नहीं किया

आई.

गिरफ्तारी के दौरान साहब सिंह से 8x60 बोर की राइफल की बरामदगी के बारे में, क्योंकि यह पुलिस अधीक्षक द्वारा भेजे गए फैक्स संदेश का खंडन करता है जिसमें उल्लेख किया गया था साहब सिंह से एक 0.315 बोर राइफल की बरामदगी। इस अंतर्विरोध के आधार पर, निचली अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि वसूली

साहब सिंह से गलत है क्योंकि दो अलग-अलग राइफलें हैं

इसका उल्लेख दो अलग-अलग दस्तावेजों में किया गया है।

ii.

निचली अदालत को यह अजीब लगा कि पीडब्लू-12 ने केवल अशोक की तलाशी ली

हत्या के हथियारों के लिए कुमार चंदेल और रघुवीर का मुरादाबाद का घर, और दूसरे का कोई घर नहीं

अभियुक्तों की तलाशी ली गई।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि न्यायालय का गवाह (सी. डब्ल्यू.-1) कर सकता है

आई 11।

मुरादाबाद के घर से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ, ट्रायल कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि पूरी जांच दुर्भावनापूर्ण थी

इसका उद्देश्य अशोक कुमार चंदेल को फंसाना था।

ट्रायल कोर्ट ने हथियार की जब्ती को अस्वीकार कर दिया और

iv.

पी. डब्ल्यू.-14 डीवाई के बयान के रूप में साहब सिंह के गोलियों के कारतुस। पुलिस अधीक्षक, सी. बी. सी. आई. डी. ने कहा कि पी. डब्ल्यू.-11 और 12 ने उन्हें बताया कि उन्होंने 18 गोलियां बरामद की हैं, जो सबूत पी. डब्ल्यू.-11 और 12 के विपरीत है जिन्होंने कहा कि उन्होंने 10 गोलियां बरामद की हैं।

2] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

36. अशोक चंदेल से संबंधित रेलवे मानार्थ कार्ड की घटना स्थल से वसूलीः निचली अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मनार्थ कार्ड उस स्थान से बरामद किया गया घटना की अवधि 12.01.1994 पर समाप्त हो गई थी जो घटना से तीन साल पहले की है। विचारण न्यायालय ने यह भी पाया कि उक्त

अन्य सबूतों की तरह मनार्थ कार्ड को सील और मुहर नहीं लगाई गई थी। हालांकि निचली अदालत ने इस बात पर विवाद नहीं किया कि रेलवे मानार्थ कार्ड अशोक कुमार चंदेल का था, लेकिन उसे घटना स्थल से बरामद होने पर संदेह था।

37. उपरोक्त निष्कर्षों और निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, निचली अदालत ने सभी अभियुक्तों को सभी आरोपों से बरी कर दिया। 38. निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए राज्य ने आपराधिक अपील की और सूचना देने वाले (पीडब्लू-1) ने आपराधिक पुनरीक्षण दायर किया

उच्च न्यायालय के समक्ष।

उच्च न्यायालय का निर्णयः

39. हमने निचली अदालत द्वारा अपनाए गए कारणों और निष्कर्षों का विस्तृत विवरण केवल यह देखने के लिए लिया है कि क्या उच्च न्यायालय

जबकि दोषमुक्ति के आदेश को उलटने के पास विचारण न्यायालय के तर्क में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त और ठोस कारण हैं। उच्च न्यायालय के फैसले की कड़ी जांच आवश्यक है क्योंकि बरी करने के आदेश में केवल ठोस और सम्मोहक कारणों से हस्तक्षेप किया जा सकता है। इसके बाद

विचारण न्यायालय द्वारा अपनाई गई वही संरचना, हम विचारण न्यायालय के प्रत्येक निष्कर्ष के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए कारणों पर विचार करेंगे और उनकी जांच करेंगे। 40. जैसा कि पहले कहा गया था, उच्च न्यायालय ने अपील में सभी अभियुक्तों को आई. पी. सी. की धारा 148,302,149,307 के साथ 149 के तहत दोषी ठहराया और आरोपी अशोक कुमार चंदेल को आई. पी. सी. की धारा 379 और 404 और शस्त्र अधिनियम की धारा 30 के तहत बरी कर दिया। साहब सिंह को शस्त्र अधिनियम की 25 धाराओं से भी बरी कर दिया गया था। उच्च न्यायालय के निष्कर्ष इस प्रकार हैंः

41. मकसदः उच्च न्यायालय ने कहा कि यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि चंदेल समूह के लिए एक उद्देश्य मौजूद था

मृतक और उनके आदमियों के विरुद्ध अपराध करना। उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि राकेश कुमार अशोक कुमार सिंह चंदेल बनाम।

यू. पी. राज्य [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।]

रमाकांत पांडे (मृतक श्री कांत के भाई) के साथ शुक्ला

मकसद। उसी समय, अशोक कुमार चंदेल की याचिका कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया था और एक पेट्रोल पंप का मालिक आलोक पुरवार उर्फ टीटू हत्याओं के लिए जिम्मेदार था, को खारिज कर दिया गया। उच्च न्यायालय द्वारा क्योंकि कोई सबूत नहीं था।

42. गवाहों के साक्ष्य पर अपने निष्कर्ष निकालने में निचली अदालत द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण का उच्च न्यायालय का विश्लेषण और

गवाहों के साक्ष्य का विश्लेषण करना या दस्तावेजी साक्ष्य से निष्कर्ष निकालना। उच्च न्यायालय के अनुसार निचली अदालत द्वारा अपनाए गए तकनीकी दृष्टिकोण ने न्याय की गंभीर विफलता का कारण बना है। प्रत्येक मुद्दे पर निम्नलिखित तरीके से विचार करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा इसकी व्याख्या की गई है। 43. एफ़. आई. आर. और तहरीक में विसंगतियाँः उच्च न्यायालय की राय थी कि तहरीक और एफ़. आई. आर. को समझने में निचली अदालत द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण अति तकनीकी था। उच्च न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष द्वारा इसमें चूक के लिए दिया गया स्पष्टीकरण

एफ. आई. आर. वास्तविक होनी चाहिए क्योंकि जाँच अधिकारी पी. डब्ल्यू.-9 पर दबाव बना रहा था जिन्होंने रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान करने के लिए एफ. आई. आर. तैयार की और इसलिए, यह मान लेना उचित है कि ऐसी चूक हो सकती थी।

इसके अलावा, एक लंबी रिपोर्ट लिखते समय कुछ शब्दों के छूट जाने की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और इसलिए गलतियों पर विचार किया गया। प्रामाणिक है। इस आरोप को खारिज करते हुए कि प्राथमिकी पूर्व-समय पर दर्ज की गई है, उच्च न्यायालय ने कहा कि पीडब्लू-1 का अस्पताल में रात 8:30 बजे इलाज होने के बाद वह प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन जा सकता है और उसकी चोटों की प्रकृति को देखते हुए इसमें कुछ भी अप्राकृतिक नहीं है। उच्च न्यायालय ने घटनास्थल के नक्शे की जांच की जिसके अनुसार अस्पताल और पुलिस स्टेशन निकटता में थे। दस्तावेजी साक्ष्य ने पीडब्लू-1 के इस कथन का समर्थन किया कि वह उचित उपचार के लिए अस्पताल लौटे और अगले दिन सुबह 09.00 पर उन्हें छुट्टी दे दी गई।

44. पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 की गवाहीः उच्च न्यायालय की राय थी कि निचली अदालत द्वारा अस्वीकृत करने में अपनाया गया दृष्टिकोण

पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 का प्रमाण अति-तकनीकी था। शुरुआत में, घटना के स्थान और घटना की घटना पर भी विचारण न्यायालय को संदेह नहीं था। पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के घायल गवाह होने के साक्ष्य को मामूली विसंगतियों के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पाए गए प्रत्येक अंतर्विरोध और विसंगतियों की जांच की और निष्कर्ष निकाला कि यह एक अटकलबाजी के आधार पर तैयार किया गया था। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "ऐसा प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा किए गए उपरोक्त विश्लेषण का अवलोकन इस भाग पर किए गए बहुत सारे अनुमानों के साथ सावधानीपूर्वक किया गया है।" इस संदर्भ में, उच्च न्यायालय ने यू. पी. बनाम राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया। गोकरन और ओआरएस 1 5। इस मामले में, सर्वोच्च

मामला। 45. डी. डब्ल्यू.-1, कार्यकारी अभियंता, विद्युत वितरण प्रभाग, हमीरपुर के साक्ष्य के आधार पर निचली अदालत के निष्कर्ष को पलटते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि घटना के समय बिजली नहीं थी, डी. डब्ल्यू.-1 के अनुसार भी वह निश्चित नहीं था कि सुभाष बाजार से बिजली कनेक्शन किस चरण से जुड़ा था। फिर भी, उच्च न्यायालय ने महसूस किया कि निचली अदालत का फैसला अनुमानों और अनुमानों पर आधारित है, विशेष रूप से जब प्रत्यक्ष रूप से घायल चश्मदीद गवाह थे।

15 (1984) मान लीजिए एस. सी. सी. 482।

46. पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के बयानों में उनकी स्थिति और लगी चोटों के संबंध में विरोधाभास के सवाल पर, यह माना गया कि निचली अदालत ने उनकी गवाही को खारिज कर दिया क्योंकि अंधाधुंध गोलीबारी की स्थिति में, किसी भी गवाह के लिए यह याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वास्तव में कौन किस पर और किस सटीक दिशा से गोली चला रहा था। यह भी देखा गया कि एक घायल गवाह से मृतक और अन्य घायल व्यक्तियों द्वारा प्राप्त प्रत्येक चोट के बारे में स्पष्ट रूप से गवाही देने की उम्मीद करना बहुत अधिक है। उच्च न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत ने यह पता लगाने पर अधिक ध्यान दिया कि घायल और मृतक को किस स्थिति में बैठने की स्थिति में कौन सी विशेष चोट लगी थी, न कि पूरी घटना को देखने पर। तकनीकी आधार पर गवाह की उपस्थिति पर संदेह करने वाले निचली अदालत के निष्कर्षों को उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था।

47. घटना के ठीक बाद पीडब्लू-2 के आचरण पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय को कुछ भी अप्राकृतिक नहीं लगा। पीडब्लू-2 को देखने के लिए कहा गया था

घायल बच्चों विपुल और चंदन के बाद वह घर चला गया और यह पूरी तरह से स्वाभाविक है।

48. हथियारों की पुनर्प्राप्तिः उच्च न्यायालय ने (क) द्वारा भेजे गए फैक्स संदेश के संबंध में निचली अदालत के निष्कर्षों को खारिज कर दिया।

पुलिस अधीक्षक ने रिकवरी मेमो के विपरीत 0.315 बोर राइफल के साथ साहब सिंह की गिरफ्तारी का उल्लेख किया जिसमें उल्लेख किया गया था

8 साहब सिंह से x60 बोर की राइफल बरामद की गई (ख) गिरफ्तारी और बरामदगी के दौरान एक सार्वजनिक गवाह से पूछताछ नहीं की गई (ग) निम्नलिखित कारणों से आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान की गई तलाशी। 49. उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि निचली अदालत ने इस निर्णय पर पहुंचने में गलती की कि फैक्स संदेश के आधार पर साहब सिंह से कोई वसूली नहीं की गई थी। उच्च न्यायालय ने पाया कि ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष विकृत थे क्योंकि महाद्वीपीय प्रणाली में 0.315 बोर राइफल जिसका माप मिलीमीटर (मिमी) में होता है, एक 8x60 बोर राइफल के अलावा और कुछ नहीं है जो ब्रिटिश एनोटेशन प्रणाली है। हालाँकि, वसूली की वैधता पर, उच्च न्यायालय ने माना कि जब्ती की पुष्टि एक स्वतंत्र गवाह द्वारा नहीं की गई थी और इसलिए यह

साहब सिंह (ए 8) के साथ-साथ अशोक कुमार चंदेल को भी बरी कर दिया। (ए 5) शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और 30 के तहत।

50. मानार्थ कार्ड पुनर्प्राप्तिः पुनर्प्राप्ति के संबंध में

अशोक कुमार चंदेल से संबंधित मानार्थ कार्ड (रेलवे यात्रा कार्ड) का संबंध है, क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा [2022] 12 एस. सी. आर. के लिए घटना को खारिज करने से बहुत पहले कार्ड को त्यागने का निचली अदालत का निर्णय समाप्त हो गया था।

इसका कारण यह है कि यह असामान्य नहीं है कि लोग समाप्ति की तारीख के बाद भी पास या पहचान पत्र ले जाते हैं। उच्च न्यायालय के अनुसार, वसूली

कार्ड की वैधता घटना से पहले समाप्त हो जाने के कारण कार्ड को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि जांच अधिकारी के पास अशोक कुमार चंदेल को गलत तरीके से फंसाने के लिए कुछ भी नहीं है।

51. बैलिस्टिक रिपोर्टः बैलिस्टिक रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि रिपोर्ट निदेशक/उप निदेशक में से एक द्वारा भेजी गई थी

मुहर के नीचे उक्त प्रयोगशाला के निदेशक/सहायक निदेशक। यह धारा 239 Cr.P.C के तहत वैधानिक आवश्यकता के अनुपालन में है और इसलिए रिपोर्ट को खारिज नहीं किया गया था और इसे स्वीकार्य माना गया था।

52. अपने निष्कर्षों के समर्थन में, उच्च न्यायालय ने मसाला बनाम में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया। उत्तर प्रदेश राज्य 1; प्रवीण कुमार बनाम। कर्नाटक राज्य "; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम। गोकरन और ओआरएस 1 8 18; मेनोका मलिक और ओआरएस वी। पश्चिम बंगाल राज्य और धारा 9।

अपीलार्थियों की ओर से प्रस्तुतियाँः

53. अपीलों के इस समूह में, हमने श्री हरिन पी रावल, श्री सिद्धार्थ दवे, श्री जयंत मुथुराज, श्री रत्नाकर दास, श्री बसव को सुना।

प्रभु पाटिल, श्री विश्वजीत सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, उनके बाद सुश्री बांसुरी स्वराज, अपीलार्थियों की ओर से अधिवक्ता। हमने यह भी सुना है, सुश्री ऐश्वर्या भाटी, लर्नड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और श्री ए. के. मिश्रा, यू. पी. राज्य के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता और सुश्री सोनिया माथुर, मुखबिर की वरिष्ठ अधिवक्ता।

54. वरिष्ठ वकीलों की सहायता एस/श्री शिव कुमार पांडे, अभय राज सिंह चंदेल, चंद्रशेखर ए. चकलब्बी,

अवनीश कुमार, अभिनव गर्ग, कुमार, कुमार विनायकम गुप्ता, कार्तिकेय कनोजिया, मेसर्स धर्मप्रभास लॉ एसोसिएट्स, एओआर, एस/श्री संदीप झा, अर्जुन डी. सिंह, आशीष सिंह, अधिवक्ता,

धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, एओआर, उदय प्रकाश यादव, सिमरजीत सिंह

सलुजा, सुश्री प्रेरणा ढल्ल, सुश्री नूर रामपाल, सुश्री आस्था मेहता, सुश्री इशिता सिन्हा, एस/श्री रोहित पांडे, मुरारी तिवारी, अधिवक्ता, रामजी पांडे, एओआर, सुश्री मनीषा चावा, श्री रुस्तम सिंह चौहान, सुश्री बी. एल. एन. शिवानी, श्री राजीव कुमार दुबे, सुश्री हर्षिता रघुवंशी,

16 (1964) 8 एससीआर 133।

17 (2003) 12 एससीसी 199। 18 सुप्रा नं. 15 .

19 (2019) 18 एससीसी 721।

अशोक कुमार सिंह चंदेल बनाम। यू. पी. राज्य [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।]

सुश्री श्रेयस अग्रवाल, श्री आशिवन मिश्रा, अधिवक्ता, एस/श्री कमलेंद्र मिश्रा, शशांक सिंह, एओआर, अनुपम चौधरी, मनोज

कुमार द्विवेदी, मृणाल कुमार शर्मा, सुश्री एना उपाध्याय, श्री आकाश सिंह, सुश्री मान्या हसीजा, अधिवक्ता, एस/श्री प्रेम सुंदर झा, एओआर, पंकज बिस्ट, अधिवक्ता, कृष्णानंद पांडे, एओआर, मनीष कुमार, अधिवक्ता, अंशुमन श्रीवास्तव और श्री नरेश कुमार, एओआर।

55. हम इसका विश्लेषण और उत्तर देने के लिए आगे बढ़ने से पहले अपीलार्थियों के साथ-साथ राज्य के लिए विद्वान वकीलों की प्रस्तुति को शामिल करेंगे।

56. अपीलार्थियों की ओर से दलीलों का नेतृत्व करते हुए ए 5 की ओर से श्री हरिन रावल ने कहा कि बरी किए जाने के खिलाफ अपील के मामले में आरोपी के पक्ष में दोहरी धारणा है। एक अदालत से बरी होने के बाद, उसकी बेगुनाही की धारणा को मजबूत किया जाता है और फिर से पुष्टि की जाती है। इसलिए, यदि दो निष्कर्ष संभव हैं

अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर, तब अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति के निष्कर्ष में बाधा नहीं डालनी चाहिए। उन्होंने एन. विजयकुमार बनाम के इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया। तमिलनाडु राज्य 2 0 उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने बिना कोई कारण बताए परीक्षण न्यायालय के निष्कर्षों को उलट दिया है और केवल यह कहते हुए अपने निष्कर्षों का समर्थन किया है कि परीक्षण न्यायालय का निर्णय मान्यताओं और अटकलों पर आधारित था।

57. अभियोजन पक्ष के मामले के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में है

पीडब्लू-1 के साक्ष्य के आधार पर, उन्होंने इस गवाह के साक्ष्य की विश्वसनीयता और सत्यता पर सही ढंग से ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने तर्क दिया कि मामले की निम्नलिखित विशेषताओं से यह स्पष्ट हो जाएगा कि पीडब्लू-1 अपराध स्थल पर मौजूद नहीं था और उसे चश्मदीद गवाह के रूप में बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

पीडब्लू-1 के अनुसार, वह जोंगा के दाहिने तरफ था।

आई.

(गैर-चालक पक्ष) जब वह मृतक राकेश शुक्ला से बात कर रहे थे, उस समय नसीम की बंदूक की दुकान से कथित 'अंधाधुंध' गोलीबारी शुरू हो गई। यदि यह सच होता, तो इस स्थिति में पीडब्लू-1 की सीधी रेखा होती।
गोली चलाते हुए और पैर में एक गोली की चोट के साथ बच नहीं सकते थे। इसके अलावा, पीडब्लू-8 के साक्ष्य के अनुसार, पीडब्लू-1 पर गोली की चोट उनके बाएं पैर के ऊपरी हिस्से में थी, जो केवल तभी संभव थी जब उनकी पीठ उनके बाएं पैर का सामना कर रही हो।

हमलावर।

20 (2021) 3 एससीसी 687।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चूंकि, पीडब्लू-1 ने कहा था कि वह गैर-चालक पक्ष में था

ii.

और इसी तरह जोंगा में मृत गुड्डा को भी घातक चोटें आईं, यह बहुत ही असंभव है कि पीडब्लू-1 को पहली घटना में कोई चोट नहीं लगी थी, जब वह उस पर मौजूद था। गैर-चालक पक्ष।

पीडब्लू-1 के साक्ष्य के अनुसार, वह उसके सामने खड़ा था।

iii.

पहली घटना के दौरान जोंगा जब वहाँ दर्शक थे। लेकिन उनमें से किसी को भी गवाह नहीं बनाया गया और उनसे पूछताछ नहीं की गई

अभियोजन पक्ष द्वारा।

दूसरी घटना के दौरान, जब मृतक राजेश कुमार

iv.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार शुक्ला 16 गोलियों से घायल हो गए थे, यह बहुत ही असंभव है कि पीडब्लू-1 को मामूली गोली लगेगी

बगल में खड़े होने के दौरान शरीर के निचले हिस्से में चोटें

राजेश को।

पीडब्लू-5 (डॉ. पी. एन. पाया) के साक्ष्य के अनुसार, राकेश

वी.

शुक्ला को बाईं ओर चोटें आईं जो विरोधाभासी है।

दाहिने तरफ जोंगा में उनकी स्थिति।

पीडब्लू-9 ने कहा था कि जब पीडब्लू-1 पुलिस स्टेशन पहुंचा

vi.

एफ. आई. आर. दर्ज करने के लिए, पट्टी उनके बछड़े पर थी, हालाँकि, पीडब्लू-1 की चोट रिपोर्ट के अनुसार, उनकी चोटें उनकी जांघ पर थीं। अगर उन्हें पीडब्लू-8 से तत्काल चिकित्सा उपचार मिला होता तो उनकी जांघों पर पट्टी लगी होती।

पीडब्लू-2 को 2x2 सीएम घाव हुआ जो नहीं हो सकता है।

vii.

राइफल, डी. बी. बी. एल. या एस. बी. बी. एल. बंदूक से। इसलिए, पीडब्लू-1 द्वारा पदच्युत किए गए आग्नेयास्त्रों के विवरण पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, साहब सिंह से बरामद किए गए आग्नेयास्त्र की कोई उम्मीद नहीं की गई थी, जो कि नहीं है।

घटना में इस्तेमाल किया जाना साबित हुआ।

58.1 उपचार से उत्पन्न विरोधाभासों का उल्लेख करते हुए

वी-1 अस्पताल में विद्वान वकील ने यह स्थापित करने की कोशिश की कि

पीडब्लू-1 का एन. सी. ई. निम्नलिखित कारणों से संदिग्ध हैः

पीडब्लू-1 के बेड हेड टिकट में एक्स-रे का उल्लेख नहीं है।

आई.

सिफारिश करें।

कैश रजिस्टर में किसी भी पैसे की कोई प्रविष्टि नहीं है।

ii.

किसी भी एक्स-रे या किए जा रहे उपचार के संबंध में जमा।

यह पीडब्लू-1 द्वारा अपदस्थ किया गया था कि एक्स-रे 10 बजे हुआ था।

iii.

हालाँकि, एक्स-रे विभाग दोपहर 2 बजे बंद हो जाता है। इसलिए, उसी समय पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। पीडब्लू-1 की एक्स-रे प्लेटों पर तारीख का कोई उल्लेख नहीं है।

iv.

पीडब्लू-12 के साक्ष्य के अनुसार, एक श्रीदीन ने पीडब्लू-1 लिया,

वी.

रविकांत, हरदयाल और विपुल को 28.01.1997 पर एक्स-रे के लिए अस्पताल ले जाया गया और वह उन्हें भी घर वापस ले आया। अतः एक्स-रे के संबंध में पीडब्लू-1 का कथन संदिग्ध है। इसके अलावा, एक भौतिक गवाह, श्रीदीन से अभियोजन पक्ष द्वारा कभी पूछताछ नहीं की गई।

58.2 यह तर्क दिया गया था कि यदि पीडब्लू-1 को 26.01.1997 पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था और केवल 27.01.1997 पर सुबह 9 बजे छुट्टी दी गई थी, तो उसका

इस बयान पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि वह एफ. आई. आर. दर्ज करने के लिए 09.10 पी. एम. पर पुलिस स्टेशन गया और फिर अस्पताल लौट आया और फिर रात 10 बजे घटना स्थल पर पहुंचा। पीडब्लू-1 ने कहा कि वह सभी शवों को अस्पताल ले गया, हालांकि, पुलिस ज्ञापन में शुरू में चार शव दर्ज किए गए और पांचवां शव रात 9 बजे के बाद प्राप्त हुआ। यदि पीडब्लू-1 रात 9 बजे प्राथमिकी दर्ज करने के लिए चला गया और उसी समय यदि अस्पताल रिकॉर्ड करता है। पाँचवाँ शव रात 9 बजे प्राप्त हुआ तो पीडब्लू-1 को इस तथ्य के बारे में कैसे पता चला कि इसका उल्लेख तहरिर में किया गया था जो रात 8:30 बजे लिखा गया था। इसके आलोक में, यह तर्क दिया गया कि एफ़. आई. आर. समय से पहले की है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि जोंगा के विंडस्क्रीन के बाईं ओर केवल एक छेद है और शेष भाग बरकरार हैं। यदि यह सच है, तो पीडब्लू-1 के इस कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि यह घटना अंधाधुंध गोलीबारी की थी। इसके अलावा, पीडब्लू-4 के साक्ष्य के अनुसार, जोंगा में कोई डीजल नहीं था और यह सीधे तौर पर रक्षा सिद्धांत के अनुरूप है कि यह घटना जोंगा को स्थानांतरित करने के संबंध में एक टीटू के साथ झगड़े का परिणाम थी, जिसमें राकेश शुक्ला के अनुसार कोई डीजल नहीं था। इस संदर्भ में एस. पी. माथुर द्वारा भेजे गए फैक्स संदेश पर भरोसा किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि हरदयाळ का अस्पताल में रात 8:30 बजे इलाज किया गया था और इसलिए, पीडब्लू-1 के इस कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि उसने हरदयाळ को नहीं देखा था।

58.3 श्री रावल प्रस्तुत करते हैं कि एस. पी. माथुर द्वारा उच्च अधिकारियों को भेजे गए फैक्स में साहब सिंह की गिरफ्तारी का उल्लेख 26.01.1997 पर किया गया है।

315 बोर राइफल और रिकवरी मेमो में जो दिखाया गया है वह 8x60 बोर की राइफल है। उच्च न्यायालय के निष्कर्ष कि 8x60 बोर और 325 बोर की राइफल एक ही है, गलत है क्योंकि रूपांतरण 480 बोर पर आता है।

2] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

59.1 अपराध स्थल पर पीडब्लू-2 की उपस्थिति पर सवाल उठाते हुए श्री रावल ने कहा किः

आई.

पीडब्लू-2 का आचरण बहुत ही अप्राकृतिक था क्योंकि वह वहाँ पहुँच गया था।

कथित तौर पर गोली लगने से घायल होने के बावजूद रात 10 बजे ही अस्पताल पहुंचे। इसके अलावा, उनके भाई श्री कांत

पांडे की भी मौत हो गई है।

पीडब्लू-2 ने बताया कि चंदन और विपुल को उनके साथ घर भेज दिया गया था।

ii.

मोहल्ला से कोई लेकिन उन्हें न तो पेश किया गया और न ही अभियोजन पक्ष द्वारा उनसे पूछताछ की गई। इस बारे में भी एक भौतिक विरोधाभास है कि क्या पीडब्लू-2 ने विपुल और चंदन को लिया था
घर हो या न हो।

59.2 श्री रावल ने अभियोजन पक्ष के गवाहों, पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 को इस आधार पर बदनाम करने के लिए बचाव पक्ष के गवाह डीडब्ल्यू-1 के साक्ष्य पर भी भरोसा किया कि घटना के समय घटना स्थल पर बिजली नहीं थी हुआ।

60.1 आशुतोष सिंह उर्फ डब्बू (ए 2) की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ दवे ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि कैसे अभियुक्तों के दो समूह एक समान उद्देश्य के अनुसरण में एक गैरकानूनी सभा बनाकर एक स्थान पर एकत्र हुए। अभियोजन पक्ष का मामला है कि लगभग 7:30 बजे पी. डब्ल्यू.-1 अपने नौकर लल्लन के साथ, जो उससे कुछ सामान खरीदने गया था।

60.2 यह आग्रह किया गया था कि घटना दो भागों में हुई थी और इसलिए, अभियोजन पक्ष पर यह साक्ष्य देना अनिवार्य था कि पहले भाग में गैरकानूनी सभा कब तितर-बितर हुई और दूसरी घटना के दौरान यह कब फिर से इकट्ठा हुई। इसके आलोक में, यह तर्क दिया गया कि धारा 149 के तहत अपराध अपीलार्थियों द्वारा नहीं बनाया गया था क्योंकि एक सामान्य उद्देश्य के साथ एक गैरकानूनी सभा के गठन को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। वकील ने इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा रखा नवाब अली बनाम। U.P.2[1] 21 की स्थिति, मसाल्ती v. U.P.22 की स्थिति और राज्य

21 (1974) 4 एससीसी 600। 22 (1964) 8 एससीआर 133।

अशोक कुमार सिंह चंदेल बनाम। यू. पी. राज्य [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।]

राजस्थान बनाम। शिव चरण और अन्य 2 3 का कहना है कि अभियोजन पक्ष पर यह दिखाने का दायित्व है कि संबंधित व्यक्ति अपराध के समय गैरकानूनी सभा का सदस्य था।

इसके अलावा, केवल अन्य सदस्यों के साथ उपस्थिति या जुड़ाव है यह अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि प्रत्येक सदस्य दूसरे द्वारा किए गए अपराध के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी है, जब तक कि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत न हो कि प्रत्येक सदस्य ने आई. पी. सी. की धारा 149 के तहत प्रदान की गई गैरकानूनी सभा का सदस्य होने के नाते इस तरह के अपमानजनक कार्य करने का इरादा या संभावना को जाना था।

61. प्रदीप सिंह (ए 4) की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयंत मुथुराज ने पहली और दूसरी घटना की असंभवताओं पर प्रस्तुत किया। पहली घटना के संबंध में, वह कहेंगे कि पीडब्लू-1 को कोई चोट नहीं लगी और यह अस्पष्ट है कि कैसे पांच लोगों का नया वाहन अचानक आता है और गोलीबारी शुरू कर देता है, और उसके बाद भी पीडब्लू-1 घायल नहीं हुआ था। जहाँ तक दूसरी घटना का संबंध है, वह हमें जाँच रिपोर्ट में ले गया और

तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष कई स्थानों पर अंतर्वेशन और कटिंग की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने श्री रावल की तरह ही बहस की। कुछ गवाहों से पूछताछ न करने पर उन्होंने यह भी कहा कि विपुल और चंदन को घर भेजने के बारे में विरोधाभास थे। उन्हें निवास पर कौन ले गया, यह एक रहस्य है। उन्होंने एफ. आई. आर. में देरी से संबंधित मुद्दे पर भी बात की, जो उनके द्वारा भेजा गया फैक्स संदेश है।

पुलिस अधीक्षक और नसीम की दुकान के पास अशोक कुमार चंदेल के नाम का मानार्थ कार्ड और डी. डब्ल्यू.-1 के साक्ष्य से यह साबित होता है कि घटना के समय बिजली नहीं थी।

62. उत्तम सिंह (ए 3) और भान सिंह (ए 10) की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री रत्नाकर दास ने प्राथमिकी दर्ज करने के बारे में यू. पी. पुलिस विनियमन 97 के साथ शुरुआत की। हालाँकि, उन्होंने इस निवेदन को आगे नहीं बढ़ाया। चोटों के बारे में अनिश्चितता को देखते हुए उन्होंने पीडब्लू-1 की विश्वसनीयता के बारे में श्री रावल के समान समर्पण को अपनाया। श्री दास ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल उत्तम सिंह और भान सिंह का कोई मकसद नहीं था। उन्होंने वही अपनाया

श्री सिद्धार्थ दवे ने दूसरी घटना के संबंध में तर्क दिया और यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि उत्तम सिंह के साथ-साथ भान सिंह से भी कोई बरामदगी नहीं हुई है।

23 (2013) 12 एससीसी 76।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

63. साहब सिंह (ए 8) की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बसव प्रभु पाटिल ने कहा कि उनके मुवक्किल का नाम चंदेल के बंदूकधारी के साथ प्राथमिकी में आता है, जिसका भी उल्लेख किया गया था। हालांकि, आरोप पत्र दाखिल करने के बाद, बंदूकधारी का नाम हटा दिया जाता है और उसके मुवक्किल पर आरोपी नं. 8. वह प्रस्तुत करता है कि उसका मुवक्किल एक किसान है और उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। श्री पाटिल ने पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के साक्ष्य की सत्यता पर भी सवाल उठाया। उन्होंने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने सरकारी गनर को बाहर कर दिया है और उसके बजाय उसे प्रतिस्थापित किया है। उनका चंदेल और राइफल की बरामदगी से कोई लेना-देना नहीं है, इसके लिए उन्होंने अपने धारा 313, Cr.P.C बयान पर भरोसा किया। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि श्री पाटिल ने उस फैक्स की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया है जो कथित तौर पर श्री एस. के. माथुर, एस. पी. द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया था। फैक्स में आरोप लगाया गया है कि अशोक सिंह चंदेल के निजी बंदूकधारी साहब सिंह को गिरफ्तार किया गया था

27.01.1997 पर कथित गिरफ्तारी से पहले एक 0.315 बोर राइफल लिए हुए। श्री पाटिल ने कहा कि हालांकि उनके मुवक्किल को शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत आरोप से बरी कर दिया गया था, इस तथ्य को देखते हुए कि वसूली किसी स्वतंत्र गवाह पर आधारित नहीं थी, उन्हें इसके तहत दोषी ठहराया गया था। पी. डब्ल्यू.-1 द्वारा दिए गए साक्ष्य के आधार पर ही आई. पी. सी. की धारा, आई. पी. सी. और अन्य सभी।

64. सुश्री बांसुरी स्वराज, विद्वान अधिवक्ता ने नसीम (ए 6) की ओर से दलीलें दीं, जिन्हें बंदुकवाला कहा जाता है। वह। प्रस्तुत किया कि नसीम 70 वर्ष का है और उसका अपराध में शामिल होने का कोई उद्देश्य नहीं है। वह पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के बयान में विरोधाभासों के बारे में आम तर्क देने में अन्य वकीलों के साथ शामिल हो गईं। गिरफ्तारी ज्ञापन पर सवाल उठाते हुए उन्होंने तर्क दिया कि अगर फैक्स में साहब का उल्लेख है

27.01.1997 से पहले सिंह की गिरफ्तारी, फिर साहब सिंह के साथ नसीम की गिरफ्तारी, जैसा कि 27.01.1997 दिनांकित गिरफ्तारी ज्ञापन से पता चलता है, एक जाली दस्तावेज है। अंत में, उसने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि उसके मुवक्किल से हथियारों की कोई बरामदगी नहीं की गई थी।

राज्य द्वारा प्रस्तुतियाँः

65. राज्य का प्रतिनिधित्व विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुश्री ऐश्वर्या भाटी ने किया। विद्वान ए. एस. जी. ने उनकी शुरुआत की।

26.01.1997 पर घटना की घटना के साथ प्रस्तुत करना जो विवादित नहीं है। 5 व्यक्तियों की मृत्यु भी विवादित नहीं थी। स्थल मानचित्र और शरीर पर चोटों के चित्रात्मक चित्रण की सहायता से, उन्होंने स्थान, समय और इसमें शामिल व्यक्तियों के संदर्भ में घटना को समझाया। पार्टियों के बीच संबंधों को याद करते हुए, शुरू से ही वह कहती हैं कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि अशोक कुमार सिंह चंदेल बनाम।

यू. पी. राज्य [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।]

शुक्ल परिवार के समूह के खिलाफ चंदेल, रघुवीर सिंह, नसीम और अन्य सदस्यों के समूह के बीच लंबे समय से प्रतिद्वंद्विता थी।

66. विद्वान ए. एस. जी. ने गवाहों और मृतक की चोटों की पहचान की और उनकी तुलना दस्तावेजी साक्ष्य से की।

प्रत्यक्षदर्शियों की सच्चाई पर जोर देने के लिए डॉक्टरों के बयान।

उन्होंने राकेश शुक्ला, राजेश शुक्ला, श्रीकांत पांडे, गुड्डा और वेद प्रकाश की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का भी उल्लेख किया है और फिर से इसे उन डॉक्टरों के साक्ष्य से जोड़ा है जिनकी संबंधित प्रदर्शनों के साथ जांच की गई थी। विद्वान ए. एस. जी. के अनुसार, चश्मदीद गवाहों के बयान में विश्वास जोड़ने के लिए यह एक और कारक है।

67. विद्वान ए. एस. जी. ने पीडब्लू-1 के साक्ष्य का विस्तार से उल्लेख किया और गवाह द्वारा दिए गए बयानों को साक्ष्य के साथ सही करने की मांग की।

रिकॉर्ड में। वह आगे प्रस्तुत करेगी कि चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है और यदि उनके कथन को स्वीकार कर लिया जाता है तो अपीलकर्ताओं द्वारा सुझाए गए विभिन्न संभावनाओं और विरोधाभासों को त्यागना होगा। विद्वान ए. एस. जी. ने बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर विचार करने में इस न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण पर जोर दिया और प्रस्तुत किया कि कोई अलंघनीय नियम नहीं है कि एक अपीलीय न्यायालय

इसे अपनाया जाना चाहिए। निचली अदालत के फैसले को पलटने में उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए तर्क को हमारे संज्ञान में लाया गया था। विद्वान ए. एस. जी. ने इस बात पर जोर दिया कि ट्रायल कोर्ट ने एक सुपर को अपनाया था चश्मदीद गवाहों के बयान का विश्लेषण करने में तकनीकी दृष्टिकोण और उन सिद्धांतों की सराहना किए बिना उन्हें खारिज कर दिया, जिनके आधार पर एक घायल चश्मदीद गवाह के साक्ष्य पर विचार किया जाना है। यह उसका समर्पण है

कि विचारण न्यायालय ने प्रत्यक्षदर्शियों के स्पष्ट साक्ष्य के आधार पर सभी अभियुक्तों को बरी करने में गंभीर त्रुटि की है। विद्वान ए. एस. जी. ने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को उलटते समय वास्तव में या कानूनी रूप से कोई त्रुटि नहीं की है। के लिए

इस कारण से, उन्होंने इन अपीलों को खारिज करने की प्रार्थना की थी।

मुखबिर द्वारा प्रस्तुतियाँः

69. सुश्री सोनिया माथुर विद्वान ए. एस. जी. का समर्थन करने वाले वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया है कि पीडब्लू [2022] 12 एस. सी. आर. की उपस्थिति का पर्याप्त प्रमाण है।

1 पहली और दूसरी घटना में भी। उन्होंने 1995 में श्याम सिंह की हत्या का उल्लेख किया, जिसमें राकेश कुमार शुक्ला और रमाकांत पांडे ने अभियोजन पक्ष की सहायता की थी। विधानसभा चुनाव में अशोक चंदेल का विरोध करने वाले शुक्ला परिवार और सहयोगियों के साथ ये घटनाएं शुक्ला परिवार के पांच सदस्यों की हत्या के लिए एक मजबूत मकसद हैं। वैकल्पिक रूप से, उन्होंने प्रस्तुत किया है कि घायल चश्मदीद गवाहों की उपस्थिति को देखते हुए उद्देश्य को साबित करने की आवश्यकता अप्रासंगिक हो जाती है। सुश्री सोनिया माथुर ने हमें महत्वपूर्ण रचनाओं के संकलन के बारे में बताया। साक्ष्य और उस स्थिति को समझाया जिसमें गवाहों और मृतक को गोली लगी थी और चिकित्सा साक्ष्य के साथ उनकी पुष्टि की। उन्होंने एएसजी द्वारा उठाए गए सभी बिंदुओं पर अभियोजन पक्ष का भी समर्थन किया है।

विश्लेषण और परिणामः

70. प्रारंभिकः हम तीन प्रारंभिक प्रस्तुतियों के साथ काम करना शुरू करेंगे, जो आम तौर पर अपीलकर्ताओं के लिए सभी विद्वान वकीलों द्वारा आग्रह किए जाते हैं। इस प्रस्तुतिकरण में से पहला उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ आपराधिक अपीलीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करने में की गई त्रुटि से संबंधित है। दूसरा आम निवेदन अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त के अपराध करने के लिए एक स्पष्ट उद्देश्य स्थापित करने में कथित विफलता से संबंधित है। कुछ वकीलों द्वारा प्रस्तुत किया गया तीसरा निवेदन घटना की घटना के संबंध में सबूत की कमी से संबंधित है और वह भी दो स्थानों पर।

71. प्रारंभिक प्रस्तुतियों के बाद, हम बचाव पक्ष द्वारा पेश किए गए तर्कों से निपटेंगे ताकि इसकी सत्यता पर महाभियोग चलाया जा सके।

घायल चश्मदीद गवाहों के रूप में पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 की गवाही। ये तर्क एफ. आई. आर. दर्ज करने के समय में विसंगतियों और घटना स्थल पर पी. डब्ल्यू.-1 की उपस्थिति के बारे में विरोधाभासों से संबंधित हैं क्योंकि (ए) जोंगा पर गोलियों के निशान (बी) पी. डब्ल्यू.-1 की शारीरिक स्थिति और घटना के समय उसके और मृतक को लगी चोटों (सी) एक्स-रे रिपोर्ट के समय और बेड हेड टिकट (डी) जारी करने और घटना के समय बिजली की अनुपस्थिति से उत्पन्न विरोधाभासों से संबंधित साक्ष्य हैं। पीडब्लू-2 के संबंध में, हम उनकी उपस्थिति के संबंध में प्रस्तुतियों (ए) की जांच करेंगे।

घटना स्थल (बी) उसे लगी चोटें (सी) घटना के समय उसका अप्राकृतिक व्यवहार। 72. हम तब आई. पी. सी. की धारा 149 के तहत दोषसिद्धि पर सवाल उठाने वाले निवेदन पर विचार करेंगे। इसके बाद, हम अशोक कुमार सिंह चंदेल बनाम विरोधाभासों से निपटेंगे।

यू. पी. राज्य [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।]

फ़ैक्स संदेश के आधार पर एफ़. आई. आर. में। फिर, बरामदगी पर प्रस्तुतिकरण से निपटने के लिए, हम (ए) अपराध स्थल से रेलवे मनार्थ कार्ड की बरामदगी (बी) और गिरफ्तारी के दौरान हथियार और गोलियों की बरामदगी से संबंधित प्रस्तुतियों पर विचार करेंगे। हम अंत में बैलिस्टिक की स्वीकार्यता के बारे में प्रस्तुतिकरण से निपटेंगे। रिपोर्ट करें।

I. दोषमुक्तियों के विरुद्ध अपीलों में उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र

73. यह पहला प्रारंभिक निवेदन है और यह इस न्यायालय द्वारा निर्धारित एक सिद्धांत पर आधारित है कि बरी किए जाने के खिलाफ अपील में आपराधिक अपीलीय न्यायालय तब तक बरी किए जाने में हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि पर्याप्त और सम्मोहक कारण न हों। इसलिए, अपीलार्थियों की ओर से पेश होने वाले सभी वकीलों का सामान्य निवेदन है कि उच्च न्यायालय बरी करने के आदेश को उलटने में उचित नहीं था।

74. बरी किए जाने वालों के खिलाफ अपील के मामलों में उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संबंध में कानून की स्थिति अच्छी तरह से स्थापित है। इसके बाद

इस विषय पर निर्णयों की समीक्षा करते हुए, इस न्यायालय ने चंद्रप्पा और अन्य बनाम में स्पष्ट किया। कर्नाटक राज्य 24 किः

" 3. विभिन्न अभिव्यक्तियाँ, जैसे, "पर्याप्त और सम्मोहक कारण", "अच्छे और पर्याप्त आधार", "बहुत मजबूत"

"परिस्थितियाँ", "विकृत निष्कर्ष", "स्पष्ट गलतियाँ", आदि का उद्देश्य व्यापक शक्तियों को कम करना नहीं है। बरी किए
जाने के खिलाफ एक अपील में अपीलीय अदालत। इस तरह

वाक्यांशों की प्रकृति "के फलने-फूलने" की अधिक होती है।

भाषा "साक्ष्य की समीक्षा करने और अपने दम पर आने की अदालत की शक्ति को कम करने की तुलना में बरी करने में हस्तक्षेप करने के लिए एक अपीलीय अदालत की अनिच्छा पर जोर देना।

निष्कर्ष "।

75. एम. जी. अग्रवाल बनाम में इस न्यायालय की संविधान पीठ में निर्धारित सिद्धांत पर ध्यान देना पर्याप्त है। महाराष्ट्र राज्य 2 5.

" 16. ..... लेकिन वास्तविक कानूनी स्थिति यह है कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण कितना भी चौकस और सतर्क क्यों न हो।

बरी किए जाने के खिलाफ अपीलों से निपटने के लिए, यह निस्संदेह साक्ष्य पर अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने का हकदार है

अभियोजन पक्ष द्वारा अपराध या निर्दोषता के संबंध में प्रस्तुत किया गया

24 (2007) 4 एस. सी. सी. 415। 25 (1963) 2 एससीआर 405।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शीओ स्वरूप बनाम में परिषद। राजा सम्राट और नूर मोहम्मद बनाम। सम्राट [ए. आई. आर. 1945 पी. सी. 151] 17. ..... इसी तरह अजमेर सिंह बनाम। पंजाब राज्य [(1953) एस. सी. आर. 418] में यह कहा गया था कि बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील में उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप केवल तभी उचित होगा जब "ऐसा करने के लिए बहुत ठोस और बाध्यकारी कारण" हों। कुछ अन्य निर्णयों में यह कहा गया है कि

बरी किए जाने के आदेश को केवल "अच्छे और अच्छे" के लिए वापस किया जा सकता है।

पर्याप्त ठोस कारणों "या" मजबूत कारणों "के लिए। में।

इन टिप्पणियों के प्रभाव की सराहना करते हुए, यह होना चाहिए

याद रखें कि इन टिप्पणियों का उद्देश्य नहीं था

एक कठोर या अपरिवर्तनीय नियम जो नियंत्रित करना चाहिए बरी किए जाने के विरुद्ध अपीलों में उच्च न्यायालय का निर्णय। उनका इरादा नहीं था, और इन्हें धारा के खंड (ए) में एक अतिरिक्त शर्त लागू करने का इरादा रखने के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए

423 (1) कोड से। उक्त टिप्पणियों का उद्देश्य केवल इस बात पर जोर देना है कि बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर विचार करने में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण सतर्क होना चाहिए क्योंकि जैसा कि लॉर्ड रसेल ने शीओ स्वरूप के मामले में कहा था, अभियुक्त के पक्ष में निर्दोष होने का अनुमान "नहीं है।

निश्चित रूप से इस तथ्य से कमजोर हो गया कि उसे अपने मुकदमे में बरी कर दिया गया है। इसलिए, "पर्याप्त और सम्मोहक कारण" अभिव्यक्ति द्वारा सुझाए गए परीक्षण को एक सूत्र के रूप में नहीं माना जाना चाहिए जिसे हर मामले में सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। यह इस न्यायालय के हाल के फैसलों का प्रभाव है, उदाहरण के लिए, संवत सिंह बनाम। राजस्थान राज्य [ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 715] और हरबंस सिंह बनाम। पंजाब राज्य [ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 439] और इसलिए, यह आवश्यक नहीं है कि एक

बरी करने का निर्णय, उच्च न्यायालय को अनिवार्य रूप से

उसमें अभिलिखित निष्कर्षों को विकृत के रूप में चिह्नित करें।

76. संविधान पीठ के बाद, यह न्यायालय घुरेलाल बनाम. यूपी26 ने निम्नलिखित सिद्धांतों को तैयार किया हैः

" 69. निम्नलिखित सिद्धांत मामलों से उभरते हैं

1. अपीलीय न्यायालय आपराधिक दंड संहिता की धारा 378 और 386 के तहत बरी किए जाने के खिलाफ अपील में साक्ष्य की समीक्षा कर सकता है।

18) 10 एससीसी 450।

अशोक कुमार सिंह चंदेल बनाम। यू. पी. राज्य [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।]

प्रक्रिया संहिता, 1973। साक्ष्य की समीक्षा करने की इसकी शक्ति व्यापक है और अपीलीय न्यायालय पूरे मामले की फिर से सराहना कर सकता है।

अभिलेख पर साक्ष्य। यह तथ्यों और कानून दोनों के संबंध में निचली अदालत के निष्कर्ष की समीक्षा कर सकता है। 2. दोषी साबित होने तक आरोपी को निर्दोष माना जाता है। अभियुक्त के पास यह धारणा तब थी जब वह निचली अदालत के समक्ष था। निचली अदालत का बरी होना इस धारणा को मजबूत करता है कि वह निर्दोष है।

3. निचली अदालत के फैसले को उचित या उचित महत्व और विचार दिया जाना चाहिए। यह विशेष रूप से सच है जब एक गवाह की विश्वसनीयता मुद्दा है। उच्च न्यायालय के लिए साक्ष्य के बारे में अलग दृष्टिकोण रखना पर्याप्त नहीं है। यह अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त और सम्मोहक कारण भी होने चाहिए कि मुकदमा

70. उपरोक्त के आलोक में, उच्च न्यायालय और अन्य अपीलीय न्यायालयों को निर्णयों की संख्या द्वारा स्पष्ट रूप से व्यवस्थित सिद्धांतों का पालन करना चाहिए यदि यह निचली अदालत के बरी होने के फैसले को रद्द करने या अन्यथा बाधित करने वाला है: 1. अपीलीय अदालत निचली अदालत के बरी होने के फैसले को केवल तभी रद्द कर सकती है या अन्यथा बाधित कर सकती है जब उसके पास ऐसा करने के लिए "बहुत ठोस और बाध्यकारी कारण" हों।

ऐसे कई उदाहरण सामने आते हैं जिनमें अपीलीय अदालत के पास निचली अदालत के फैसले को खारिज करने के लिए "बहुत ठोस और मजबूर करने वाले कारण" होंगे। बहुत महत्वपूर्ण और सम्मोहक

कारण मौजूद होते हैं जब:

तथ्यों के संबंध में निचली अदालत का निष्कर्ष है

आई.

स्पष्ट रूप से गलत;

निचली अदालत का फैसला एक गलती पर आधारित था

ii.

कानून का दृष्टिकोण;

निचली अदालत के फैसले का परिणाम "गंभीर" होने की संभावना है

iii.

न्याय का गर्भपात ";

से निपटने में निचली अदालत का पूरा दृष्टिकोण

iv.

सबूत स्पष्ट रूप से अवैध था;

निचली अदालत का फैसला स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण था और

वी.

अनुचित;

[2022] 12 एससीआर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निचली अदालत ने सबूतों को नजरअंदाज कर दिया है या गलत तरीके से पढ़ा है

vi.

भौतिक साक्ष्य या मृत्यु घोषणाओं/बैलिस्टिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट जैसे भौतिक दस्तावेजों की अनदेखी की है,

आदि।

vii. इस सूची का उद्देश्य सचित्र होना है, संपूर्ण नहीं। 2. अपीलीय न्यायालय को हमेशा निचली अदालत के निष्कर्षों को उचित महत्व देना चाहिए और उन पर विचार करना चाहिए।

3. यदि दो उचित विचारों तक पहुँचा जा सकता है-एक जो बरी होने की ओर ले जाता है और दूसरा दोषसिद्धि की ओर ले जाता है-तो उच्च न्यायालयों/अपीलीय न्यायालयों को अभियुक्त के पक्ष में फैसला देना चाहिए।

77. उपर्युक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अब हम विवादित फैसले की जांच करने के लिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या उच्च न्यायालय

बरी किए जाने के आदेश के विरुद्ध आपराधिक अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करते हुए सिद्धांतों को उचित रूप से लागू किया है।

II. प्रेरक

78. कई अपीलार्थियों द्वारा उठाया गया दूसरा सामान्य आधार अपराध करने के पीछे के उद्देश्य से संबंधित है। ट्रायल कोर्ट

उन्होंने कहा कि शुक्ला समूह के साथ चंदेल और अन्य अभियुक्तों के बीच विवाद हत्या करने के लिए 'अपर्याप्त' हैं। के लिए सलाहकार

79. तथ्यों पर, अभियोजन पक्ष द्वारा दोनों समूहों के बीच पूर्व प्रतिद्वंद्विता के अस्तित्व को इंगित करने के लिए तीन उदाहरणों का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले, 1995 में सुमेरपुर के संजय कुमार शुक्ला और शिव नारायण

डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष मिश्रा की हत्या आरोपी श्याम सिंह (ए 7) और अन्य लोगों ने कर दी थी। उस हत्या के मामले में मृतक राकेश कुमार शुक्ला ने रमाकांत पांडे (मृतक श्रीकांत पांडे के भाई) के साथ श्याम सिंह के खिलाफ पैरवी की। अशोक कुमार चंदेल और

उस वर्ष विधानसभा चुनाव। नतीजतन, आरोपी श्याम सिंह, अशोक कुमार चंदेल और रघुवीर के शुक्ला के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध थे। परिवार। साहब सिंह को अशोक कुमार चंदेल का निजी बंदूकधारी कहा जाता है और इसलिए उनका अशोक कुमार चंदेल के खिलाफ भी यही रवैया होगा।

शुक्ल परिवार। तीसरा, आरोपी नसीम इस्लामिया अशोक कुमार सिंह चंदेल बनाम का प्रबंधक था।

यू. पी. राज्य [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।]

इंटर कॉलेज और शहर के अन्य प्रतिस्पर्धी शैक्षणिक संस्थान, विद्या मंदिर को शुक्ला परिवार से जुड़े सदस्यों द्वारा चलाया जाता था। नसीम अशोक कुमार चंदेल के करीबी थे और वे अभिनय कर रहे थे। एक साथ क्योंकि वे व्यक्तिगत रूप से शुक्ला के प्रति शत्रुतापूर्ण थे और

एक समूह के रूप में।

80. पीडब्लू-1 ने अपने बयान में अशोक चंदेल के साथ लंबी राजनीतिक दुश्मनी के अस्तित्व के बारे में निम्नलिखित शब्दों में बताया है।

" 13. अशोक चंदेल के साथ मेरी लंबे समय से राजनीतिक दुश्मनी थी। मेरा परिवार चुनाव में उनका विरोध करता था। अशोक चंदेल

विधायक के लिए चुनाव लड़ते थे। हमारे विरोध के कारण वे 1996 का विधायक का चुनाव भारी अंतर से हार गए। अशोक चंदेल इससे पहले 1995 में चुनाव हार गए थे। डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष शिव नारायण मिश्रा और अभय शुक्ला की सुमेरपुर में सार्वजनिक रूप से हत्या कर दी गई थी, जिसमें आरोपी श्याम सिंह और अन्य मुख्य आरोपी थे, जिनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। उक्त घटना में मेरे भाई राकेश शुक्ला और श्री. अधिवक्ता रमाकांत पांडे, अर्थात मृतक श्रीकांत पांडे के भाई ने मृतक का पक्ष लिया था। अशोक चंदेल और रघुवीर सिंह और अन्य ने श्याम सिंह का पक्ष लिया था। यही उनकी दुश्मनी का कारण है /

गुस्सा करते हैं।

14. नसीम इस्लामिया इंटर कॉलेज, हमीरपुर के प्रबंधक थे। जबकि, विद्या मंदिर, हमीरपुर (इंटर कॉलेज) के अध्यक्ष। ब्राह्मण हैं। वहाँ मौजूद है दोनों संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा। अशोक चंदेल, रघवीर सिंह, नसीम आदि अक्सर एक साथ बैठते थे।

पाँच व्यक्तियों की हत्या एक अनुचित उपाय है। 82. उद्देश्य की पर्याप्तता या अपर्याप्तता का अभियुक्त के खिलाफ वास्तविक साक्ष्य पर सीधा असर नहीं पड़ता है, विशेष रूप से जब

अभियोजन पक्ष घायल चश्मदीद गवाहों के प्रत्यक्ष साक्ष्य पर निर्भर करता है। इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों से कानून की यह स्थिति स्पष्ट है। शिवाजी जेनु मोहिते बनाम। महाराष्ट्र राज्य ", यह न्यायालय

आयोजितः

27 (1973) 3 एससीसी 219।

" 11. यह मानते हुए कि अभियोजन पक्ष का साक्ष्य एक उद्देश्य के लिए पर्याप्त या ठोस नहीं था, यह तथ्य कि अभियोजन पक्ष इस तरह के प्रेरक उद्देश्य का पता लगाने में सक्षम नहीं था, एक गवाह की विश्वसनीयता पर प्रतिबिंबित नहीं होगा।

एक विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी साबित हुआ।

12. जैसा कि पहले कहा गया है, यह तथ्य कि किसी दिए गए मामले में अभियोजन पक्ष एक पर्याप्त उद्देश्य का पता लगाने में सक्षम रहा है या नहीं, एक प्रत्यक्षदर्शी की गवाही के खिलाफ वजन नहीं कर सकता है। उद्देश्य के रूप में साक्ष्य, निस्संदेह, पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर मामलों में एक लंबा रास्ता तय करेगा। इस तरह के सबूत

इस तरह के मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला में एक कड़ी का गठन करें। लेकिन ऐसे मामलों में ऐसा नहीं होगा जहां विश्वसनीयता के चश्मदीद गवाह हैं, हालांकि ऐसे मामलों में भी अगर कोई मकसद ठीक से साबित हो जाता है, तो इस तरह के सबूत कानून को मजबूत करेंगे।

अभियोजन पक्ष का मामला और अदालत को उसके अंतिम रूप में मजबूत करें

निष्कर्ष। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यदि कोई मकसद स्थापित नहीं होता है तो चश्मदीद गवाह का सबूत प्रस्तुत किया जाता है। अविश्वसनीय।

83. उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में v. किशनपाल और आर. एस. 28 का मानना था किः

" 39. उद्देश्य को एक ऐसी परिस्थिति के रूप में माना जा सकता है जो साक्ष्य का आकलन करने के लिए प्रासंगिक है, लेकिन यदि साक्ष्य स्पष्ट और स्पष्ट है और परिस्थितियां अपराध साबित करती हैं।

अभियुक्त के लिए, यह कमजोर नहीं होता है, भले ही मकसद बहुत मजबूत न हो। यह भी तय कानून है कि मकसद

एक ऐसे मामले में अपने सभी महत्व को खो देता है जहां चश्मदीद गवाहों का प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध है, क्योंकि भले ही एक बहुत हो सकता है अभियुक्त व्यक्तियों के लिए एक विशेष अपराध करने का मजबूत उद्देश्य, उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता है यदि चश्मदीद गवाहों का सबूत आश्वस्त नहीं करता है। उसी तरह, भले ही कोई स्पष्ट उद्देश्य न हो, लेकिन यदि चश्मदीद गवाहों का साक्ष्य स्पष्ट और विश्वसनीय है, तो उद्देश्य की पर्याप्तता का अभाव है।

दृढ़ विश्वास के रास्ते में खड़ा नहीं हो सकता।

84. शिव शंकर सिंह बनाम के एक अन्य मामले में। खंड राज्य और ए. एन. आर. 29, इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः

08) 16 एससीसी 73. 1) 3 एस. सी. सी. 654।

अशोक कुमार सिंह चंदेल बनाम। यू. पी. राज्य [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।]

" 15. ..... इन फैसलों ने एक स्पष्ट अंतर पैदा किया है।

उन मामलों के बीच जहाँ अभियोजन पक्ष निर्भर करता है एक ओर परिस्थितिजन्य साक्ष्य और दूसरी ओर प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही पर निर्भर करता है। उद्देश्य का प्रमाण, उन मामलों में पृष्ठभूमि में पीछे हट जाता है जहां

अभियोजन पक्ष एक चश्मदीद गवाह के खाते पर निर्भर करता है

घटना। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि न्यायालय एक उचित

प्रत्यक्षदर्शियों के बयान का मूल्यांकन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उनके द्वारा दिया गया संस्करण विश्वसनीय है, उद्देश्य के लिए सबूत का अभाव अप्रासंगिक है। 16. हाथ में मामला के बयान पर निर्भर करता है

घटना के प्रत्यक्षदर्शी। उद्देश्य की अनुपस्थिति नहीं होगी,

इसलिए, अपने आप में कोई भी भौतिक अंतर पैदा करते हैं।

85. साथ ही, दरबारा सिंह बनाम के मामले में। पंजाब राज्य 3 0:

" 15. ..... ऐसे मामले में जहां गवाहों के प्रत्यक्ष साक्ष्य हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है, उद्देश्य का अभाव मामले को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है। किसी भी परिस्थिति में, सबूत के रूप में उपलब्ध प्रत्यक्ष साक्ष्य का स्थान उद्देश्य नहीं ले सकता है। ... . 16. आपराधिक मामलों में केवल सकारात्मक, स्पष्ट, ठोस और विश्वसनीय गवाहों की गवाही पर आधारित उद्देश्य बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है। ऐसी तथ्यपूर्ण स्थिति में, अपराध करने के लिए एक मजबूत उद्देश्य की अनुपस्थिति, अभियुक्त के लिए कोई सहायता नहीं हो सकती है।

86. उद्देश्य से संबंधित पहलू पर साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, युग्मित

घटना के प्रत्यक्ष रूप से घायल चश्मदीद गवाह के साक्ष्य के मामलों में प्रासंगिकता और उद्देश्य के महत्व के संबंध में कानून की स्पष्ट स्थिति के साथ, विचारण न्यायालय का निष्कर्ष है कि अभियोजन पक्ष का मामला विफल हो जाता है क्योंकि वह उद्देश्य को साबित करने में विफल रहा है। उच्च न्यायालय का निर्णय

इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों पर आधारित न्यायालय असाधारण है।

III. घटना का स्थान

87. अपीलार्थियों के कुछ वकीलों ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष घटना के बारे में कोई सबूत पेश करने में विफल रहा है

उस स्थान पर घटना का आरोप लगाया गया। इस निवेदन को हमें लंबे समय तक रोके रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह भी निचली अदालत के समक्ष उठाया गया था और इसे निचली अदालत ने भी स्वीकार नहीं किया था। इसलिए यह हमारे लिए उल्लेख करने के लिए पर्याप्त है

30 (2012) 10 एससीसी 476।

2] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस निवेदन पर विचारण न्यायालय का निष्कर्ष। इस तर्क को खारिज करते हुए, निचली अदालत ने दर्ज किया कि घटना दो के रूप में हुई

त्वरित क्रम में घटनाएँ। पहली घटना के संबंध में विचारण न्यायालय ने निर्णय दिया:

" घटना के इस स्थान को बचाव पक्ष द्वारा चुनौती नहीं दी गई है और गवाहों की जिरह के दौरान खुद नसीम द्वारा किए गए प्रश्नों से यह स्पष्ट है कि घटना हुई थी।

88. इसी तरह, निचली अदालत ने घटना की दूसरी घटना के संबंध में निम्नलिखित तरीके से दर्ज किया:

" घटना का दूसरा स्थान परमानंद पंडित के घर के सामने और स्थल मानचित्र [एक्सएच] के अनुसार बताया गया है। ए-25], अनिरुद्ध कुमार साहू का घर स्थित है। नसीम के घर के पश्चिम की ओर।

XXX

घटना स्थल के निरीक्षण के दौरान जांच अधिकारी को खून मिला लेकिन खून से सना हुआ मिट्टी नहीं मिली

वहाँ से। यह उनकी गलती है लेकिन इससे अभियोजन मामले पर कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकलता है। घटना स्थल के निरीक्षण के बाद जांच अधिकारी द्वारा स्थल मानचित्र [एक्स ए-25] में बी. बी. शब्द दिखाए गए हैं, जिन स्थानों पर यह कहा गया है कि कुल 12 गोलियों के कारतुस हैं। पाया गया, जिनमें से 6 12 बोर और 6 पीतल के हैं। उन्होंने यह संकेत नहीं दिया है कि कौन से गोलियों के कारतुस पाए गए थे

किस स्थान से अलग। बी. बी. के इन निशानों को नक्शे में नसीम के घर और परमा पंडित के घर के सामने मंच के नीचे सड़क के रूप में दिखाया गया है। इसलिए स्थान का

घटना संदिग्ध नहीं है। "

89. घटना के स्थान के बारे में स्वयं विचारण न्यायालय के स्पष्ट और स्पष्ट निष्कर्ष को देखते हुए, हमें किसी भी संदेह पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है

घटना के स्थान के बारे में। इस मुद्दे का जवाब उसी के अनुसार दिया जाता है।

IV. एफ. आई. आर. दर्ज करने का समय और उसमें विसंगतियाँ

90. अभियोजन पक्ष द्वारा उद्धृत चश्मदीद गवाहों के प्रत्यक्ष साक्ष्य का सामना करते हुए, बचाव पक्ष ने सच्चाई को चुनौती दी और चश्मदीद गवाहों की सच्चाई। शुरुआत में, वे प्रस्तुत करेंगे कि अभियोजन पक्ष अशोक कुमार सिंह चंदेल बनाम के आधार पर गंभीर असंभवताओं का जवाब नहीं दे सका।

यू. पी. राज्य [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।]

पीडब्लू-1 द्वारा अपराध स्थल से अस्पताल और फिर पुलिस स्टेशन जाने में लगने वाले समय पर। हम अभी इस मुद्दे से निपटेंगे। 91. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि घटना लगभग 07.30 बजे हुई और लगभग 8-10 मिनटों तक चली। इसके बाद, पीडब्लू-1 दोपहर 07.50 तक जोंगा में सभी मृतकों के साथ अस्पताल पहुंचा। अस्पताल पहुंचने के बाद उन्होंने पहले शवों की जांच कराई और फिर खुद की। अंततः रात 8:30 बजे उनकी जांच की गई। उसकी प्रारंभिक जाँच के बाद, सरस्वती शरण, पीडब्लू-3, ने अस्पताल में ही पी. डब्ल्यू.-1 द्वारा बताए गए तहरीक को लिखा। इसके बाद पीडब्लू-1 लगभग 09 बजे पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हुआः 00 प्रधानमंत्री एफ. आई. आर. दर्ज करेंगे जो 09.10 पी. एम. पर दर्ज की गई।

92. अभियोजन पक्ष की कहानी को चुनौती देते हुए, विद्वान वकील

अपीलकर्ताओं ने चार दलीलें दीं (i) यह तर्क दिया गया कि तहरीक में यह बयान कि पीडब्लू-1 अपने साथ पांच शवों को अस्पताल ले आया और उसके बाद वह रात 9 बजे पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हुआ, पुलिस ज्ञापन (एक्सबी) के विपरीत है। का-18) अस्पताल द्वारा रात 9 बजे पुलिस स्टेशन भेजा गया, जिसमें बदले में केवल चार शवों और दो घायल व्यक्तियों का उल्लेख है (ii) पीडब्लू-3 के लिए ऐसा लिखना संभव नहीं हो सकता था।

लंबा तहिरीर और वह भी पी. डब्ल्यू.-1 के पुलिस स्टेशन जाने से कुछ मिनट पहले बिना किसी गलती के (आई. डी. 1) यह भी आग्रह किया गया था कि एफ. आई. आर. में कुछ चूक की गई थी जिसकी प्रतिलिपि आई. डी. 1 से ली गई थी।

ताहिर और इसलिए, दोनों दस्तावेजों में भौतिक विसंगतियां थीं (iv) आखिरकार, अस्पताल से प्राप्त पीडब्लू-1 के बेड हेड टिकट के अनुसार, छुट्टी का समय अगले दिन 27.01.1997 पर सुबह 9 बजे बताया गया है और इसलिए वह 26.01.1997 पर 09.10 पीएम पर प्राथमिकी दर्ज नहीं कर सकता था। अब हम इन प्रस्तुतियों में से प्रत्येक पर विचार करेंगे।

93. सबसे पहले, डॉक्टर, पीडब्लू-8 के साक्ष्य से यह देखा जा सकता है कि उन्होंने शवों और दो घायलों की जांच की, अर्थात्ः पीडब्लू-1 और हरदयाल ने इस आशय का एक पुलिस ज्ञापन तैयार किया। उसी को रात 9 बजे तक पुलिस स्टेशन भेज दिया गया। पीडब्लू-8 का प्रमाण नीचे दिया गया हैः

" ये सभी चोटें 26.1.97 के शाम 7:30 बजे आ सकती हैं। उस दिन मैंने पी. एस. कोटवाली के प्रभारी निरीक्षक को सूचना के लिए एक पुलिस ज्ञापन भेजा था। मैंने यह ज्ञापन रात 9 बजे भेजा था। मैंने इसे अपनी लिखावट और हस्ताक्षर में तैयार किया था और यह उल्लेख किया गया था कि पांच व्यक्तियों के शवों पर [2022] 12 एस. सी. आर. हैं।

इस अस्पताल में लाया गया और दो घायल भी आए हैं, जिनके नाम राजीव शुक्ला पुत्र श्री हैं। भीष्म प्रसाद शुक्ला और दूसरे का नाम हरद्याल वर्मा पुत्र श्री है। महादेव प्रसाद। इसका मूल पुलिस को भेजा गया था, जो एक्स है। 7 6 ए/7 चालू

केस फाइल, जिसे Ex. A-18 "के रूप में प्रदर्शित किया गया है

94. उपरोक्त-निर्दिष्ट साक्ष्य, जब एक्सबी के विपरीत हो। का 18 (जो हिंदी में है) किसी भी विरोधाभास को जन्म नहीं देता है

निम्नलिखित कारण। Exb के पहले पैराग्राफ में। का-18 का उल्लेख है।

चार शव और दो घायल। दूसरे पैराग्राफ में रात 9 बजे लाए गए एक और शव का उल्लेख है।

95. इसके अलावा, पीडब्लू-1 के साक्ष्य के अनुसार, उन्होंने सभी

एक साथ अस्पताल में मृत। उन्होंने यह भी कहा है कि अस्पताल से वह एफ. आई. आर. दर्ज कराने के लिए जोंगा को पुलिस स्टेशन नहीं ले गए, बल्कि ऑटोरिक्शा से गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक शव अभी भी जोंगा में था और परिवार की महिला सदस्यों से घिरा हुआ था। इसे अस्पताल के अंदर तब लाया गया जब वह पुलिस स्टेशन के लिए रवाना होने वाले थे। पीडब्लू-1 की गवाही का प्रासंगिक हिस्सा नीचे दिया गया है:

" 250. मैं रिक्शे से कोटवाली गया था, क्योंकि कुछ महिलाएं घर से आई थीं। अंदर एक शव था।

जोंगा।

251. महिलाओं ने कार को घेर लिया था और कोटवाली कुछ ही दूरी पर थी। मेरे अपने परिवार की महिलाएं भी कॉलोनी और पांडे जी के परिवार से (अवैध) आईं थीं।

भी कब आया था। मैं रिपोर्ट दर्ज कराने गया था।

96. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पाँच शव थे और पीडब्लू-1 घटना के बाद उन्हें जोंगा में अस्पताल ले आया। इसलिए विचारण न्यायालय का निष्कर्ष गलत है और अभिलेख पर साक्ष्य पर आधारित नहीं है। उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष को उलटने में पूरी तरह से उचित है क्योंकि यह केवल एक वैकल्पिक दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि एक त्रुटि का सुधार है जो पर्याप्त और सम्मोहक है। 97. दूसरा, हमने तहरीर को देखा है, यह एक छोटा दस्तावेज़ है। विचारण न्यायालय का निष्कर्ष कि तहरीक नहीं हो सकता था

30 मिनट से भी कम समय में लिखी गई और इसलिए रात 9:10 बजे प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती थी, यह अटकलबाजी है और एक कल्पनाशील अंकगणितीय गणना पर आधारित है। ट्रायल कोर्ट के लिए यह मानने का कोई आधार नहीं था कि यह दस्तावेज़ 15-20 मिनटों में नहीं लिखा जा सकता था, विशेष रूप से अशोक कुमार सिंह चंदेल बनाम.

यू. पी. राज्य [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।]

98. तीसरा, यह तर्क दिया गया कि कांस्टेबल महेश सिंह, पीडब्लू-9, जिन्होंने तहरीक की सामग्री की प्रतिलिपि बनाकर प्राथमिकी तैयार की थी 'टाटा' शब्द जैसी कुछ चूक को 'और' द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और 'अन्य' शब्द को संरेखण से बाहर लिखा गया था। इसके अलावा, 'तथा मेरे पर मी गोलिया लगी' वाक्य को हटा दिया गया था। इस गवाह की जाँच-पड़ताल के दौरान, उन्होंने उल्लेख किया कि उन पर पूरा करने का दबाव था

एफ. आई. आर. की औपचारिकताएं और जांच अधिकारी उसे रिपोर्ट सौंपने के लिए जल्दबाजी कर रहे थे। इस स्पष्टीकरण को उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था क्योंकि इस तरह की चूक को अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं माना जा सकता है।

ट्रायल कोर्ट ने ऐसे मामूली मामलों के आधार पर घटना की घटना के बारे में पीडब्लू-1 के संस्करण को बदनाम करने में गंभीर त्रुटि की। और अप्रासंगिक चूक। इसलिए उच्च न्यायालय के लिए यह आवश्यक था कि वह निचली अदालत द्वारा की गई स्पष्ट गलतियों में हस्तक्षेप करे। यह हस्तक्षेप करने के लिए एक अच्छा और पर्याप्त आधार है।

99. अंत में, हम द्वारा किए गए अवलोकन से सहमत हैं

बेड हेड टिकट पर उल्लिखित निर्वहन समय के संबंध में उच्च न्यायालय, क्योंकि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह एक स्वाभाविक निष्कर्ष निकाला जाना है। इसलिए, यह निष्कर्ष निकालना तर्कसंगत है कि पीडब्लू-1 प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन गया होगा और आगे के इलाज के लिए अस्पताल लौट आया होगा।

100. तहरीक और एफ़. आई. आर. में इंगित भिन्नताओं के साथ-साथ अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकीलों द्वारा एक मिनट-दर-मिनट निर्माण के आधार पर असंभवता का तर्क, किसी भी परिस्थिति में तहरीक और एफ़. आई. आर. की स्वीकृति के लिए घातक नहीं हो सकता है। यह न्यायालय, रम्मी आलिया रामेश्वर बनाम में अवलोकन की गई जाँच में दोषों और भिन्नताओं पर ध्यान देते हुए। M.P.[31] की स्थितिः

" 24. जब एक प्रत्यक्षदर्शी से विस्तार से पूछताछ की जाती है तो उसके लिए कुछ विसंगतियां करना काफी संभव है। कोई भी सच्चा गवाह संभवतः कुछ असंगत विवरण देने से बच नहीं सकता है। शायद एक झूठा गवाह जो अच्छी तरह से पढ़ाया गया है

सफलतापूर्वक अपनी गवाही को पूरी तरह से असंगत बनाते हैं। लेकिन अदालतों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यह केवल तभी होता है जब विसंगतियां हों

31 (1999) 8 एससीसी 649।

2] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक गवाह के साक्ष्य के साथ इतने असंगत हैं उनके इस कथन की विश्वसनीयता कि अदालत उनके साक्ष्य को रद्द करने में उचित है। लेकिन बहुत गंभीर दृष्टिकोण जिसे केवल अपनाया जाना चाहिए

किसी घटना के वर्णन में भिन्नता (या तो दो गवाहों के साक्ष्य के बीच या एक ही गवाह के दो बयानों के बीच) एक अवास्तविक दृष्टिकोण है।

न्यायिक जांच।

25. निचली अदालतों में ऐसा करना एक आम बात है

जिरह के दौरान उसका सामना करने के लिए एक गवाह के पिछले बयान से विरोधाभास। केवल इसलिए कि साक्ष्य में विसंगति है, यह गवाह के श्रेय को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 155 एक असंगत पूर्व कथन के प्रमाण द्वारा एक गवाह के श्रेय पर महाभियोग चलाने की गुंजाइश प्रदान करती है। लेकिन इस खंड को पढ़ने से पता चलता है कि सभी असंगत कथन हैं -

गवाह के श्रेय पर महाभियोग चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। 26. एक पूर्व कथन हालांकि साक्ष्य के साथ असंगत प्रतीत होता है, जरूरी नहीं कि विरोधाभास के लिए पर्याप्त हो। केवल असंगत कथन जो "विरोधाभासी" होने के लिए उत्तरदायी है, के श्रेय को प्रभावित करेगा

गवाह। "99

101. निचली अदालत ने एक गलत निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने के समय पर संदेह करने के लिए एक सुपर तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया है क्योंकि प्राथमिकी और तहरीक पूर्व-समय पर हैं। इनमें

परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय के लिए निचली अदालत के निष्कर्षों और निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर करने वाले और ठोस कारण हैं।

घटना के स्थान पर पीडब्लू-1 की उपस्थिति

102. अपीलार्थियों की ओर से एक और ठोस तर्क यह है कि अपराध स्थल पर पीडब्लू-1 की उपस्थिति है -

संदिग्ध। इसलिए, उसकी गवाही को इस आधार पर खारिज किया जाना चाहिए कि वह बिल्कुल भी चश्मदीद गवाह नहीं है। इस बात को अच्छा बनाने के लिए, विद्वान वकीलों ने चार गुना प्रस्तुत किया, जो कि निचली अदालत का तर्क भी है। हम प्रत्येक प्रस्तुति का उल्लेख करेंगे और उनसे निपटेंगे।

ए. जोंगा पर गोलियों के निशान

103. एफ. आई. आर. में पीडब्लू-1 के बयान के आधार पर कि आरोपी पक्ष ने उन पर 'अंधाधुंध' गोलीबारी की, यह तर्क दिया जाता है कि यह बयान अशोक कुमार सिंह चंदेल बनाम।

विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि जोंगा पर गोलियों के कई छेद नहीं थे। वास्तव में, जोंगा में विंडस्क्रीन के बाईं ओर केवल एक गोली का छेद होता है।

104. साक्ष्य का उचित अध्ययन निम्नलिखित को दर्शाता है। हेड कांस्टेबल, एम. टी., मलखान सिंह, पीडब्लू-4 ने वाहन की तकनीकी जांच की और एक्स-ए 2 के रूप में प्रदर्शित एक रिपोर्ट तैयार की। हालांकि एक्सबी। ए-2 हिंदी में है, और इसकी सामग्री पीडब्लू-4 की गवाही में उपलब्ध है, जिस पर हम विचार कर सकते हैं और सही तथ्य स्थिति को समझ सकते हैं। पीडब्लू-4 ने रिपोर्ट में कहा है कि जोंगा में विंडस्क्रीन की खिड़की में एक छेद था और चालक की खिड़की के पीछे की ओर कई छेद थे।

बैठने के लिए। उन्होंने यह भी कहा कि जोंगा के बाईं ओर के पिछले टायर के ऊपरी भाग में और खिड़की के दोनों ओर छेद थे। ड्राइवर-साइड का शीशा भी टूट गया था।

105. यह विवरण का-29 के रूप में प्रदर्शित जोंगा के जब्ती ज्ञापन से मेल खाता है, जिसे जोंगा को जब्त करने के समय तैयार किया गया था। पीडब्लू-4 की गवाही का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः

" ..... शरीर में पीछे की ओर बाईं ओर एक छेद था। स्टीयरिंग की स्थिति ठीक थी। अवकाश की स्थिति ठीक थी। बैक पेडल, इलेक्ट्रिक (लाइट) की स्थिति ठीक थी।

प्रसारण ठीक था। निलंबन ठीक था। टायर चलने की स्थिति में थे। सामने के शीशे (विंड स्क्रीन) की खिड़की और दाईं ओर एक छेद था और दाईं ओर की पिछली सीट (चालक की सीट) में छेद थे। चालक दर्पण भी था

टूट गया।

XXXX

9. दोनों तरफ की खिड़कियों के बगल के दरवाजों में छेद पाए गए। पीछे के पर्दे में छेद नहीं पाए गए। पर्दों के छेद, एक या दो को छोड़कर, शेष छेद पर्दे की तह के अंदर होते हैं। जो एक या आधा छेद है वह नहीं गया है जबकि

कई जगहों से पर्दे मोड़ना "।

106. हमने जोंगा के जब्ती ज्ञापन को ध्यान से पढ़ा है जो स्पष्ट रूप से "काई जगह पर गोलियों के निशान है" का वर्णन करता है। इसका मतलब है कि जोंगा पर गोलियों के कई निशान पाए जाते हैं। इसके अलावा, पी. डब्ल्यू.-4 द्वारा 25.02.2002 पर तैयार की गई निरीक्षण रिपोर्ट में भी जोंगा पर गोलियों के कई निशान होने का उल्लेख है। यह पीडब्लू-1 का भी संस्करण है।

107. यहां तक कि जांच अधिकारी, पीडब्लू-12, जिन्होंने जोंगा का जब्ती ज्ञापन तैयार किया था, को भी मौके पर 12 खाली कारतुस मिले, साथ ही जोंगा के टूटे हुए सामने के कांच के नमूने भी मिले।

108. यह उपरोक्त संदर्भित साक्ष्य के संदर्भ में है कि हमें पीडब्लू-1 की गवाही को देखने की आवश्यकता है जिसके बारे में अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया है जैसे कि वह उनके मामले का समर्थन करता है। उनकी गवाही से निम्नलिखित निष्कर्ष यह स्पष्ट करते हैं कि इस समर्पण का कोई आधार नहीं है।

" ..... मुझे उस समय देखे गए छेद की संख्या याद नहीं है। मैंने कांच (पवन ढाल) में केवल एक छेद देखा था। मैंने वाहन के शरीर के अन्य हिस्सों में छेद नहीं देखा। यह कहना गलत है कि कांच (विंड शील्ड) पर एक को छोड़कर वाहन में कोई अन्य गन शॉट होल नहीं हो सकता है।

109. गवाही और अभिलेख पर दस्तावेजी साक्ष्य की समग्र जांच पर, यह स्पष्ट है कि जोंगा के विभिन्न हिस्सों में गोलियों के कई छेद थे। इस तर्क को खारिज किया जाना चाहिए कि विंडस्क्रीन पर केवल एक गोली का छेद पाया गया था, और हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि निचली अदालत द्वारा निकाला गया निष्कर्ष कि कोई 'अंधाधुंध' गोलीबारी नहीं हुई थी, सबूतों के गलत अध्ययन पर आधारित है। हमारी यह भी राय है कि यह उच्च न्यायालय के लिए निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करने का एक ठोस और बाध्यकारी कारण है।

बी. पीडब्लू-1 की स्थिति और घटना के समय उसे और मृतक को लगी चोटें

110. अपीलार्थियों ने तर्क दिया कि पीडब्लू-1 और मृतक व्यक्तियों की चोटें उस स्थिति से मेल नहीं खाती हैं जिसमें वे गोलीबारी के समय थे। हम इसका जवाब पहली और दूसरी घटना के संदर्भ में देंगे।

111. पहली घटना में, पीडब्लू-1 की गवाही के साथ-साथ पीडब्लू-12 द्वारा तैयार की गई साइट योजना से, पीडब्लू-1 शुरू में जोंगा के सामने खड़ा था जब वह मृतक राकेश शुक्ला से बात करने के लिए रुका। यह समझाते हुए कि स्थल योजना लल्लन और उसकी स्थिति का सटीक वर्णन नहीं करती है, वह स्पष्ट रूप से कहता है कि जब वह मृतक राकेश से बात करने के लिए पूर्व की ओर मुंह कर रहा था तो वह जोंगा के दाईं ओर (गैर चालक की ओर) चला गया क्योंकि चालक की तरफ लोग थे। हम इसे उनके अपने शब्दों में उद्धृत करेंगे क्योंकि इसका कुछ महत्व है:

अशोक कुमार सिंह चंदेल बनाम। यू. पी. राज्य [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।]

" ..... जोंगा को सड़क के बीच में रोक दिया गया था/खड़ा किया गया था। मैं जोंगा के सामने ही था, जब उसे वहाँ रोक दिया गया था। मुझे ठीक से याद नहीं है कि मैं सड़क के दाहिनी ओर (पतारी) था या नहीं। उस समय जोंगा का मुख पूर्व की ओर था। पूर्व मेरे घर की दिशा में पड़ता है। मैं जोंगा में चला गया

उससे बात करने के लिए गैर-चालक पक्ष। मैं अपनी दाहिनी ओर चला गया था। ड्राइवर के बगल में कुछ लोग खड़े थे। मेरा।

नौकर (घरेलू सहायक) लल्लन मेरे पास आया था।

XXX

मैंने आई. ओ. को यह तथ्य बताया था कि जोंगा सड़क के ठीक बीच में खड़ा था लेकिन यह नहीं कि हम सड़क पर खड़े थे।

सड़क के दाहिने तरफ। मुझे नहीं पता कि एल. ओ. क्यों है। के दाहिने तरफ हमारे स्थान को दिखाया (सीमांकित) है

सड़क पर लेकिन जोंगा के सामने नहीं।

112. इसी समय गोलीबारी शुरू हुई, जब पीडब्लू-1 गैर-चालक पक्ष में था। यदि यह सच माना जाता है, तो पीडब्लू-1 की गवाही कि उसने खुद को जोंगा के पीछे ढाला था, लागू होती है और

वह निश्चित रूप से गोलीबारी की सीधी रेखा में नहीं है। हमें अपीलार्थियों के इस तर्क को अस्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि पीडब्लू-1 सीधे गोलीबारी की रेखा में है। यह विवाद में नहीं है कि पीडब्लू-1 वाहन के गैर-चालक पक्ष में है और जब नसीम की बंदूक की दुकान से गोलीबारी शुरू हुई जो जोंगा के दक्षिण की ओर है। वास्तव में, यह निवेदन अटकलबाजी है क्योंकि शिकायतकर्ता ने प्राथमिकी में यह भी संकेत नहीं दिया है कि वह पहली बार में जोंगा के चालक पक्ष में था। पीडब्लू-1 की गवाही स्पष्ट रूप से एफ. आई. आर. में दिए गए बयान के अनुरूप है। यह आश्चर्य की बात है कि निचली अदालत ने एक काल्पनिक तर्क के आधार पर अपराध स्थल पर पीडब्लू-1 की उपस्थिति को खारिज कर दिया है और उच्च न्यायालय को इस तरह के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने के लिए उचित ठहराया गया था।

113. जहाँ तक दूसरी घटना का संबंध है, अपीलकर्ताओं का तर्क है कि जब मृतक राजेश अपीलकर्ताओं पर जवाबी गोलीबारी करने के लिए अस्पताल की ओर मुड़कर जोंगा से बाहर निकला, तो उसे कई गोलियां लगीं, पीडब्लू-1 सिर्फ एक गोली से बच नहीं सकता था

गोली मार दी। अपीलार्थियों के अनुसार, यह इतना असंभव है कि उनकी उपस्थिति झूठी है। वास्तव में, निचली अदालत ने इस निवेदन को स्वीकार कर लिया। हमने इस प्रस्तुति की विस्तार से जांच की है और निम्नलिखित कारणों से इसे गलत पाया है।

2] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

114. पहली घटना के बाद, जोंगा को आगे बढ़ने के लिए मोड़ दिया गया

अस्पताल की ओर। परमा पंडित के घर के पास दूसरे स्थान पर पहुंचने पर, जब हमलावरों ने फिर से हमला किया, तो राजेश जवाबी कार्रवाई करने के प्रयास में अपनी राइफल के साथ जोंगा से नीचे उतर गया। उस समय उन्हें कई गोलियां लगी थीं। अपने स्टैंड के अनुरूप, पीडब्लू-1 जोंगा के पीछे दाईं ओर था, जो कि चालक की तरफ है, और इस तरह वह जोंगा को कवर कर सकता था, लेकिन वह अपने पैर में गोली की चोट से बच नहीं सका। जहाँ तक मृतक राजेश शुक्ला का संबंध है, वह सक्रिय रूप से जोंगा से बाहर निकला और हमलावरों पर गोली चलाने की स्थिति में आ गया। एक ओर राजेश और दूसरी ओर पीडब्लू-1 द्वारा ली गई स्थिति के बीच स्पष्ट अंतर है। इसलिए, पीडब्लू-1 को मृतक राजेश की तरह गोलियों से ज्यादा चोटें नहीं लगने के लिए पर्याप्त स्पष्टीकरण है। हम यह भी जोड़ सकते हैं कि अपीलकर्ताओं द्वारा किया गया प्रस्तुतिकरण किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है, बल्कि संभाव्यता के सिद्धांत पर आधारित है। उच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत को सही ढंग से खारिज कर दिया है, जिसने दुर्भाग्य से निचली अदालत को प्रभावित किया है। यह बिना किसी आधार के है। इसलिए यह उच्च न्यायालय के लिए हस्तक्षेप करने और निचली अदालत की स्पष्ट गलती को सुधारने के लिए मजबूर करने वाला था।

115. इस तरह की स्थिति में, जब कोई सामूहिक हमला होता है जो केवल कुछ ही मिनटों तक चलता है, तो एक चश्मदीद गवाह से प्रत्येक तथ्य को गणितीय विस्तार से बताने की उम्मीद करना अनुचित है। हाल ही में लिया गया फैसला

न्यायालय ने इस विषय पर मौजूदा मामले कानूनों की समीक्षा करके इस तरह की अराजक स्थिति का वर्णन किया। अब्दुल सईद बनाम। मध्य प्रदेश राज्य 3 2, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 27. तत्काल मामले में, बहुत बड़ी संख्या में हमलावरों ने चांद खान और शब्बीर (मृतक) पर हमला किया, जिससे वे घातक हथियारों से घायल हो गए। यह घटना कुछ ही मिनटों में समाप्त हो गई। इस प्रकार, यह स्वाभाविक है कि घटना का सटीक संस्करण हर मिनट के विवरण का खुलासा करता है।

व्यक्तिगत कार्यों की सावधानीपूर्वक सटीकता इसके द्वारा नहीं दी जा सकती है प्रत्यक्षदर्शी।

28. घटना के दौरान स्वयं घायल हुए एक गवाह के साक्ष्य के साथ जोड़े जाने वाले वजन के सवाल पर इस न्यायालय द्वारा व्यापक रूप से चर्चा की गई है। जहां घटना का कोई गवाह स्वयं घटना में घायल हो गया है, ऐसे गवाह की गवाही आम तौर पर होती है

32 (2010) 10 एससीसी 259।

अशोक कुमार सिंह चंदेल बनाम। यू. पी. राज्य [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।]

बहुत विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि वह एक ऐसा गवाह है जो अपराध स्थल पर अपनी उपस्थिति की गारंटी के साथ आता है और किसी को गलत तरीके से फंसाने के लिए अपने वास्तविक हमलावरों को छोड़ने की संभावना नहीं है। घायल गवाह को बदनाम करने के लिए विश्वसनीय सबूत की आवश्यकता होती है। ..... "

116. एक घायल गवाह के साक्ष्य के बारे में इसी सिद्धांत को दोहराते हुए, यह न्यायालय राजेंद्र आलिया राजप्पा और अन्य बनाम में है। की स्थिति कर्नाटक 3 3, निम्नानुसार आयोजितः

" 18. नारायण चेतनराम चौधरी बनाम में यह न्यायालय। महाराष्ट्र राज्य [नारायण चेतनराम चौधरी बनाम। की स्थिति

महाराष्ट्र, (2000) 8 एससीसी 457: 2000 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1546] ने आपराधिक मुकदमे में साक्ष्य की सराहना करते हुए गवाही में मामूली विरोधाभासों पर विचार किया है। उक्त निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि केवल भौतिक विवरणों में अंतर्विरोध ही आधार हो सकते हैं न कि मामूली अंतर्विरोध

गवाहों की गवाही "।

117. इसके आलोक में, इस तर्क को अस्वीकार किया जाना चाहिए कि मृतक राजेश शुक्ला को 16 गोलियों की चोटें आईं, जबकि राकेश और गुड्डा को घातक गोलियों की चोटें आईं और पीडब्लू-1 को सिर्फ एक गोली लगी।

118. फिर भी अपीलार्थियों द्वारा उठाया गया एक अन्य तर्क यह है कि पीडब्लू-1 की चोट रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें पीठ पर एक गोली लगी थी।

उसकी बाईं जांघ का ऊपरी भाग। हालाँकि, पीडब्लू-9 की गवाही के अनुसार, पट्टी पीडब्लू-1 की जांघ पर नहीं बल्कि उसके बछड़े पर थी। पीडब्लू-9 के इस कथन को इस कथन के संदर्भ में समझा जाना चाहिए कि पीडब्लू-1 को गोली लगी थी। यह सबूत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पीडब्लू-9 के साक्ष्य का गणितीय विश्लेषण अनावश्यक है। यह चोट

पीडब्लू-1 की रिपोर्ट डॉक्टर के साक्ष्य के साथ पुष्टि में है, जिसे पीडब्लू-8 के रूप में जांचा गया है। इसके अलावा, एक्स-रे भी इस विचार का समर्थन करता है कि पीडब्लू-1 को उनकी बाईं जांघ पर चोट लगी थी। ये सभी साक्ष्य, जो समकालीन और विश्वसनीय हैं, इन आधार पर खारिज नहीं किए जा सकते हैं।

पीडब्लू-9 की गवाही घटना के चार साल बाद दी गई। मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य लगातार पीडब्लू-1 के पैर में चोट की ओर इशारा करते हैं। यह कि गवाहों में से एक ने बछड़े पर चोट होने का उल्लेख किया है, अपराध स्थल पर पीडब्लू-1 की उपस्थिति पर संदेह नहीं कर सकता है। ट्रायल कोर्ट ने भरोसा करने में एक गंभीर गलती की

33 (2021) 6 एससीसी 178।

पीडब्लू-1 के पूरे साक्ष्य को त्यागने के लिए पीडब्लू-9 का साक्ष्य। इस निष्कर्ष को उच्च न्यायालय ने सही ही खारिज कर दिया था।

सी. एक्स-किरणें और बेड हेड टिकट

119. पीडब्लू-1 और पीडब्लू-12, दोनों का कहना है कि पीडब्लू-1 अपनी चोट के दर्द के कारण घटना स्थल से अस्पताल वापस चला गया था। इसके बाद

अस्पताल पहुँचने पर, यह बताया गया कि पीडब्लू-1 को पीडब्लू-8 द्वारा उनकी चोटों के लिए एक्स-रे की सलाह दी गई थी, जिन्होंने उनकी प्रारंभिक जांच की थी। अपीलार्थियों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पीडब्लू-1 पर किया गया एक्स-रे तीन कारणों से जाली था (i) मेडिको लीगल रजिस्टर में पीडब्लू-1 के इलाज के लिए कोई प्रविष्टि नहीं थी या बेड हेड टिकट में एक्स-रे की सिफारिश नहीं थी (ii) पीडब्लू-1 के एक्स-रे का समय रात 10 बजे है, हालांकि, विभाग रुक जाता है।

दोपहर 2 बजे काम करना (iii) पीडब्लू-1 और हरदयाळ द्वारा उनके इलाज के लिए कोई पैसा जमा नहीं किया गया था। 120. हम पहले अंतिम तर्क लेकर इन प्रस्तुतियों से निपटेंगे। पीडब्लू-1 के साथ-साथ हरदयाळ का इलाज करने वाले चिकित्सा अधिकारी, पीडब्लू-8 ने बयान दिया है कि मृतक और पीड़ितों के प्रारंभिक उपचार के बाद, मृतक का वर्णन करते हुए एक पुलिस ज्ञापन

साथ ही घायल पीड़ितों को उनके द्वारा रात 9 बजे पुलिस स्टेशन भेजा गया। यह भी कहा गया था कि पीड़ितों के उपचार की प्रविष्टि चिकित्सा कानूनी रजिस्टर के बजाय आकस्मिक रजिस्टर में की गई थी। पुलिस पीडब्लू-1 और हरदयाळ के साथ नहीं थी। इसलिए, मेडिको लीगल रजिस्टर में कोई प्रविष्टि नहीं की गई थी। इसके अलावा, इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि जिन मामलों में आकस्मिक रजिस्टर में प्रविष्टियां की जाती हैं, उनमें रोगियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। इस गवाह का बयान महत्वपूर्ण है और इसे नीचे निकाला गया हैः

" ..... प्रविष्टि जो चिकित्सा कानूनी रजिस्टर में की जाती है, जो

पुलिस द्वारा चिकित्सकीय जाँच या किसी डॉक्टर के लिए भेजा जाता है

स्वयं लिखित रूप से चिकित्सकीय परीक्षण करता है। आवेदन। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि पुलिस द्वारा निर्दिष्ट मामले पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाता है और चिकित्सा शुल्क जमा करना पड़ता है।

अपने दम पर आवेदन देने की बात। ये चोटें

किसी झगड़े और किसी अन्य कारण या पिटाई आदि से आया होगा, जो चिकित्सा जांच से संबंधित है। दुर्घटना के मामले में कोई शुल्क जमा नहीं किया जाता है, हमारे द्वारा उपचार दिया जाना है, इसलिए हमने दुर्घटना रजिस्टर में आगे की कार्यवाही दर्ज की है। घायलों की चोटों के संबंध में मैंने जो रिपोर्ट दी है, वह अशोक कुमार सिंह चंदेल बनाम में दर्ज की गई है।

यू. पी. राज्य [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।]

आकस्मिक रजिस्टर। जब पुलिस घायलों और घायलों के साथ नहीं आई है, तो न तो आवेदन देता है और न ही शुल्क जमा करता है और परीक्षा करने के लिए मजबूर होता है

हम संचालन के बाद आकस्मिक रजिस्टर में चोटों को लिखते हैं

उसकी जाँच। सबसे पहले हम घायलों से आवेदन मांगते हैं।

या कहता है कि पुलिस के साथ आने के लिए जब वह नहीं देता है आवेदन के बाद हमने दुर्घटना रजिस्टर में उसकी जांच की।

घायल लोग आते हैं और चिकित्सकीय कानूनी मामले में लिखते हैं कि कैसे

चोटें आई हैं, फिर हमने उसकी जांच की।

121. यह पी. डब्ल्यू.-7, रेडियोलॉजिस्ट द्वारा भी स्वीकार किया गया है, जिसकी देखरेख में एक्स-रे किया गया था कि एक्स-रे का संचालन किया गया था

आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी, पीडब्लू-8 के संदर्भ में जिन्होंने उसी के लिए एक संदर्भ पर्ची भेजी। डॉक्टर पीडब्लू 8 के साथ-साथ रेडियोलॉजिस्ट, पीडब्लू-7 के बयानों को देखते हुए, आकस्मिक रजिस्टर में प्रविष्टि के बारे में स्पष्टता और निश्चितता है और इस तरह, पीडब्लू-1 और हरदयाल द्वारा कोई पैसा जमा नहीं किया गया है। ट्रायल कोर्ट के लिए यह निष्कर्ष निकालने का कोई औचित्य नहीं है कि ये दस्तावेज जाली हैं। पीडब्लू-1 के शरीर पर चोटों का समर्थन करने वाले विभिन्न समकालीन दस्तावेजों के संदर्भ में, अपीलार्थियों द्वारा की गई प्रस्तुति को स्वीकार करना मुश्किल है कि एक्स-रे एक जाली दस्तावेज है या यह कि यह पूर्व-दिनांकित है।

122. इस निवेदन पर आते हुए कि पीडब्लू-1 और हरदयाळ का एक्स-रे रात 10 बजे नहीं लिया जा सकता था जब विभाग

दोपहर 2 बजे समाप्त होता है, हमने पीडब्लू-7 के साक्ष्य की जांच की है, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक्स-रे उनकी देखरेख में लिया गया था। उनके कथन का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

" दिनांक 27.1 को। 97 मुझे उस पद पर भी तैनात किया गया था

जिला में रेडियोलॉजिस्ट। अस्पताल, हमीरपुर। उस दिन मेरी देखरेख में घायल राजीव शुक्ला के बाएं जांघ और बाएं घुटने के साथ दाहिने जांघ की एक्स-रे लगाई गई। भीष्म शुक्ला निवासी रामेदी पी. एस. कोटवाली हमीरपुर की आयु लगभग 31 वर्ष है।

वर्ष आयोजित किए गए जिन्हें ई. एम. ओ. जिला द्वारा संदर्भित किया गया था

अस्पताल, हमीरपुर एक्स-रे के लिए। वह खुद आपातकालीन वार्ड से आए थे। एक्स-रे में एक छोटी गोल धातु गैर पैर के साथ-साथ दाहिनी जांघ, बाईं जांघ और बाएं घुटने में पारदर्शी (टूटा हुआ कागज) देखा गया। रिपोर्ट मेरे द्वारा एक्स-रे प्लेट के आधार पर तैयार की गई थी, जिस पर पहचान का निशान होता है

और घायल के अंगूठे का निशान। यह राजीव शुक्ला हैं।

न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट को एक्स. ए.-8 के रूप में प्रदर्शित किया गया।

रे प्लेटों को Ex.44 से 46 के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जिसमें अंगूठा होता है

घायल की छाप और मेरे द्वारा सत्यापित है।

123. इस गवाह से विस्तार से जिरह की गई लेकिन उसने समझाया

विभाग आम तौर पर दोपहर 2 बजे बंद होने के बावजूद, उन्होंने जोर देकर कहा कि पीडब्लू-1 और हरदयाल का एक्स-रे वास्तव में रात 10 बजे 26.01.1997 पर लिया गया था। बचाव पक्ष ने इस गवाह को यह कहकर बदनाम करने की कोशिश की कि उसका अशोक कुमार चंदेल के साथ कुछ विवाद था, जिसे उन्होंने नकार दिया। हमारे पास इस गवाह पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। इसके अलावा, यह नहीं है

यह अविश्वसनीय है कि एक अस्पताल एक्स-रे के लिए एक विशेष प्रावधान कर सकता है

तत्काल चिकित्सा सहायता का समय। एक्स-रे और बेडहेड से संबंधित अभिलेख पर भौतिक साक्ष्य का उल्लेख करने और उस पर विचार करने के बजाय

हालांकि, परीक्षण न्यायालय संभावनाओं के आधार पर अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचा। इसलिए उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को दरकिनार कर दिया।

D. घटना के समय बिजली की विफलता

124. सबूतों को खारिज करने के लिए अदालत को मनाने का अंतिम प्रयास

पीडब्लू-1 का मामला इस तर्क पर आधारित है कि 07.30 पीएम से 08.45 पीएम तक की अवधि के दौरान, अपराध स्थल पर बिजली नहीं थी। इस तर्क को सही ठहराने के लिए, बचाव पक्ष ने डी. डब्ल्यू.-1 की जाँच की, जो बिजली वितरण प्रभाग में इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था। इस गवाह ने गवाही दी कि उसे अकील तिराहा में बिजली कनेक्शन टूटने के बारे में 07.50 PM पर जानकारी मिली; परिणामस्वरूप, काली चौराहा से डेविल तक के क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति बंद कर दी गई।

दास, जिसमें सुभाष मार्केट (घटना का स्थान) और सुफीगंज शामिल थे। यह सूचित किया गया कि 07.50 अपराह्न से कुछ मिनट पहले, यानी लगभग 7:30 बजे, कनेक्शन टूट गया। उन्होंने कहा कि टूटे हुए तारों की मरम्मत के बाद ही 08.45 PM पर कनेक्शन बहाल किया गया था। इस आधार पर, यह आग्रह किया गया कि पीडब्लू-1 के लिए अपीलकर्ताओं की पहचान करना और अन्य गवाहों के लिए भी बाजार के आसपास के व्यक्तियों की पहचान करना मुश्किल होता।

125. उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे की विस्तार से जांच की। यह देखा गया कि डी. डब्ल्यू.-1 ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि हालांकि 07.30 पी. एम. से 08.45 पी. एम. के बीच बिजली कटौती हुई थी, लेकिन वह निश्चित नहीं था कि किस स्थान पर

घटना, अर्थात, सुभाष मार्केट उसी से प्रभावित था। उन्होंने आगे कहा कि अकील तिराहा से कुल तीन चरण जुड़े हुए थे, और उन तीन चरणों में से दो टूटने के बावजूद चालू रहे। डी. डब्ल्यू.-1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में पुष्टि की है किः

अशोक कुमार सिंह चंदेल बनाम। यू. पी. राज्य [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।]

..... मैं यह नहीं बता पा रहा हूं कि सुबाह बाजार में अकील तिराहा से उस चरण के साथ बिजली के कितने कनेक्शन जुड़े थे जो टूट गया है और बिजली की आपूर्ति बाधित हो गई है। वहाँ कुल तीन चरणों की संख्या में लेकिन तार तोड़ने के बाद, विद्युतीकरण के दो चरणों को जारी रखा गया। अकील तिराहा सुभाष बाजार से बहुत दूर है। अखिल तिराहा से सुभाष बाजार तक बिजली कनेक्शन के बारे में मैं कुछ नहीं कह पा रहा हूं।

वहाँ या नहीं।

बिजली कटौती के मामलों में जनरेटर। इसके अलावा, डी. डब्ल्यू.-1 ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि "... लेकिन तार तोड़ने के बाद, विद्युतीकरण के दो चरणों को जारी रखा गया। अकील तिराहा सुभाष से बहुत दूर है। बाजार। मैं अखिल तिराहा से सुभाष बाजार तक बिजली कनेक्शन के बारे में नहीं कह पा रहा हूं कि क्या वहां जोड़ा गया था या नहीं।

127. उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए तर्क और निष्कर्षों के विपरीत, निचली अदालत ने केवल डी. डब्ल्यू. के साक्ष्य का उल्लेख किया है।

1 यह कहते हुए कि बिजली नहीं थी और तुरंत निष्कर्ष निकाला कि पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 की गवाही विश्वसनीय नहीं हैं। ट्रायल कोर्ट ने डी. डब्ल्यू.-1 के साक्ष्य की विस्तार से जांच नहीं की है और वास्तव में साक्ष्य के महत्वपूर्ण हिस्से को छोड़ दिया है। इसलिए उच्च न्यायालय ने कहा,

विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए इस निष्कर्ष को उलटना पूरी तरह से उचित है।

128. अंत में, उपस्थिति से संबंधित मुद्दे के संबंध में

पीडब्लू-1 के मामले में, जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा संदेह किया गया है, हमने मामले की विस्तार से जांच की है। पी. डब्ल्यू.-1 के अनुसार, जोंगा पर गोलियों के कई छेद होने के साक्ष्य 'अंधाधुंध' गोलीबारी को स्थापित करते हैं। हमने यह भी देखा है कि पीडब्लू-1 और मृतक व्यक्तियों के शरीर पर लगी चोटें पीडब्लू-1 की उपस्थिति को स्थापित करने वाली गवाही से संबंधित हैं।

घटना का दृश्य। इसके अलावा, अपराध स्थल पर पीडब्लू-1 पर चोट चिकित्सा साक्ष्य के आधार पर साबित होती है।

डॉक्टरों की गवाही। इसके अलावा, हमने यह भी देखा है कि बचाव पक्ष अपने स्वयं के गवाह डी. डब्ल्यू.-1 के अस्पष्ट साक्ष्य को देखते हुए अपने इस सिद्धांत की पुष्टि नहीं कर सका कि अपराध स्थल पर कोई बिजली नहीं थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

129. इन सभी कारणों से हमारी राय है कि उच्च न्यायालय अपने इस निष्कर्ष में सही था कि अभियोजन पक्ष ने अपराध स्थल पर पीडब्लू-1 की उपस्थिति को सफलतापूर्वक स्थापित किया है। हम यह भी आश्वस्त हैं कि उच्च न्यायालय स्पष्ट गलतियों और विकृत निष्कर्षों के लिए बरी होने के आदेश को उलटने में उचित है कि ट्रायल कोर्ट ने खींचा है।

VI. घटना स्थल पर पीडब्लू-2 की उपस्थिति

130. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि पीडब्लू-2 के साक्ष्य को निम्नलिखित कारणों से त्याग दिया जाना चाहिए; (i) वह

एक चश्मदीद गवाह के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसके शरीर पर चोटें आग्नेयास्त्र की नहीं हैं (ii) उसका बयान पीडब्लू-1 के विपरीत है जिसने पीडब्लू-2 को बच्चों की जांच करने का निर्देश दिया था और वह इस बात से अनजान है कि बच्चों को कौन घर ले गया (iii) पीडब्लू-2 का आचरण और व्यवहार अप्राकृतिक है क्योंकि जब उसके अपने भाई श्रीकांत पांडे को घातक चोटें आईं, तो उसने अस्पताल नहीं जाने का फैसला किया।

131. इस पहले मुद्दे का जवाब देने का तरीका चिकित्सा साक्ष्य को संदर्भित करना है। जबकि एक्स-रे रिपोर्ट में पीडब्लू-2 पर चोट को "बाएं पैर में एक छोटी धातु रेडियो अपारदर्शी छाया दिखाई देती है" के रूप में वर्णित किया गया है। डॉ. एस. के. गुप्ता, पीडब्लू-7 ने अपने शब्दों में कहा हैः

" ..... इसमें धातु की एक छोटी सी गैर-पारदर्शी रेडियो चीज़ की छाया दिखाई दी। मैंने अपनी लिखावट में रिपोर्ट तैयार की थी।

और एक्स-रे प्लेटों के आधार पर हस्ताक्षर।

132. डॉक्टर के साक्ष्य के साथ-साथ एक्स-रे रिपोर्ट भी कायम है।

विधिवत पुष्टि की गई और अपीलकर्ताओं ने इसे गलत साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं लाया है। रिपोर्ट और गवाही के आलोक में, पीडब्लू-2 को लगी चोट पर विश्वास करना होगा।

133. दूसरे मुद्दे के संबंध में, बच्चों के स्थानांतरण के बारे में कोई भ्रम या विरोधाभास नहीं है। हम गुजर चुके हैं

पीडब्लू-2 का साक्ष्य और उसने स्पष्ट रूप से समझाया है कि सुनवाई के बाद

वह राजेश शुक्ला और अन्य लोगों के साथ मौके पर पहुंचा

और पी. डब्ल्यू.-1 और लल्लन को बच्चों को जोंगा से बाहर निकालते देखा। अपनी प्रतिपरीक्षा में, उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि वास्तव में बच्चों को कौन घर ले गया था। यह दूसरी घटना के बाद है जब उन्हें भी चोट लगी थी कि पीडब्लू-1 ने उन्हें घर जाने और बच्चों चंदन और विपुल की जांच करने के लिए कहा। उनकी गवाही से यह देखा जा सकता है किः

अशोक कुमार सिंह चंदेल बनाम। यू. पी. राज्य [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।]

" 18. जब मैं वहाँ पहुँचा तो चंदन जोंगा के बाहर था और विपुल को बाहर निकाला जा रहा था। उस समय, मेरी पहली झलक में, चंदन जोंगा के बाईं ओर खड़ा था। राजीव गाड़ी के बाहर खड़ा था। वह विपुल को गाड़ी से चला रहा था। उन्होंने तुरंत विपुल को बाहर निकाला। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं बता सकता, जिसके साथ चंदन और विपुल को घर भेजा गया था। फिर स्वेच्छा से बताया कि उन्हें मोहल्ला के किसी ज्ञात व्यक्ति के साथ घर भेज दिया गया है। मैं यह नहीं बता सकता कि उन्हें किसी वाहन या पैदल घर ले जाया गया था।

XXX

22. मैं वहाँ था, जब राजीव शुक्ला राकेश, गुड्डा, श्रीकांत, वेद, राजेश को जोंगा में डाल कर अस्पताल ले गए। मैं यह नहीं बता सकता कि वाहन में कोई और था या नहीं, क्योंकि मैं घर वापस आ गया था। जैसे ही राजीव शुक्ला जोंग में बैठे, मैं उनके अनुसार घर चला गया। निर्देश देते हैं।

XXX

29. राजीव ने मुझे घर जाने को कहा, मैं अस्पताल जा रहा हूँ। मुझे याद नहीं है कि मैंने इस तथ्य को बताया था या नहीं

' दारोगा 'या नहीं'

134. तीसरे मुद्दे पर आते हुए, पीडब्लू-2 का साक्ष्य नहीं हो सकता है

चोटें। किसी भी स्थिति में, पीड़ित के किसी विशेष व्यवहार या प्रतिक्रिया की अपेक्षा करने के लिए कोई मानक नहीं है। राणा प्रताप और ओआरएस वी. में यह न्यायालय। हरियाणा राज्य 3 4, आयोजितः

" 6. विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा गवाहों की उपस्थिति पर संदेह करने के लिए दिया गया एक और कारण यह था कि उनका आचरण

34 (1983) 3 एससीसी 327।

जब मृतक हमलावरों के चंगुल में था तो उसे बचाने नहीं जाना अस्वाभाविक था। हमें कहना चाहिए कि टिप्पणी सबसे अवास्तविक है। हत्या का गवाह बनने वाला हर व्यक्ति अपने तरीके से प्रतिक्रिया करता है। कुछ लोग स्तब्ध हो जाते हैं, अवाक हो जाते हैं और मौके पर ही खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग उन्मादी हो जाते हैं और रोने लगते हैं। कुछ लोग मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। अन्य लोग मौके से खुद को दूर रखने के लिए भाग जाते हैं

संभव है। फिर भी अन्य लोग पीड़ित को बचाने के लिए दौड़ते हैं, यहां तक कि हमलावरों पर हमला करने की हद तक जाते हैं। हर कोई अपने-अपने तरीके से प्रतिक्रिया करता है। प्राकृतिक प्रतिक्रिया का कोई निर्धारित नियम नहीं है। किसी गवाह के साक्ष्य को इस आधार पर खारिज करना कि उसने किसी विशेष तरीके से प्रतिक्रिया नहीं दी, पूरी तरह से अवास्तविक और अकल्पनीय तरीके से साक्ष्य की सराहना करना है। 9 935

135. ऊपर बताए गए कारणों से, पीडब्लू-2 के साक्ष्य को अस्वीकार करने और सदन में उनकी उपस्थिति पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है।

अपराध का दृश्य। पी. डब्ल्यू.-2 के साक्ष्य पर विश्वास न करना विचारण न्यायालय के लिए उचित नहीं था।

VII. पुलिस अधीक्षक द्वारा भेजी गई एफ. आई. आर. और फ़ैक्स में विसंगतियाँ

136. विद्वान वकीलों ने एक फैक्स संदेश का उल्लेख किया है जिसमें कहा गया है

पुलिस अधीक्षक (एस. पी.) के कार्यालय से वरिष्ठ अधिकारियों को इस घटना के बारे में सूचित करने के लिए भेजा गया है। इस फैक्स की सामग्री का उपयोग बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन पक्ष द्वारा वर्णित तरीके से घटना की घटना का खंडन करने के लिए किया जाता है। वे कुछ कथित बरामदगी के अलावा घटना के समय का भी खंडन करते हैं।

137. कहा जाता है कि यह फैक्स संदेश कार्यालय से आया था

पुलिस अधीक्षक। इस फैक्स के अलावा, हमें जांच के दौरान एसपी द्वारा निभाई गई किसी भी भूमिका के बारे में सूचित नहीं किया गया है। यह डी. डब्ल्यू.-3 के साक्ष्य के माध्यम से है, जिसकी रक्षा द्वारा 27.06.2002 पर जांच की जाती है कि रक्षा द्वारा विकसित एक समानांतर कहानी खेल में आती है।

138. जिन परिस्थितियों में फ़ैक्स कभी भी जाँच का हिस्सा नहीं बना और यह डी. डब्ल्यू. द्वारा इसकी शुरुआत के साथ ही सामने आया 35 इस सिद्धांत को दली चंद बनाम के माध्यम से लीला राम (मृत) मामले में इस अदालत के कई फैसलों में दोहराया गया है। हरियाणा राज्य और ए. एन. आर (1999) 9 एस. सी. सी. 525; यू. पी. राज्य बनाम देवेंद्र सिंह (2004) 10 एस. सी. सी. 616; काठी भारत वाजसुर और ए. एन. आर. वी. गुजरात राज्य (2012) 5 एससीसी 724।

अशोक कुमार सिंह चंदेल बनाम। यू. पी. राज्य [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।]

3 27.06.2002 पर जाँच, फ़ैक्स के साथ-साथ इसकी सामग्री के बारे में बहुत संदेह का कारण बनती है। फैक्स की सामग्री की पुष्टि करने के लिए कुछ भी नहीं है। अभियोजन पक्ष ने वास्तव में मौखिक और दस्तावेजी दोनों तरह के साक्ष्यों के साथ प्राथमिकी की सामग्री को स्थापित किया है। बचाव पक्ष का पूरा सबूत चश्मदीद गवाहों को बदनाम करने और समकालीन दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर उनके बयानों में विरोधाभास दिखाने के लिए था। हम पहले ही उन दलीलों पर विचार कर चुके हैं और उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों को बरकरार रखते हुए उन्हें खारिज कर चुके हैं। जिस परिस्थिति में फैक्स की उत्पत्ति हुई है, वह न्यायालय की संतुष्टि के लिए स्थापित नहीं की गई है। डी. डब्ल्यू.-3 का साक्ष्य भी आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करता है।

139. अंत में, हम फ़ैक्स के साथ-साथ फ़ैक्स की सामग्री के आधार पर प्रस्तुतियों को इस कारण से अस्वीकार करते हैं कि सबसे पहले, एफ़. आई. आर. में बताए गए समय की पुष्टि अन्य मौखिक और वृत्तचित्र द्वारा की जाती है।

जैसा कि पहले चर्चा की गई है। के बारे में सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है

चिकित्सा साक्ष्य के आधार पर हमें एफ. आई. आर. में दी गई कहानी को स्वीकार करना होगा और उस कहानी को अस्वीकार करना होगा जो फैक्स में प्रसारित की गई थी जिसमें टीटू ने हमला किया था। पीड़ितों को। यहां तक कि फैक्स में संदर्भित एक 0.315-बोर राइफल की तथाकथित बरामदगी को भी अस्वीकार किया जाना चाहिए और हम बरामदगी और उससे संबंधित अगले तर्क पर चर्चा करते हुए इस पहलू को अधिक विस्तार से समझाएंगे।

गिरफ्तारी। 140. फैक्स जांच का हिस्सा नहीं है। यह मानते हुए भी कि इस मामले में जांच में कुछ खामी है, इसका कोई असर नहीं होगा

अभियोजन मामले में। इस न्यायालय ने कई मामलों में कहा है कि जांच अधिकारियों द्वारा दोषपूर्ण जांच अपने आप में अभियोजन पक्ष के मामले को दूषित करती है जब विश्वसनीय चश्मदीद गवाहों की गवाही के साथ-साथ अन्य सम्मोहक सबूत भी होते हैं। करनेल सिंह बनाम। M.P.36 की स्थिति इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

" 5 ..... दोषपूर्ण जाँच के मामलों में अदालत को साक्ष्य का मूल्यांकन करने में सावधानी बरतनी होती है, लेकिन किसी अभियुक्त व्यक्ति को केवल दोष के कारण बरी करना सही नहीं होगा; ऐसा करना हाथों में खेलने के समान होगा।

36 (1995) 5 एससीसी 518।

2] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यदि जाँच सुनियोजित रूप से की जाती है तो जाँच अधिकारी

दोषपूर्ण।

141. इसी प्रकार सी. मुनियप्पन और अन्य बनाम के मामले में। तमिलनाडु राज्य 3 7 इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

" 55. किसी मामले में अत्यधिक दोषपूर्ण जाँच हो सकती है। हालांकि, इस बात की जांच की जानी चाहिए कि क्या आई. ओ. द्वारा कोई चूक हुई है और क्या इस तरह की चूक के कारण आरोपी को कोई लाभ दिया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर कानून अच्छी तरह से तय है कि जांच में दोष अपने आप में बरी होने का आधार नहीं हो सकता है। यदि इस तरह की सुनियोजित या लापरवाही से की गई जांच को प्राथमिकता दी जाती है या त्रुटिपूर्ण जांच द्वारा चूक या चूक को प्राथमिकता दी जाती है, तो आपराधिक न्याय प्रशासन में लोगों का विश्वास और विश्वास कम हो जाएगा। जहां जांच एजेंसी की ओर से लापरवाही या चूक आदि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप दोषपूर्ण जांच हुई है, वहां अदालत का कानूनी दायित्व है कि वह अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की जांच करे, सावधानीपूर्वक, यह पता लगाने के लिए कि क्या उक्त साक्ष्य विश्वसनीय है या नहीं और यह किस हद तक विश्वसनीय है और क्या ऐसी खामियों ने सच्चाई का पता लगाने के उद्देश्य को प्रभावित किया है। इसलिए, आपराधिक मामले में न्यायिक जांच के लिए जांच एकमात्र क्षेत्र नहीं है।

मुकदमा।

VIII. गैरकानूनी सभा और सामान्य उद्देश्य

अभियुक्तों को आई. पी. सी. की धारा 149 के दायरे में लाने के लिए एक शर्त पूर्ववर्ती रही है। श्री डेव ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष ने नहीं किया है 37 (2010) 9 एससीसी 567।

उसने समझाया कि एक सामान्य वस्तु थी जिसके आधार पर आरोपी मौके पर आया और नसीम की बंदूक की दुकान के सामने जोंगा पर गोली चला दी। इसी तर्क का विस्तार यह है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि कैसे नसीम की बंदूक की दुकान के सामने गोलीबारी के बाद गैरकानूनी सभा को भंग कर दिया गया और फिर से परमा पंडित के घर के सामने एक गैरकानूनी सभा के रूप में फिर से इकट्ठा किया गया। यदि हम इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित एक गैरकानूनी सभा के सही और सही प्रभाव की सराहना करते हैं तो ये प्रस्तुतियाँ महत्वहीन हो जाती हैं। हम इस मुद्दे पर कुछ प्रमुख निर्णयों का उल्लेख करेंगे। अमज़ाद अली उर्फ अमज़ाद के मामले में

खा और ओरस वी। असम राज्य 3 8, इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

" 5. ..... यह दावा करना गलत है कि एक आम उद्देश्य के साथ एक गैरकानूनी सभा का पूर्व गठन आवश्यक है और आरोपी को आई. पी. सी. की धारा 149 के दायरे में लाने से पहले एक शर्त के रूप में पाया जाना चाहिए था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि किए गए अपराध को तुरंत सामान्य उद्देश्य से जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन क्या किसी दिए गए मामले में हत्या का कारण बनने के लिए उनका सामान्य उद्देश्य था, यह निर्भर करेगा और दो गुटों के बीच किसी भी साबित प्रतिद्वंद्विता, उपयोग किए गए हथियारों की प्रकृति, हमले के तरीके के साथ-साथ आसपास की सभी परिस्थितियों के आधार पर सही निर्णय लिया जा सकता है। सामान्य उद्देश्य को हमेशा सामान्य इरादे से अलग माना गया है और इसे हमले से पहले पूर्व संगीत कार्यक्रम और मन की आम बैठक की आवश्यकता नहीं है। सामान्य वस्तु तत्काल विकसित हो सकती है और तथ्य का प्रश्न होने के कारण इसका अनुमान हमेशा किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से लगाया जा सकता है और किसी दिए गए मामले में साबित किया जा सकता है। मामला।

144. भार्गवन और ओरस वी में भी। केरल राज्य 3, यह इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था। वह:

" 14. " सामान्य उद्देश्य एक "सामान्य इरादे" से अलग है क्योंकि इसमें हमले से पहले एक पूर्व संगीत कार्यक्रम और मन की एक सामान्य बैठक की आवश्यकता नहीं होती है। यह पर्याप्त है यदि प्रत्येक की दृष्टि में एक ही वस्तु हो और उनकी संख्या पाँच या उससे अधिक हो और वे उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक संयोजन के रूप में कार्य करें। "आम"

एक सभा के उद्देश्य का अधिनियमों से पता लगाया जाना है और

38 (2003) 6 एससीसी 270।

2] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसकी रचना करने वाले सदस्यों की भाषा, और आसपास की सभी परिस्थितियों पर विचार करना। इसे सदस्यों द्वारा अपनाए गए आचरण से एकत्र किया जा सकता है।

सभा से। गैरकानूनी का सामान्य उद्देश्य क्या है

सभा घटना के एक विशेष चरण में है, अनिवार्य रूप से सभा की प्रकृति, सदस्यों द्वारा उठाए गए हथियारों और घटना स्थल पर या उसके पास सदस्यों के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाने वाला तथ्य का प्रश्न है। कानून के तहत यह आवश्यक नहीं है कि सभी मामलों में गैरकानूनी

सभा, एक गैरकानूनी सामान्य उद्देश्य के साथ, उसी को कार्रवाई में परिवर्तित किया जाना चाहिए या सफल होना चाहिए। स्पष्टीकरण के तहत

धारा 141 के अनुसार, एक सभा जो इकट्ठा होने पर गैरकानूनी नहीं थी, बाद में गैरकानूनी हो सकती है। यह नहीं है। आवश्यक है कि इरादा या उद्देश्य, जो आवश्यक है

एक सभा को गैरकानूनी बनाने के लिए अस्तित्व में आता है

शुरुआत में। गैरकानूनी इरादे बनाने का समय भौतिक नहीं है। एक सभा जो अपने प्रारंभ में या उसके बाद कुछ समय के लिए भी वैध है, बाद में गैरकानूनी हो सकती है। दूसरे शब्दों में, यह घटना के दौरान मौके पर तत्काल विकसित हो सकता है। ”

बंदूक की दुकान। पीडब्लू-1 ने स्पष्ट रूप से रगवीर सिंह, आशुतोष सिंह, प्रदीप सिंह, उत्तम सिंह और भान सिंह के हथियार चलाने और जोंगा पर गोलीबारी करने का उल्लेख किया है। दूसरी घटना की पुष्टि पीडब्लू-1 के साथ-साथ पीडब्लू-2 द्वारा की गई है, जो परमा पंडित के घर पहुंच गए हैं क्योंकि मृतक दल ने बच्चों विपुल और चंदन को उतारा और जोंगा को अस्पताल की ओर मोड़ दिया। परमा पंडित के घर पहुँचकर इन अभियुक्तों ने फिर से जोंगा पर हमला किया और अंधाधुंध गोलीबारी की। इसलिए यह कहना व्यर्थ है कि कोई सामान्य उद्देश्य नहीं था और सभा गैरकानूनी नहीं थी। वास्तव में, पीडब्लू-1 ने अशोक कुमार चंदेल के इस आह्वान के बारे में बात की कि "शुक्ला परिवार में से कोई भी जीवित न बचे" और उसके बाद रघुवीर समूह सहित अन्य सभी आरोपी फरार हो गए। गोली चलाते हैं। यह एक और कारक है जो एक सामान्य वस्तु के अस्तित्व को स्थापित करता है। यह तर्क कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित नहीं किया है कि पहली घटना के बाद गैरकानूनी सभा को भंग कर दिया गया था और जब इसे परमा पंडित के घर के सामने एक गैरकानूनी सभा के रूप में फिर से इकट्ठा किया गया था, इस कारण से भी खारिज किया जाना चाहिए कि अशोक कुमार सिंह के बीच की दूरी बनाम।

यू. पी. राज्य [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।]

फीताएँ केवल 50-75 मीटर की होती हैं, और यह सब एक मैटर न्यूट के भीतर हुआ। प्रस्तुतियाँ इस तरह प्रस्तुत की गईं जैसे कि एक सामान्य इरादे की आवश्यकता है, जो आई. पी. सी. की धारा 149 के तहत गैरकानूनी योग्यता के लिए एक आवश्यकता नहीं है। भूपेंद्र सिंह और ओआरएस वी में इस टी के निर्णय का उल्लेख करना उपयुक्त है। इस स्तर पर U.P.40 की स्थितिः

" 14 ..... जहाँ गैरकानूनी सभा का सामान्य उद्देश्य साबित नहीं होता है, अभियुक्त व्यक्तियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है

सभा की रचना करें, अर्थात, उन सभी को जागरूक होना चाहिए इसे स्वीकार करें और सहमत हों। आपसी परामर्श के बाद स्पष्ट समझौते द्वारा एक सामान्य उद्देश्य का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन वह है

कोई साधन आवश्यक नहीं है। इसका गठन किसी भी स्तर पर विधानसभा के सभी या कुछ सदस्यों द्वारा किया जा सकता है और अन्य सदस्य इसमें शामिल हो सकते हैं और इसे अपना सकते हैं। एक बार बनने के बाद, इसे वैसा ही बने रहने की आवश्यकता नहीं है। इसे किसी भी स्तर पर संशोधित या परिवर्तित या त्याग दिया जा सकता है। धारा 149 में दिखाई देने वाली 'सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में' अभिव्यक्ति को 'सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए' के बराबर के रूप में सख्ती से समझा जाना चाहिए। इसे वस्तु की प्रकृति के आधार पर तुरंत सामान्य वस्तु से जोड़ा जाना चाहिए। वस्तु का समुदाय होना चाहिए और वस्तु केवल एक विशेष चरण तक मौजूद हो सकती है, और उसके बाद नहीं। गैरकानूनी सभा के सदस्यों के पास एक निश्चित बिंदु तक उद्देश्य का समुदाय हो सकता है, जिसके आगे वे अपने उद्देश्यों और ज्ञान में भिन्न हो सकते हैं, जो प्रत्येक सदस्य के पास है।

उनके अभियोजन में क्या किए जाने की संभावना है

09) 12 एससीसी 447।

2] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सामान्य वस्तु जो न केवल के अनुसार भिन्न हो सकती है उनके आदेश पर जानकारी, लेकिन सीमा के अनुसार भी

जिसके लिए वह वस्तु के समुदाय को साझा करता है, और एक के रूप में

इसके परिणामस्वरूप आई. पी. सी. की धारा 149 का प्रभाव हो सकता है - एक ही सभा के अलग-अलग सदस्यों पर अलग-अलग।

146. इस निवेदन के संबंध में कि अभियोजन पक्ष कोई प्रत्यावर्ती दायित्व स्थापित करने में विफल रहा, सादिक उर्फ लालो गुलाम हुसैन शेख और ओआरएस वी. में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करने के लिए पर्याप्त है। राज्य

गुजरात का 1 1, जहाँ न्यायालय ने इस तर्क को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया और अभिनिर्धारित कियाः

" 18. इसके अलावा, एक बार जब यह स्थापित हो जाता है कि गैरकानूनी सभा का एक सामान्य उद्देश्य था, तो यह आवश्यक नहीं है कि सभी व्यक्ति

गैरकानूनी सभा के गठन को दिखाया जाना चाहिए

कुछ स्पष्ट कार्य किया। आने के उद्देश्य से प्रावधान के तहत प्रत्यावर्ती दायित्व, घटना के जारी रहने के दौरान किए गए अपराध के लिए गैरकानूनी सभा के अन्य सदस्यों का दायित्व, इस तथ्य पर निर्भर करता है कि क्या अन्य सदस्यों को पहले से पता था कि वास्तव में किया गया अपराध सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए जाने की संभावना थी। "

147. निष्कर्ष निकालते समय, हम ध्यान दे सकते हैं कि धारा 149 के तहत गैरकानूनी सभा और सामान्य उद्देश्य पर कोई विशिष्ट निष्कर्ष नहीं है।

ट्रायल कोर्ट। उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर चर्चा की है और प्रस्तुतिकरण पर विचार करते समय इस न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया है। मामले पर विस्तार से विचार करने के बाद, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को उलटने से पहले सभी दृष्टिकोणों से और बहुत विस्तार से इस मुद्दे की जांच की है। इसलिए उच्च न्यायालय का निर्णय असाधारण है।

IX. हथियारों की बरामदगी, रेलवे मनार्थ कार्ड और साहब सिंह की गिरफ्तारी

A. अशोक से संबंधित रेलवे मानार्थ कार्ड की वसूली

चंदेल

148. अपीलकर्ताओं ने घटना स्थल से रेलवे मनार्थ कार्ड की बरामदगी के संबंध में दो बार दलीलें दीं।

सबसे पहले, रेलवे कार्ड की अवधि 12.01.1994 पर समाप्त हो गई थी और वर्तमान

41 (2016) 10 एससीसी 663।

1997 की घटना होने के कारण, यह तर्क दिया गया था कि किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति के पास समाप्त हो चुका रेलवे कार्ड नहीं होगा। दूसरा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि घटना स्थल से कार्ड की बरामदगी संदिग्ध है क्योंकि

इसे घटना स्थल से बरामद की गई अन्य सभी भौतिक वस्तुओं से अलग से सील और मुहर लगाई गई थी। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि डायरी प्रविष्टि में रेलवे मानार्थ कार्ड को छोड़कर अन्य सभी भौतिक वस्तुओं का उल्लेख है।

149. पहले मुद्दे के संबंध में, उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण सही है क्योंकि यह अकल्पनीय नहीं है कि आरोपी अशोक कुमार चंदेल ने

एक्सपायर कार्ड। एक्सपायर कार्ड रखने में कुछ भी असामान्य या असामान्य नहीं है, क्योंकि लोग इसे किसी न किसी कारण से करते हैं। जांच अधिकारी, पीडब्लू-12 को अपराध स्थल पर रेलवे मानार्थ कार्ड मिला। जहां तक वसूली और मानार्थ कार्ड की अंकन में अनियमितता से संबंधित प्रस्तुत करने का संबंध है, हमारी राय है कि आई. ओ. के लिए वहां कार्ड लगाने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि उनके और अशोक कुमार चंदेल के बीच कोई पिछली दुश्मनी नहीं है। एक बार जब पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2, घायल चश्मदीद गवाहों की उपस्थिति स्वीकार कर ली जाती है, तो इस तर्क से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

B. हथियारों की बरामदगी और गिरफ्तारी

150. अपीलार्थियों द्वारा उठाए गए तर्क पर ध्यान देने से पहले थोड़ी तथ्यात्मक पृष्ठभूमि आवश्यक है।

151. जांच अधिकारी, पीडब्लू-12 ने बयान दिया कि एक मुखबिर से सूचना मिलने के बाद कि चार आरोपी नसीम की बंदूक की दुकान से भागने की कोशिश कर रहे थे, वह कांस्टेबल आफताब अली, पीडब्लू-11 और अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचा और चार अभियुक्तों नसीम (ए 6), भान सिंह (ए 10), श्याम को गिरफ्तार किया। सिंह (ए 7) और साहब सिंह (ए 8)। गिरफ्तारी के बाद साहब सिंह (ए 8) के पास से एक 8x60 बोर की राइफल और उसके बेल्ट से दस पीतल के कारतुस बरामद किए गए। पीडब्लू-11, सिपाही आफताब अली ने उसी को अपदस्थ कर दिया और यह भी उल्लेख किया कि सार्वजनिक गवाहों को सुरक्षित करने के प्रयास किए गए थे।

लेकिन खतरे की आशंका के कारण कोई तैयार नहीं था। वह. यह भी कहा कि पुनर्प्राप्ति ज्ञापन, एक्सबी। का-24 तैयार किया गया, और एक प्रति साहब सिंह को दी गई, जिन्होंने उसे टुकड़ों में फाड़ दिया। अपने साक्ष्य में, डी। एसपी, सुखराम सोनकर, पीडब्लू-14 ने कहा कि पीडब्लू-12 ने

सी. बी. सी. आई. डी. के समक्ष उनके बयान में कहा गया है कि साहब सिंह (ए 8) के पास से 18 गोलियों के साथ एक राइफल, बेल्ट से दस और राइफल के बट कवर से आठ बरामद किए गए।

2] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

152. यह उपरोक्त पृष्ठभूमि में है, विद्वान वकीलों ने दो तर्क उठाए हैं। सबसे पहले, साहब सिंह से वसूली फैक्स की सामग्री का खंडन करता है, जिसमें एक की वसूली का उल्लेख है

0.315 बोर राइफल और 8x60 बोर की राइफल नहीं। दूसरा यह भी है कि

यह तर्क कि अभियोजन पक्ष ने वसूली को बिल्कुल भी साबित नहीं किया है।

153. हम फैक्स संदेश के आधार पर बचाव पक्ष द्वारा स्थापित कहानी पर पहले ही विचार कर चुके हैं और उसे खारिज कर चुके हैं। वास्तव में, फैक्स की सामग्री को केवल साहब सिंह से बरामद हथियार की प्रकृति का खंडन करने के लिए संदर्भित किया जाता है; यानी, जबकि फैक्स में उल्लिखित बरामदगी संदर्भित करती है।

हथियार को 0.315-बोर राइफल, रिकवरी मेमो, Exb के रूप में। का-24

हथियार का उल्लेख 8x60 बोर की राइफल के रूप में किया गया है।

154. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि निचली अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया

प्रस्तुत करना और इसे एक गंभीर विरोधाभास माना जो अभियोजन पक्ष ने जवाब देने में विफल रहे। उच्च न्यायालय ने निर्णय को सही ढंग से उलट दिया है

विचारण न्यायालय अपने निष्कर्षों के रूप में गलत है। कोई भेद नहीं है

सिस्टम को छोड़कर एक 0.315 बोर राइफल और एक 8x60-बोर राइफल के बीच

माप का, एक ब्रिटिश प्रणाली है और दूसरा है महाद्वीपीय प्रणाली। उच्च न्यायालय के निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

" हम पाते हैं कि शायद मन में भ्रम पैदा हुआ था

ट्रायल कोर्ट ने कहा कि 315 बोर की राइफल 8x60 से अलग राइफल है

क्योंकि ब्रिटिश प्रणाली में, इसका माप इंच में होता है जबकि महाद्वीपीय प्रणाली में, इसका माप मिमी में दिया जाता है। ,

इसलिए, निचली अदालत का यह निष्कर्ष कि ऐसी कोई वसूली नहीं

आरोपी साहब सिंह से साबित किया गया था

दिए गए तर्क के आधार पर एक गलत निष्कर्ष है।

155. हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय के पास पर्याप्त और

इस स्पष्ट गलती और विकृत में हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर करने वाला आधार वे निष्कर्ष जो विचारण न्यायालय ने निकाले हैं। विद्वानों की सलाह के रूप में

अपीलार्थियों ने इस मुद्दे को फिर से उठाया और तर्क दिया, हमें

उच्च न्यायालय के निष्कर्ष और निष्कर्ष को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करें।

156. माउसर राइफल और पिस्तौल 42 पर डब्ल्यू. एच. बी. स्मिथ नामक ग्रंथ में अध्याय के तहत 8x60 खेल राइफल का विस्तृत विवरण दिया गया है।

42 डब्ल्यू. एच. बी. स्मिथ, मौसर राइफल्स एंड पिस्तौल (द स्टैकपोल कंपनी, पेंसिल्वेनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा संस्करण, 1954, पृष्ठ संख्या। 156, 157)

यह भी देखेः 0.315 " स्पोर्टिंग राइफल, यहाँ उपलब्ध हैः HTTPS: //डीडीपीडीयू। गव. इन/उत्पाद/उत्पाद/उत्पाद-विवरण/0-315-उद्धरण-खेल-राइफल। आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवा) की वेबसाइट जहाँ 0.315 बोर राइफल को भी 8 मिमी राइफल के रूप में वर्णित किया गया है।

अशोक कुमार सिंह चंदेल बनाम। यू. पी. राज्य [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।]

स्पोर्टिंग राइफल्स '। संबंधित भाग यहाँ नीचे निकाला गया है।

ईदी संदर्भः

" यह डिजाइन जर्मनी में विशेष रूप से विदेशी बाजारों के लिए बनाया गया था। यह घरेलू उपभोग की तुलना में बहुत बेहतर तरीके से तैयार किया गया था। विभिन्न प्रकार के दर्शनीय स्थल प्रदान किए गए थे और यह डिज़ाइन सिंगल-ट्रिगर और डबल ट्रिगर दोनों में बनाया गया था। प्रकार।

XXX

इस प्रकार की सामान्य बैरल की लंबाई 24 इंच होती है।

XXX

24-इंच के मानक अंश इस प्रकार थेः 7x57 मिमी

(.276) , 8x60 मिमी (. 315), 9x57 मिमी (0.355) "।

157. दूसरी प्रस्तुति के संबंध में, संदेह और वसूली के बारे में, हमारे पास पीडब्लू-10, पीडब्लू डी पीडब्लू-12 के समवर्ती विवरण हैं, जिनमें से सभी लगातार पिस्सू और गोलियों की बरामदगी के बारे में बात करते हैं। उनकी गवाही का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार है -:

158. हेड कांस्टेबल, मुन्ना लाल मिश्रा, पीडब्लू-10 ने अपनी रिपोर्ट में कहा

इसलिए किः

" ..... उस दिन एस. एच. ओ. लालमन वर्मा, एस. आई. आर. एस. तिवारी, एस. आई. रोशन लाल, सी. टी. 621 कमलेश कुमार और सी. टी. 154 आफताब अली जीप और चालक राम किशन के साथ पुलिस स्टेशन आया और चार आरोपी व्यक्तियों नसीम अहमद, साहब सिंह, मान सिंह को पेश किया, फिर मान सिंह, श्याम सिंह ने पुलिस स्टेशन में बताया। राइफल का एक सीलबंद बंडल और गोलियों का एक सीलबंद बंडल और नमूना मुहर भी दाखिल की गई थी।

पुलिस स्टेशन और राइफल की एक बरामदगी ज्ञापन दायर किया और

कार्ट्रिज। ज्ञापन के आधार पर दर्ज मामले की एफ. आई. आर नं. 34 / 97 साहब सिंह के खिलाफ यू/एस 25 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया और अशोक के खिलाफ यू/एस 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

चंदेल। में रखी गई नमूना मुहर के साथ दाखिल की गई वस्तुएँ

मालखाना।

159. कांस्टेबल आफताब अली, पीडब्लू-11 ने अपने साक्ष्य में कहा किः

" ..... चार लोग साहब सिंह, नसीम, मानसिंह, श्यामसिंह वहाँ से बाहर निकलने वाले थे कि हम
[2022] 12 एस. सी. आर.

नमूना सील। कोई भी सार्वजनिक व्यक्ति अपनी भलाई के कारण बयान देने के लिए तैयार नहीं हुआ। साहब सिंह को दिए गए ज्ञापन की प्रति, जिसने उसे फाड़ कर फेंक दिया था।

160. जाँच अधिकारी, लालमन वर्मा, पीडब्लू-12 अपने साक्ष्य में

1 वहः

" ..... बेतवा नदी के किनारे से चलते हुए जब हम नसीम के घर के पिछले दरवाजे के सामने पहुंचे तो हमने देखा कि चार आरोपी पिछले दरवाजे से बाहर आए और मुखबिर के संकेत पर हमने 27.1 तारीख को चारों आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। 97 शाम 6:30 बजे। जब हमने उनका नाम पता पूछा तो पहले उनका नाम नसीम पुत्र हमीद बताया, दूसरे ने उनका नाम श्याम सिंह पुत्र बीरबल बताया, तीसरे ने उनका नाम भान सिंह पुत्र मान सिंह बताया और चौथे ने उनका नाम साहब सिंह पुत्र दलगाजन सिंह बताया। जब नियमों के अनुसार उपरोक्त तीन अभियुक्तों की व्यक्तिगत तलाशी ली गई तो अभियुक्त नसीम के कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ।

श्याम सिंह। लेकिन एक राइफल एन. पी. (अवैध) No.20260 मिली

साहब सिंह निवासी कलोली जार भाग लालपुरा जिले के कब्जे से बरामद। हमीरपुर और फिर कहा कि कमर में बंधी बेल्ट से पीतल के 10 कारतुस बरामद किए गए, जिसे पुलिस के कब्जे में ले लिया गया और एस. एस. आई. श्री से एक ज्ञापन लिखा गया। मशाल की रोशनी में आर. एस. तिवारी। पूछताछ में

चंदेल, जिसे सील कर दिया गया था। ज्ञापन पढ़ने के बाद लिए गए गवाहों के हस्ताक्षर, उनकी भलाई को ध्यान में रखते हुए कोई सार्वजनिक गवाह तैयार नहीं हुआ। इसका ज्ञापन एक्स. ए.-24 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। जिसकी प्रति उन्हें दी गई थी

अभियुक्त। "अशोक कुमार सिंह चंदेल बनाम। यू. पी. राज्य

[पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।]

161. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि पुनर्प्राप्ति

साहब सिंह (ए 8) की 8x60 बोर की राइफल और बाकी अभियुक्तों ए 6, ए 7 और ए 10 की गिरफ्तारी अभियोजन पक्ष द्वारा सफलतापूर्वक साबित की गई है। हथियार, गोलियों की बरामदगी के साथ-साथ गिरफ्तारी को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत स्पष्ट, सुसंगत और स्पष्ट साक्ष्य को निचली अदालत द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष न केवल गलत थे बल्कि स्पष्ट भी थे

गलतियाँ। ये उच्च न्यायालय के लिए निचली अदालत के फैसले को उलटने के लिए ठोस और मजबूर करने वाले कारण थे। 162. साहब द्वारा पहनी गई हरी पट्टी से बरामद गोलियों की संख्या में भिन्नता के संबंध में एक अतिरिक्त तर्क उठाया गया है।

163. हम इसे एक मामूली बदलाव मानते हैं। किसी भी स्थिति में, पीडब्लू 14 केवल वही बता रहा है जो पीडब्लू-12 ने सी. बी. सी. आई. डी. को दिए गए बयान में कथित रूप से उल्लेख किया है। बरामद गोलियों की संख्या में अंतर नहीं हो सकता है इसका वसूली पर ही सीधा असर पड़ता है, विशेष रूप से जब अन्य सभी गवाहों ने वसूली के बारे में बात की हो।

नेत्र गवाह जिनके बयानों की पुष्टि अन्य लोगों द्वारा की जाती है समकालीन साक्ष्य, कुछ मामूली भिन्नताएँ, जैसे कि गैर

खून से सने कपड़े, कुछ अन्य हथियार आदि की बरामदगी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं होगी। यह सिद्धांत उन मामलों में अच्छी तरह से स्थापित है जहां विश्वसनीय घायल नेत्र-गवाह साक्ष्य हैं। लक्ष्मण सिंह बनाम। बिहार राज्य 43, इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

" 9. मानसिंह में [एम. पी. राज्य बनाम। मानसिंह (2003) 10 एस. सी. सी. 414: (2007) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 390], इस न्यायालय द्वारा यह अवलोकन और अभिनिर्धारित किया गया है कि "घायल गवाहों के साक्ष्य का अधिक साक्ष्य मूल्य है और जब तक कि सम्मोहक कारण मौजूद नहीं हैं, उनके बयानों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए"। उक्त निर्णय में आगे यह देखा गया है कि "मामूली विसंगतियां होती हैं।

43 (2021) 9 एससीसी 191।

अन्यथा स्वीकार्य की विश्वसनीयता को नष्ट नहीं करता है

सबूत "। यह आगे देखा गया है कि "केवल एक चश्मदीद गवाह के नाम का उल्लेख न करना अभियोजन पक्ष के बयान को नाजुक नहीं बनाता है"।

9.1 अब्दुल सईद बनाम अब्दुल सईद मामले में बाद के फैसले में इस अदालत द्वारा इसी तरह का विचार व्यक्त किया गया है। एम. पी. राज्य, (2010) 10 एस. सी. सी. 259: (2010) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1262] यह. भीड़ में गवाहों द्वारा पहचान का मामला था

हमलावर। यह माना जाता है कि "ऐसे मामलों में जहां बड़ी संख्या में हमलावर हैं, गवाहों के लिए प्रत्येक हमलावर की पहचान करना और उसे विशिष्ट भूमिका के लिए जिम्मेदार ठहराना मुश्किल हो सकता है"। यह आगे देखा गया है कि "जब घटना कुछ ही समय में समाप्त हो गई

मिनट्स, यह स्वाभाविक है कि घटना का सटीक संस्करण खुलासा करता है

प्रत्येक मिनट का विवरण अर्थात व्यक्ति की सावधानीपूर्वक सटीकता

अधिनियम, चश्मदीद गवाहों द्वारा नहीं दिए जा सकते हैं। यह आगे देखा गया है कि "जहां घटना का गवाह स्वयं घायल हो गया था

घटना, ऐसे गवाह की गवाही को आम तौर पर बहुत विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि वह एक ऐसा गवाह है जो अपराध स्थल पर अपनी उपस्थिति की अंतर्निहित गारंटी के साथ आता है और किसी को गलत तरीके से फंसाने के लिए अपने वास्तविक हमलावरों को छोड़ने की संभावना नहीं है। यह आगे देखा गया है कि "इस प्रकार, घायल गवाह के बयान पर तब तक भरोसा किया जाना चाहिए जब तक कि मजबूत सबूत न हों। प्रमुख के आधार पर उसके साक्ष्य की अस्वीकृति के लिए आधार

9.2 कानून के उपरोक्त सिद्धांत को फिर से दोहराया गया है। इस न्यायालय द्वारा रामविलास [रामविलास बनाम। एम. पी. राज्य, (2016) 16 एस. सी. सी. 316: (2016) 4 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 850] और यह माना जाता है कि "घायल गवाहों का साक्ष्य एक बड़े वजन का हकदार है।

और बहुत ठोस और आश्वस्त करने वाले आधारों की आवश्यकता है

उनके सबूत को खारिज कर दें "। यह आगे देखा गया है कि "घायल गवाह होने के नाते, समय और स्थान पर उनकी उपस्थिति

घटना पर संदेह नहीं किया जा सकता है "।

165. एम नागेश्वर रेड्डी बनाम के हाल के मामले में। ए. पी. 44 राज्य ने अभिनिर्धारित किया किः

“ 16. संबंधित के बयान से गुजरने के बाद

प्रत्यक्षदर्शी/घायल प्रत्यक्षदर्शी, हम हैं

2 एससीसी ऑनलाइन एससी 268।

अशोक कुमार सिंह चंदेल बनाम। यू. पी. राज्य [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।]

राय है कि चश्मदीद गवाहों और घायल चश्मदीद गवाहों के बयान में कोई बड़ा/भौतिक विरोधाभास नहीं है। जहाँ तक अभियुक्त 1 से 3 का संबंध है, सभी सुसंगत हैं। जैसा कि ऊपर देखा गया है, पीडब्लू 6 ने अभियुक्त 1 से 3 की पहचान की है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि पीडब्लू 1, पीडब्लू 3 और पीडब्लू 5 को केवल इस आधार पर गवाह बनाया गया था कि वे सभी इच्छुक गवाह थे जो मृतक के रिश्तेदार थे। केवल इसलिए कि गवाह मृतक के रिश्तेदार थे, उनके साक्ष्य को केवल उपरोक्त आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है।

इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने बयान को खारिज करने में भौतिक रूप से गलती की है।

पीडब्लू 1, पीडब्लू 3, पीडब्लू 5 और पीडब्लू 6 और यहां तक कि पीडब्लू 7 का प्रमाण।

XXX

19. उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क को देखने के बाद, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने अनावश्यक रूप से कुछ मामूली विरोधाभासों को महत्व दिया है। विरोधाभास, यदि कोई हो, भौतिक विरोधाभास नहीं हैं जो समग्र रूप से अभियोजन पक्ष के मामले को प्रभावित कर सकते हैं। पीडब्लू 6 एक घायल चश्मदीद गवाह था और इसलिए उसकी उपस्थिति पर संदेह नहीं होना चाहिए था और एक घायल चश्मदीद होने के नाते, इस न्यायालय द्वारा निर्णयों के आधार पर निर्धारित कानून के तय किए गए प्रस्ताव के अनुसार, उसके बयान की अधिक विश्वसनीयता है।

और विश्वसनीयता "।

एक्स. बैलिस्टिक रिपोर्ट

166. अपीलार्थियों की ओर से अंतिम प्रस्तुतिकरण दो भागों में होता है। सबसे पहले, यह प्रस्तुत किया जाता है कि बैलिस्टिक रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह प्रमाणित नहीं है और धारा 293 Cr.P.C की आवश्यकताओं के विपरीत है जिसके तहत रिपोर्ट केवल निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक द्वारा बनाई जानी है न कि वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा। दूसरा, यह तर्क दिया जाता है कि अभियोजन पक्ष ने बैलिस्टिक रिपोर्ट के लिए केवल 8x60 बोर की राइफल भेजी, लेकिन 0.315 बोर राइफल भेजने में विफल रहा, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह साहब सिंह से बरामद की गई थी।

167. 8x60 बोर राइफल और 0.315 बोर राइफल एक होने के हमारे निष्कर्ष को देखते हुए दूसरे तर्क को तुरंत खारिज कर दिया जाना चाहिए। एक ही। पहले बिंदु पर, धारा 293 के तहत आवश्यकता का वास्तव में पालन किया जाता है क्योंकि रिपोर्ट को सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ के हाथ में माना जाना चाहिए, जो "निदेशक [, उप निदेशक [2022] 12 एस. सी. आर. है।

धारा 293 (4) (ई) के तहत प्रदान किए गए केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला या राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के सहायक निदेशक।

168. ट्रायल कोर्ट ने फिर से मामले पर एक सुपर तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया और बैलिस्टिक रिपोर्ट को खारिज कर दिया, इस तथ्य के बावजूद कि रिपोर्ट सहायक निदेशक के कार्यालय से एक मुहर के साथ आई थी। हम ट्रायल कोर्ट के तर्क को यहाँ ही नोट कर सकते हैं।

" ..... इसके जवाब में अभियोजन पक्ष के विद्वान वकील ने

मोहर की उपस्थिति की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है और रिपोर्ट के अंत में सहायक निदेशक के हस्ताक्षर। इसमें मुहर लगाई जाती है। इस मुहर पर यह लिखा हुआ है कि

" आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित किया गया "और उसके नीचे कुछ जगह छोड़ने के बाद, इस मुहर द्वारा सहायक निदेशक ने

छापी जाती है और हस्ताक्षर किए जाते हैं। यह स्पष्ट है कि यह रिपोर्ट किसी सहायक निदेशक द्वारा स्व-हस्ताक्षरित रिपोर्ट नहीं है, बल्कि यह रिपोर्ट किसी वैज्ञानिक अधिकारी की है, जिसे केवल सहायक निदेशक द्वारा अग्रेषित किया गया है। यह रिपोर्ट धारा के उद्देश्यों और शर्तों को पूरा नहीं करती है।

23 Cr.P.C "।

169. यह नोट करने के बाद कि रिपोर्ट सहायक निदेशक के कार्यालय से आई है और "की उपस्थिति" को भी नोट किया है

रिपोर्ट के अंत में सहायक निदेशक की मुहर और हस्ताक्षर ", ट्रायल कोर्ट इसे खारिज नहीं कर सकता था। इसलिए यह सम्मोहक था

उच्च न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को उलटने के लिए। इस संबंध में उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

" ..... इसके अलावा उन्होंने एफ. एस. एल. की रिपोर्ट को इस आधार पर खारिज करने का भी प्रयास किया है कि धारा 293 Cr.P.C एक विशेषज्ञ की रिपोर्ट प्रदान करती है।

रिपोर्ट तभी स्वीकार्य होगी जब उस पर उक्त प्रयोगशाला के निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक के हस्ताक्षर हों, न कि किसी वैज्ञानिक अधिकारी के। हम उनके विचार से सहमत नहीं हैं क्योंकि यह रिकॉर्ड में आया है कि वही था

उक्त प्रयोगशाला के निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक में से किसी एक द्वारा मुहर के नीचे भेजा गया, इसलिए, इसे त्याग नहीं किया जा सकता है और इसे माना जाएगा

स्वीकार्य है और इस रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से पाया गया है कि ई. सी.-12 को 8 x 60 बोर की राइफल से दागा गया था।

भी संबोधित किया।

170. हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। राम 1 5 45 इस प्रस्तुति का एक पूर्ण उत्तर है। एक समान राष्ट्र में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जिस तरह से क्यूशन ने धारा 293 के तहत बैलिस्टिक रिपोर्ट प्राप्त की है। निर्णय का चींटी भाग निम्नानुसार हैः

" 6. दूसरा, जिस आधार पर उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की कहानी को खारिज किया है, वह बैलिस्टिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट है। बैलिस्टिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट (एक्स. पी-एक्स) पर एक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ने हस्ताक्षर किए थे। उच्च न्यायालय के अनुसार, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (बैलिस्टिक) अधिकारी नहीं है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 की उप-धारा (4) के तहत गणना की गई है और इसलिए, उनकी जांच के अभाव में ऐसी रिपोर्ट को साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता है। यह

हमारे विचार में उच्च न्यायालय का कारण भी गलत है। सबसे पहले, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट (एक्स. पी-एक्स) रहा है

कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के हस्ताक्षर के तहत प्रस्तुत किया गया

(केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का बैलिस्टिक), चंडीगढ़। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी

एक सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ के हाथ में। अनुभाग

293 (1) दंड प्रक्रिया संहिता का आदेश है कि कोई भी

एक के हाथ के तहत एक रिपोर्ट होने का तात्पर्य दस्तावेज

इस धारा के तहत सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ, किसी भी

संहिता का उपयोग संहिता के तहत किसी भी जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने की उप-धारा (1) के प्रावधान की पूरी तरह से अनदेखी की गई

धारा 293 और एक भ्रामक निष्कर्ष पर पहुँचा कि

कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी एक अधिकारी नहीं है जिसके तहत गणना की जाती है धारा 293 की उप-धारा (4)। धारा की कौन सी उप-धारा (4) है

293 परिकल्पना यह है कि अदालत को दस्तावेजों को स्वीकार करना है

वैध के रूप में गणना किए गए छह अधिकारियों में से किसी एक द्वारा जारी किया गया

दस्तावेजों के लेखक की जांच किए बिना साक्ष्य।

XXX

13. हमारे विचार में, पीडब्लू 1,3 और 4 की निरंतर नेत्र साक्ष्य की पुष्टि पीडब्लू 2 डॉ. संजय कुमार की राय से होती है।

4) 8 एससीसी 660।

2] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

महाजन और बैलिस्टिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया

अभियोजन पक्ष का मामला सभी उचित संदेहों से परे है और

उच्च न्यायालय कानून और तथ्यों की गंभीर त्रुटि में पड़ गया, जिसके परिणामस्वरूप

न्याय की घोर विफलता।

171. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बैलिस्टिक रिपोर्ट सहायक निदेशक के कार्यालय से आई है जिस पर उनकी मुहर लगी हुई है और विचार किया गया है

धारा 293 (4) Cr.P.C के संदर्भ में, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम में समझाया गया है। मस्त राम 4 हमारी राय है कि ट्रायल कोर्ट ने बैलिस्टिक रिपोर्ट को खारिज करने में गंभीर गलती की है।

और उच्च न्यायालय के लिए यह आवश्यक और बाध्यकारी था कि वह इस मामले में भी विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को उलट दे।

मुखबिर द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका और लिखित याचिका

(पीडब्लू-1):

172. पीडब्लू-1 ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की जिसमें उन्हें दी गई सजा को बढ़ाने की मांग की गई थी।

आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड तक की सजा वाले अपीलार्थी। हम उस सूचना देने वाले की शिकायतों और चिंता की काफी सराहना करते हैं जिसके भाइयों की उसकी आंखों के सामने हत्या कर दी गई थी। उन्होंने अपने भतीजे (अपने भाई के बेटे) की उसी स्थान पर हत्या होते हुए भी देखी। पीडब्लू-1 ने अपने दो करीबी दोस्तों और पारिवारिक सहयोगियों को भी खो दिया। जबकि हम अभाव के लिए पीडब्लू-1 के साथ समरूपता करते हैं, हम विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

सजा को मौत तक बढ़ाना क्योंकि यह एक गुट की लड़ाई है और निश्चित रूप से दुर्लभतम मामले में से दुर्लभतम नहीं है जो मौत की सजा को लागू करने के योग्य है।

वाक्य।

उत्तर प्रदेश राज्य में अपने अनुचित प्रभाव को देखते हुए अपनी सजा काटने के लिए कुमार चंदेल को उत्तर प्रदेश के बाहर जेल में डाल दिया गया। रिट याचिका तब दायर की गई थी जब अशोक कुमार चंदेल (ए 5) की आपराधिक अपील इस अदालत के समक्ष निर्णय के लिए लंबित थी। लेकिन इस दृष्टि से कि आपराधिक अपील को खारिज करने और अशोक कुमार चंदेल (ए 5) की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि करने वाले वर्तमान फैसले में हमारा विचार है कि इस रिट याचिका में आगे कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए रिट याचिका खारिज कर दी जाती है।

46 आइबीआइडी।

अशोक कुमार सिंह चंदेल बनाम। यू. पी. राज्य [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।]

निष्कर्ष -

174. चूंकि यह उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक अपील है

बरी करने का आदेश गाएँ। हमने अपीलार्थियों द्वारा प्रत्येक बिंदु 1 की जांच की है। हमने प्रत्येक मुद्दे पर रियाल न्यायालय द्वारा अपनाए गए तर्क को भी नोट किया है और यह देखने के लिए कि क्या उलटना न्यायालय के फैसले पर आधारित है, जिस पर इस न्यायालय ने बहुत महत्वपूर्ण और सम्मोहक कारणों को अनिवार्य किया है या अच्छा और पर्याप्त है।

विज्ञापन न्याय की गंभीर विफलता का कारण बनते हैं। जाँच करने के बाद

आर विस्तार से, हमारी राय है किः

उच्च न्यायालय ने अपनी अपील का प्रयोग करना उचित ठहराया।

आई.

बरी करने के आदेश को उलटने में अधिकार क्षेत्र क्योंकि कुछ स्पष्ट गलतियाँ थीं, और मामले में विकृत निष्कर्ष थे।

विचारण न्यायालय का निर्णय। उच्च न्यायालय इस निर्णय को उलटने के लिए कर्तव्यबद्ध था क्योंकि वहाँ बहुत महत्वपूर्ण थे।

और ऐसा करने के लिए मजबूर करने वाले कारण, जो ऐसा न करने पर न्याय की गंभीर विफलता का कारण बनते।

भले ही अभियोजन पक्ष ने स्थापित करने के लिए सामग्री रखी है

II.

अभियुक्त पक्ष की ओर से एक उद्देश्य का अस्तित्व शुक्ला परिवार के पांच सदस्यों और सहयोगियों की हत्या करने के लिए, उद्देश्य भाग को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए गौण माना जाता है कि यह घायल आंख के प्रत्यक्ष साक्ष्य का मामला है

गवाह। हमने पाया है कि घटना का स्थान नहीं है

III.

विवादित। वास्तव में, ट्रायल कोर्ट ने स्वयं घटना की पहली और दूसरी घटना के बारे में निष्कर्ष दिए। इन निष्कर्षों की पुष्टि उच्च न्यायालय ने की थी। इसलिए, एकमात्र प्रश्न शामिल व्यक्तियों और तरीके से संबंधित है अपराध करने का।

(क) से संबंधित तर्कों की जांच करने के बाद

IV.

अस्पताल में लाए गए शवों की संख्या में विसंगतियां (बी) तहरीक तैयार करने में लगने वाले समय की असंभवता (सी) प्राथमिकी (डी) में कथित चूक और बेड हेड टिकट में उल्लिखित छुट्टी का समय, प्राथमिकी दर्ज करने के समय पर संदेह पैदा करते हुए, हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष ने सभी विसंगतियों को एक उचित संदेह से परे समझाया है। हम आश्वस्त हैं कि निचली अदालत के निष्कर्ष अनुमानों और अनुमानों, [2022] 12 एस. सी. आर. पर आधारित थे।

और इसलिए, उच्च न्यायालय विचारण न्यायालय के निर्णय को उलटने में न्यायसंगत है।

इस तर्क के समर्थन में चार दलीलों पर विचार करने के बाद कि पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 घटना के चश्मदीद गवाह नहीं हैं, (ए) जोंगा पर गोलियों के निशान पर विसंगति, (बी) पीडब्लू-1 के बयान के आधार पर मृतक और चश्मदीद गवाहों पर गोलियों की चोट, (सी) एक्स-रे और बेड हेड टिकट का समय, और (डी) घटना के समय बिजली की विफलता से संबंधित साक्ष्य, हमने पाया है कि ये दलीलें सबूतों के विपरीत हैं।

रिकॉर्ड में। अभियोजन पक्ष ने घटना स्थल पर पीडब्लू 1 की उपस्थिति और घटना के घायल चश्मदीद होने को साबित किया है। हम निष्कर्ष निकालते हैं कि निष्कर्ष विचारण न्यायालय द्वारा तैयार किए गए साक्ष्य साक्ष्य के गलत अध्ययन पर आधारित थे, और इसलिए, उच्च न्यायालय न्याय की गंभीर विफलता को रोकने के लिए निष्कर्ष को उलटने के लिए बाध्य था।

कम से कम कहें। निचली अदालत का यह निष्कर्ष कि अभियोजन पक्ष मामले को साबित नहीं कर सका, पूरी तरह से गलत है। इस तरह का निष्कर्ष एक स्पष्ट गलती है जैसा कि इस न्यायालय ने चंद्रप्पा और अन्य मामलों में माना है। वी. कर्नाटक राज्य "उच्च न्यायालय को बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य करता है। कानूनी निवेदन कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि एक आम आधार पर एक गैरकानूनी सभा थी

हम उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण और निष्कर्षों से स्वतंत्र रूप से उद्देश्य की जांच करते हैं। हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने सही ढंग से सराहना की है

4 .

के. कुमार सिंह चंदेल बनाम यू. पी. राज्य [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।]

सिद्धांत और इस निवेदन को खारिज कर दिया कि अभियोजन पक्ष

एक सामान्य उद्देश्य और गैरकानूनी साबित करने में विफल रहा है सभा। अमजद अली बनाम में इस न्यायालय के निर्णय। असम राज्य 1 8 48, भार्गवन बनाम। केरल राज्य 49 के साथ-साथ भूपेंद्र सिंह बनाम। U.P.50 की स्थिति उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का पूरी तरह से समर्थन करती है। उच्च न्यायालय का निर्णय

यह मुद्दा तथ्य और कानून के मामले में स्पष्ट नहीं है। हमने यह भी पाया है कि हथियार की बरामदगी के बारे में ट्रायल कोर्ट का निष्कर्ष एक विकृत निष्कर्ष पर आधारित है क्योंकि उसने 8x60 बोर की राइफल को 0.315 बोर की राइफल से अलग समझ लिया था। हमने तकनीकी सामग्री को पढ़ा और निकाला है ताकि यह साबित किया जा सके कि कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल माप प्रणाली में है, एक ब्रिटिश और दूसरा महाद्वीपीय है।

प्रणाली। इस तरह के एक विकृत निष्कर्ष को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने

पलटने के बहुत ठोस और मजबूर करने वाले कारण थे

विचारण न्यायालय के निष्कर्ष।

हमने यह भी पाया है कि नसीम (ए 6), भान सिंह (ए 10), श्याम सिंह (ए 7) और साहब सिंह (ए 8) की गिरफ्तारी सभी गवाहों द्वारा एक साथ और लगातार की गई थी।

पीडब्लू-10, पीडब्लू-11 और पीडब्लू-12। निचली अदालत द्वारा निकाला गया निष्कर्ष कि गिरफ्तारी और बरामदगी संदिग्ध थी, स्पष्ट गलतियाँ थीं। इसलिए, उच्च न्यायालय पूरी तरह से था

विचारण न्यायालय के निर्णय को उलटने में न्यायसंगत।

एफ. एस. एल. (बैलिस्टिक) रिपोर्ट की अस्वीकृति निचली अदालत की एक और गंभीर गलती है। विचारण न्यायालय का निष्कर्ष कि बैलिस्टिक रिपोर्ट अस्वीकार्य है क्योंकि इसमें नहीं है

धारा 293 Cr.P.C की आवश्यकता के साथ सामंजस्य पूरी तरह से गलत है। हमने इसे विस्तार से समझाया है। एक समान स्थिति में हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम में यह न्यायालय। मस्त राम 3 1 ने समझाया है कि कैसे बैलिस्टिक रिपोर्ट वैधानिक प्रावधान के पूर्ण अनुपालन में है। द हाई

कब्र को रोकने के लिए अदालत को जरूरी कदम उठाना पड़ा

न्याय की विफलता।

3 . 9 .

0 .5 .

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

175. ऊपर बताए गए कारणों से, हम आपराधिक अपील संख्या को खारिज करते हैं। 946-947 / 2019 अशोक कुमार चंदेल द्वारा दायर आपराधिक अपील

नं. 1030 1031/2019 आशुतोष @डब्बू द्वारा दायर आपराधिक अपील नं. 1269-1270 / 2019 प्रदीप सिंह और उत्तम सिंह द्वारा दायर आपराधिक अपील सं। 1804-1805 / 2019 भान सिंह द्वारा दायर आपराधिक अपील सं। 1980-1981 / 2019 साहब सिंह द्वारा दायर आपराधिक अपील सं। 1279-1280 / 2019 नसीम द्वारा दायर किया गया, और सरकारी अपील संख्या 5123/2002 दिनांक 19.04.2019 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि करता है। हमें सूचित किया जाता है कि अपीलार्थी रघुवीर सिंह की मृत्यु इन अपीलों के निपटारे के लिए 15.08.2022 पर हुई, उनकी आपराधिक अपील संख्या 1046-1047/2019 समाप्त हो गई है। एसएलपी (सीआरएल) सजा बढ़ाने के लिए सूचना देने वाले (पीडब्लू-1) राजीव शुक्ला द्वारा दायर सं. 10742/2019 को खारिज कर दिया जाता है।

176. लेखन याचिका (सीआरएल) नं. 57/2022, सूचना देने वाले (पीडब्लू 1) द्वारा दायर, खारिज कर दिया जाता है।

177. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।

बिभूति भूषण बोस

(सहायकः आरश चौधरी, एलसीआरए)